द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३४

शनिवार, १ अप्रैल, १९६१
११ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३–अंक ३१–४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४ ३६२३–४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३ ३६४३–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७ . ३६५६–९३

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३६९३–९५

ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३६९५–९६

प्राक्कलन समिति

एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन . . ३६९६–९७

रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य . ३६९७–३७००

विधेयक पुरःस्थापित किये गये ३७००

१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।

२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।

उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा . . ३७०१–१७

उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२) . . ३७१७–१९

उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित . ३७१९–२०

अनुदानों की मांगे ३७२०–२७

गृह-कार्य मंत्रालय ३७२०–२७

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३७२८–२९

दैनिक संक्षेपिका ३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७,
११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७ . . ३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची — पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना। . . ३६०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३६०८–०६
प्राक्कलन समिति
एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३६०६
अनुदानों की मांगें ३६०६–५५
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३६०६–३३
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३६३४–५५
बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३६५५–५७
दैनिक संक्षेपिका ३६५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १६६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३६६३–८७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . . ३६८७–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३६८८–६७
अतारांकित प्रश्न संख्या २५५६ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३६६७–४०३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६
राज्य सभा से सन्देश ४०३७
न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७
प्राक्कलन समिति
एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७
रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३६

विषय सूची	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५—सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८
स्थगन प्रस्ताव—	
बस्तर की स्थिति	४१६४–६७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८
उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४१६८

लोक-लेखा समिति . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन ४१६६

अनुदानों की मांगें ४१६६–४२११

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ४१६६–४२१२

दैनिक संक्षेपिका ४२१२–१७

अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ . ४२१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५ . . . . ४२४५–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . . ४२५२–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . . ४२७८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४२७८–७९

राज्य सभा से सन्देश ४२७९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ४२७९

प्राक्कलन समिति—

एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन . ४२७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ४२७९

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . . ४२८०–८१

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में ४२८१–८२

अनुदानों की मांगें ४२८२–४३२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२८२–४३३४

दैनिक संक्षेपिका ४३३५–३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४४२१–२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य ४४२२–२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४५३६
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही—सारांश	४५३६—३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे	४५३७
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . .	४५३७
तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . .	४५३७
अनुदानों की मांगें	४५३८—६८
परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . .	४५३८—६८
वक्तव्य में शुद्धि	४५५३
दैनिक संक्षेपिका	४५९९—४६०२

अंक ३९—शुक्रवार ७ अप्रैल, १९६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३९१, १३९४, १३९५ और १३९७ से १३९९	४६०३—२७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३९२, १३९३, १३९६ और १४०० से १४०३	४६२७—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९२ से २८९९, २९०१ से २९१६ और २९१८ से २९७२	४६३०—६८
स्थगन प्रस्ताव—	
कठुआ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . .	४६६८—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . .	४६७०—७२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३६७२—७३
सभा का कार्य . .	४६७३
लोक लेखा समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन	४६७३

विषय सूची

	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन .	४६७४
अनुपस्थिति की अनुमति	४६७४–७५
समितियों के लिये निर्वाचन	४६७५–७६
१. प्राक्कनल समिति	४६७५
२. लोक लेखा समिति	४६७५–७६
लोक लेखा समिति—	
राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . .	४६७७
अनुदानों की मांगें	४६७७—४७०६
परिवहन तथा संचार मंत्रालय	४६७७—८१
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४६८१—४७०६
तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	
विचार करने का प्रस्ताव	४७०७—१९
हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) विधेयक—	
(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . .	४७१९—२१
विचार करने का प्रस्ताव	४७१९—२१
आधे घंटे की चर्चा	४७२१—२६
दैनिक संक्षेपिका	४७२७—३३

अंक ४०—सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२	४७३५—५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४	४७५६–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२	४७५७—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . .	४७६५—९२
निधन सम्बन्धी उल्लेख . . .	४७९२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	४७९२
कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य . . .	४७९२–९३
जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	४७९३–९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———————

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, १ अप्रैल, १९६१

११ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने का विस्तार

+

†*१२२२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री पांगरकर :
डा० विजय आनन्द :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा शैल आयल कम्पनी लिमिटेड की अपने तेल-शोधक कारखाने का विस्तार करने और 'लुब्रिकेंटिंग' तेलों के सं त्रों की स्थापना करने की प्रस्थापनाओं के बारे में इस बीच नीति निर्धारित कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां । कम्पनी को यह बताया गया है कि १९५१ के करार के पदों के अनुसार तेल शोधक कारखाने के विस्तार की किसी ोजना पर विचार करने के लिए सरकार असमर्थ है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : पिछले प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा है । वे बातें कौन सी थीं और कम्पनी का क्या उत्तर था ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : पिछले कुछ हफ्तों में कई बातें पूछी गयी थीं और बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने और हमारे बीच बातचीत हुई थी और जिन स्थूल सिद्धान्तों के बारे में हम समझौता चाहते थे उन से वह सहमत नहीं हुए। उस में सब से महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे १६५१ तेल शोधक कारखाना करार के अलावा एक न` आधार से इस कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक इसे मंजूर नहीं किया है और इसलिये हम ने उनका प्रस्ताव मंजूर करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस तेल शोधक कारखाने के विस्तार की ठीक ठीक योजना क्या है और उसकी क्षमता किस हद तक बढ़ायी जायगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल शोधक कारखाने की क्षमता लगभग २६ लाख टन से ४० लाख टन प्रति वर्ष बढ़ाने की योजना है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार का ध्यान बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने के अध्यक्ष, के २६ अगस्त, १६६०, के भाषण की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने यह कहा था कि ३.५ करोड़ रुपये के कर संरक्षण मंजूर करने के बदले में सरकार ने यह कहा कि वह विस्तार पर गुणदोष के आधार पर विचार करेगी ? यदि हां, तो ऐसा आश्वासन किन आधारों पर दिया गया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे माननीय मित्र जिस भाषण का उल्लेख कर रहे हैं वह मैंने नहीं पढ़ा है और सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये आधार पर किसी योजना पर विचार करना मंजूर नहीं किया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ दिन पहले इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया है कि ीसरी योजना में हमारे देश में तेल शोधक कारखानों की क्षमता १ करोड़ २० लाख टन होगी। इस बात को देखते हुए कि बर्मा शैल विस्तार कार्यक्रम नामंजूर कर दिया गया है, क्या सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों की क्षमता में उतनी ही वृद्धि होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तीसरी योजना के अन्त तक हमारे सभी वर्तमान तथा संभावी तेल शोधक कारखानों की उत्पादन क्षमता हमारी खपत के लगभग बराबर होगी जिसमें थोड़ा आयात भी शामिल है जो जरूरी होगा। यदि हमारे तेल शोधक कारखानों के वर्तमान का`क्रम तथा विस्तार कार्यक्रम पूरे हो जायें तो हमारा ख्याल है कि तीसरी योजना अवधि के अन्त तक हमें फिलहाल अतिरिक्त तेल शोधक कारखानों की जरूरत नहीं होगी।

†**श्री हेम बरुआ** : बर्मा शेल ने किस निश्चित आ ार पर तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता बढ़ाने की अनुमति सरकार से मांगी थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वे सोचते थ और अब भी सोचते हैं कि देश में उपभोग बहुत अधिक बढ़ गया है, शायद लगभग १ करोड़ ४० लाख टन तक पहुंच गया है और तेल शोधक कारखानों की क्षमता उतनी नहीं है। इसलिए यदि सरकार उन्हें विस्तार के लिए अनुमति दे दे, तो वे कुछ विदेशी मुद्रा बचा लेंगे।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच है कि इसके लिए सारी पूंजी लगभग ६॥ करोड़ रुपया वे ही इकट्ठा करेंगे और इस में विदेशी मुद्रा का कोई प्रश्न नहीं है ? यदि हां, तो स बात को देखते

---

†**मूल अंग्रेजी में**

हुए कि सालाना ४ करोड़ रुपये की बचत होगी सरकार ने किस कारण से इन लोगों को विस्तार करने की अनुमति नहीं दी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बर्मा शैल ने जो शर्तें रखी थीं उन में से एक यह भी थी । इस सारे मामले पर संपूर्ण रूप से विचार करना होगा अर्थात् इस तेल शोधक कारखाने की विस्तार क्षमता देने के लिए सभी पहलुओं पर हमें विचार करना है । बर्मा शैल के इस अनुमान से हम सहमत नहीं होते कि देश में पेट्रोलियम वस्तुओं की खपत इतनी अधिक होगी कि हमें उन्हें उतनी क्षमता अवश्य देनी चाहिये जितनी वे चाहते हैं ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या बर्मा शैल ने हमारा देशी कच्चा तेल साफ करना मंजूर कर लिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम अब भी इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री गोरे** : क्या इसका यह मतलब है कि अगले पांच वर्षों में किरासीन और ल्यूब्रिकेटिंग तेल की सारी खपत स देश में अपने निजी उत्पादन से ही पूरी की जा सकती है ?

†**श्री च० द० पांडे** : डीजल भी, यदि संभव हो ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं । किरासीन और डीजल की खपत इस दर से बढ़ रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक हमें कुछ मात्रा आयात करनी पड़ेगी ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि एक टन तेल साफ करने के लिए बर्मा शैल केवल ५० रुपया लेती है जब कि सरकारी क्षेत्र में हमें लगभग २०० रुपया खर्च करना पड़ता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे मालूम नहीं; मुझे उसका उत्तर देने से पहले हिसाब लगाना पड़ेगा और सारे आंकड़े इक ् करने होंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकारी क्षेत्र में जो तीन तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का विचार है उनकी क्षमता ४७.५ लाख टन होगी । क्या इन तेल शोधक कारखानों के विस्तार का कोई कार्यक्रम है या अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक और तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमें पहले सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने बनाने होंगे जैसा कि हम कर रहे हैं । उचित समय पर उन का विस्तार करने की ोजनाएं भी हैं । जब मैं यह सब कहता हूं तब तेल शोधक कारखाने चालू हो जाने के बाद आगे चल कर उनके विस्तार की योजना भी हमारे दिमाग में है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि खम्भात का कच्चा तेल साफ करने के बारे में हम बर्मा शैल से बातचीत कर रहे हैं, क्या उसने खम्भात का तेल साफ करने के इस प्रस्ताव के साथ तेल शोधन क्षमता बढ़ाने की योजना जोड़ दी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । चूंकि बातचीत के विषय का यह एक हिस्सा है, इसलिए मैं अभी ब्यौरा बताना पसन्द नहीं करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

\+

†*१२२३. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री नथवानी
श्री मुरारका :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी के तेल शोधक कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) प्रायोजना रि र्टि का ब्यौरा अभी तक निश्चित नहीं किया गया है क्योंकि इस विषय में अभी ंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और रूसी विशेषज्ञों के बीच बातचीत चल रही है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : पिछली बार भी यही उत्तर दिया गया था। इतनी देर होने के क्या कारण हैं और वह कब तक निश्चित हो जायगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैंने अपना उत्तर बदला नहीं है क्योंकि बातचीत और चर्चा अब भी जारी है और हम तथा रूसी विशेषज्ञ विस्तृत प्रायोजना पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले कुछ दिनों में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे।

†श्री वी० चं० शर्मा : क्या रूसी विशेषज्ञ कोई निर्णय करने के लिए हमारे तकनीकी कर्मचारियों से या इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के निदेशकों से मिल रहे हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे मालूम नहीं कि कौन कौन से कर्मचारी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इंडियन रिफा नरीज लिमिटेड की जांच करनी होगी। लेकिन हम समझते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपने विशेषज्ञों के दल के साथ उनसे मिल रहे होंगे।

†श्री नथवानी : क्या स्थान चुनने के लिए किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया था और यदि हां, तो कितनी बार ?

†श्री के० दे० मालवीय : विदेशी विशेषज्ञों को केवल स्थान चुनने के लिए ही नहीं बुलाया गया था। स्थान का चुनाव हमारे लोगों ने किया था। बाद में जब कुछ विशेषज्ञ और दूसरे काम के सम्बन्ध में यहां आये तो उनकी राय भी ली गयी।

†श्री मुरारका : माननीय मंत्री ने बताया कि परियोजना रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है और अगले कुछ दिनों में वह तैयार हो जायगी। स्थान को समतल आदि बनाने और

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण के लिए इस विशिष्ट परियोजना पर अभी तक कितना खर्च किया जा चुका है और क्या विस्तृत रिपोर्ट तैयार किये बिना ही आगे बढ़ना ठीक है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वास्तव में, जमीन को समतल बनाने और उसे ऊंचा करने का तेलशोधक कारखाने की परियोजना के स्वरूप में परिवर्तन या रद्दोबदल करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यह ठीक है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के अन्तिम कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं। उसके लिए मैं नहीं समझता कि खर्च में किसी बुनियादी रद्दोबदल की जरूरत पड़ेगी।

†**श्री जगन्नाथ राव :** क्या चुना गया स्थान भूकम्प-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है ताकि बाद में चल कर निर्माण खर्च बढ़ न जाये ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर उत्तरी प्रदेश भूकम्प-क्षेत्र में हैं। यद्यपि वे भूकम्प-क्षेत्र में आते हैं फिर भी अपना काम करने के लिए हमें कोई हल अवश्य ही ढूंढना पड़ेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** दिसम्बर २३ के एक सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, १९६० तक प्राप्त हो जायगी और १० लाख टन वाला पहला यूनिट अक्तूबर-दिसम्बर, १९६२ तक चालू हो जायगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिलने में देर होने के कारण क्या समय-सूची में कोई रद्दोबदल किया जायगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिलने में कुछ हफ्तों की देर के कारण योजना का पहला दौर कार्यान्वित करने में देर करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कुछ भारतीय प्रशिक्षार्थियों को तेलशोधक कारखाने कायम करने, उन्हें चालू करने तथा चालू रखने के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए रूस भेजने का विचार था। क्या उन्हें भेजा जा चुका है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां, वे शायद कल चले गये होंगे या आज जा रहे होंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्पादन का क्या ढंग होगा ? क्या इस परियोजना रिपोर्ट से मूल ढंग पर कुछ असर पड़ेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वास्तव में इन दिनों उत्पादन के क्रम पर ही चर्चा हो रही है। कच्चे तेल की किस्म के कारण शायद कुछ परिवर्तन करने पड़ें। लेकिन हम कोई फेरफार टालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब ब्यौरा तैयार किया जा चुका है और विस्तृत सिफारिशों पर कायम रहना हमारे लिए अधिक आसान होगा। यदि ब्यौरे में कुछ त्रुटियां हों तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का संक्षिप्त परिचय

+

*१२२४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० सामन्तसिंहार :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की संक्षिप्त जीवनियां प्रकाशित करने की योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) स्वयं केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या किया है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को कितना-कितना अनुदान देने का आश्वासन दिया गया है ; और

(घ) उन आश्वासनों पर अब तक कहां तक अमल हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों ने काम शुरू कर दिया है। बाकी राज्य सरकारों से मामला चल रहा है ।

(ख) भारत सरकार ने आम तौर पर सूचियां बनाने और काम के क्षेत्र के बारे में राज्य सरकारों को सलाह दी है । जब सभी राज्य सरकारों के पास बुनियादी सामग्री हो जायेगी, भारत सरकार एक इकट्ठी सूची निकालने के बारे में विचार करेगी ।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों को अनुमोदित खर्च की ३३ % प्रतिशत वित्तीय मदद देने का फैसला कर लिया गया है । यह सूचना राज्य सरकारों को दी जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि किसी निश्चित अवधि के अन्दर इस कार्य को समाप्त कर दें क्योंकि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । लेकिन हमें आशा है कि दो साल के अन्दर काम पूरा हो जायगा । कुछ राज्य सरकारों ने बताया है कि वे दो साल के अन्दर पूरा कर सकेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि इस सूची को तैयार करते समय केवल अहिंसक आन्दोलन के सैनिकों का ही परिचय न दिया जाए बल्कि जिस किसी ने भी देश के लिए कुर्बानियां की हैं उन सब को इसमें सम्मिलित किया जाए ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वास्तव में वह सुझाव उससे अधिक विस्तृत है । जिस किसी ने भी राष्ट्रीय जागृति के लिए काम किया है चाहे वह राजनीति, सामाजिक उन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन सभी के नाम शामिल किये जायेंगे ।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इस सूची का सवाल है क्या इसके लिए कोई समय की अवधि भी निर्धारित की गयी है कि सन् १९२० से अब तक के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा या सन् १८५७ तक के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** जी नहीं । ` सूचियां १८७८ से शुरू होंगी । वह तारीख इसलिए चुनी गयी कि विनियम ३ की, जो उस ढंग का पहला राजनैतिक अधिनियम था, वही तारीख थी । जहां तक हम जानकारी कट्ठी कर सकते हैं, १८१८ से १९४७ तक भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के नाम इस सूची में दर्ज किये जायेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने विभिन्न जेलों के ता ीख रजिस्टरों के उन पृष्ठों को संभाल कर रखने की ओर जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, डित मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं के उस समय के हस्ताक्षर जब कि वे जेल में गये और उन्हें रिहा किया गया, ध्यान दिया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह राज्य सरकारों को मालूम होगा । मैं समझता हूं कि इस विषय में जो भी संभव होगा वह वे करेंगे ।

राजा महेन्द्र प्रताप : बहुत से लोग जो विदेशों में काम कर रहे थे उनके बारे में आपने अभी तक मालूमात हासिल नहीं की हैं । मुझे अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि आपके साथ कौन-कौन थे । मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में आप क्या कर रहे हैं । उनका हवाला भी इसमें दिया जाएगा या नहीं ?

श्री हुमायून् कबिर : स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि जहां तक मुमकिन हो हर एक का नाम इसमें शामिल कर लें और मुझे उम्मीद है कि यू० पी० गवर्नमेंट जरूर आनरेबिल मेम्बर से इस बारे में पूछेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र द्वारा शासित इलाकों में इस किस्म का कोई काम किया जा रहा है और उसके सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जी हां । सभी राज्य क्षेत्रों को इस तरह की सूचियां बनाने के लिए कहा गया है ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में बताया गया है कि मद्रास जैसे राज्यों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है । क्या केन्द्रीय सरकार श्री निवास आयंगार और सत्यमूर्ति जैसे तथा दूसरे विधान सभा-राजनीतिज्ञों के जीवन चरित्र विभिन्न राज्यों द्वार तैयार किये जाने की प्रतीक्षा न कर स्वतः तैयार करेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। प्रारम्भिक सूचियां राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जायेंगी ।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने वास्तव में स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया हो और जिसे व्यक्तिगत अनुभव हो, इस कार्य से सम्बन्धित है ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** प्रत्येक राज्य सरकार अपनी निजी कार्य प्रणाली कायम कर रही है । मुझे विश्वास है कि वे इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे ।

†**श्री तिरुमल राव : क्या केन्द्रीय सरकार ने सवाल के इस पहलू की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है ?**

†**श्री हुमायून् कबिर : यह बिल्कुल स्पष्ट बात है । मैं नहीं समझता कि वह करना मेरे लिये आवश्यक है । राज्य सरकारों के साथ इस की चर्चा की गयी है ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

राजा महेन्द्र प्रताप : क्या नेता जी की फौज के बारे में आप जनरल शाहनवाज खां साहब से दरयाफ्त कर रहे हैं, उन के पास तो पूरी लिस्ट होनी चाहिये ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं राज्य सरकारें सभी प्रकार की संभव पूछ-ताछ कर रही हैं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुल्क के मौजूदा हालात के पेशे नजर यह जरूरी नहीं है कि आजादी के हर मुजाहिद की चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो छोटी-छोटी सवान उम्रियां छाप कर लोगों में तकसीम करायी जायें ताकि लोगों को मालूम हो कि आजादी की जंग में हम सब एक साथ थे ।

श्री हुमायून् कबिर : यह जाहिर है कि जब सूचियां तैयार की जायेंगी तब उस में सभी जातियों के सभी लोगों को शामिल किया जायेगा क्योंकि सभी जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सहयोग दिया है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं । हम बहुत लम्बे समय से यह कह रहे हैं कि ये जीवन चरित्र संकलित किये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कहते हैं कि दो साल में हो जायेगा ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या उन लोगों के नाम जो विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये वास्तव में काम करते रहे, शामिल किये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** राजा महेन्द्र प्रताप ने भी वही सवाल पूछा था ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं उस सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूं ।

श्री जगदीश अवस्थी : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, इस इतिहास में सन् १८८० के बाद .....

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने कहा था सन् १८१८ के बाद ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इन जीवन चरित्रों में उन लोगों की जीवनियां भी शामिल की जायेंगी जिन्होंने गोआ स्वाधीनता आन्दोलन में, जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक अंग है, भाग लिया था ?

†**श्री हुमायून् कबिर:** यह विचारणीय विषय है । अभी मैंने इस विशिष्ट विषय पर विचार नहीं किया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, ब्रिटिश प्रान्तों में जो आन्दोलन चल रहा था, उस के समानान्तर ही देशी रजवाड़ों में प्रजा मंडलों के नेतृत्व में चलाये जाने वाले आन्दोलन में भाग लेकर जिन लोगों ने कुर्बानियां कीं, क्या उनको भी इस में सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह स्पष्ट है कि जिस किसी ने भी भारतीय संघ में रहने वाले लोगों की स्वतन्त्रता के लिये किसी भी संग्राम में भाग लिया उनके नाम इस सूची में शामिल किये जायेंगे ।

---

†मल अंग्रेजी में

इस्पात बोर्ड

+

†*१२२५. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआ :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के उत्पादकों, वितरकों और उपभोक्ताओं ने ब्रिटेन के इस्पात बोर्ड के समान एक संगठन की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). ब्रिटेन में इस्पात बोर्ड की तरह एक नया संगठन बनाने का सुझाव दिया गया है। सरकार भविष्य की समस्याओं का सामना करने के लिये आवश्यक सगठन के ढ़ंग के प्रश्न पर जांच पड़ताल कर रही है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : यदि उस प्रकार के इस्पात बोर्ड की कोई योजना न हो तो गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में समन्वित कार्यवाही की क्या योजनायें हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : वह समन्वित कार्यवाही आज भी हो रही है। लोहा और इस्पात नियंत्रक उत्पादन के आयोजन के लिये मुख्यतः जिम्मेदार होता है। फिर एक कच्चा समिति भी है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और कच्चे माल की सप्लाई के बारे में सवाल हल करते हैं। इस लिये समन्वय पहले ही से है लेकिन यदि और कोई कार्यवाही आवश्यक समझी गयी तो अवश्य की जायेगी।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी उस में नियुक्त किये जाते हैं और यदि नहीं तो क्या वे नियुक्त किये जायेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां। उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि इस्पात सलाहकार समितियों में नियुक्त किये जाते हैं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या कीमतों और दूसरी बातों के बारे में राज्यों की राय सामने रखने के लिये राज्यों के प्रतिनिधि भी रखे जाते हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि कीमतों के सम्बन्ध में राज्यों के प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, उत्पादकों को भुगतान के लिये मूल्य प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) की सलाह पर निर्धारित किया जाता है। उपभोक्ता से क्या मूल्य लिया जाय यह तो नीति का स्थूल विषय है और वह कीमतें कई सालों से निर्धारित हुई हैं। केवल शीट को छोड़ कर और किसी मामले में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : प्रबन्ध के बारे में फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा पेश की गयी रिपोर्टों को देखते हुए क्या इस्पात नियंत्रक न केवल उत्पादन का आयोजन करते हैं बल्कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इन इस्पात कारखानों के प्रशासन और प्रबन्ध का भी आयोजन करते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अमरीकी दल या और किसी दल की सिफारिश से इसका कोई संबंध नहीं है। लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्य सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्रों में कारखानों के प्रबन्ध से संबंधित नहीं है। लेकिन यह सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी विशेष कारखाने को किसी एक खास समय पर किसी खास तरह की वस्तुयें बनाने के लिये आदेश कर सरकार के विनियमनकारी कार्य करता है । जब मैंने पहले आयोजन का उल्लेख किया तब यही मुख्य कार्य था।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में इन इस्पात कारखानों के कुशल प्रबन्ध और प्रशासन के लिये इस्पात बोर्ड का सुझाव दिया गया है, क्या इस्पात नियंत्रक के अधीन हम उस कुशल प्रबन्ध तक जिसकी इस्पात बोर्ड के अधीन कल्पना की जाती है, पहुंच रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग में दिया गया सुझाव ठीक नहीं है। इसलिये दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता ।

दण्डकारण्य परियोजना के लिये ट्रैक्टर

†*१२२६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाने दण्डकारण्य परियोजना को ट्रैक्टरों का संभरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) ठीक उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३८**]

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि शेष १७ ट्रैक्टर संभरित नहीं किये जा सके क्योंकि दण्डकारण्य प्राधिकारियों द्वारा 'रेडिएटर,' और 'क्लच' उपलब्ध नहीं किये गये हैं। सभव है कि उन्हें इस समय इन ट्रैक्टरों की जरूरत भी न हो। अतः ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि जिन आयुध कारखानों में रेडियेटरों और क्लचों की आवश्यकता है, वहां पर उन के अपने ही 'रेडियेटर' और 'क्लच' हों। विशेषतया पजाब में तो इसकी अधिक आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो केवल एक सुझाव है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से ज्ञात होता है कि आर्डर को पूरा करने में विलम्ब होने का प्रथम कारण यह था कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा आर्डर दो महीने देर से दिया गया था और दूसरा कारण यह था कि इस्पात की अपेक्षित मात्रा की प्राप्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : हम हर प्रकार की संभव कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि विवरण में बताया गया है, सब से अधिक कठिनाई इन ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में हुई है, जिन के पुर्जे दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। उन पुर्जों के प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को संभरित किये गये ट्रैक्टरों में तथाकथित त्रुटियों के बारे में जांच करने के लिये एक वरिष्ठ प्रविधिक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो क्या जांच कार्य पूरा हो गया है और क्या यह ज्ञात हो गया है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की लापरवाही के कारण ही ये खराबियां पैदा हुई थीं ?

†श्री रघुरामैया : यह सच है कि एक प्रविधिक विशेषज्ञ ने जांच प्रारम्भ की है और जांच कार्य अभी तक चल रहा है।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या आयुध कारखानों में ट्रैक्टरों के उत्पादन से टैंकों के निर्माण में देर लग रही है जिन के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने वास्तव में एक करार कर लिया है ?

†श्री रघुरामैया : मुझे ज्ञात नहीं है।

†श्री जगन्नाथ राव : क्या आयुध कारखानों में रेडिएटर और क्लच तैयार नहीं किये जा रहे हैं ?

†श्री रघुरामैया : वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ मामलों में उन्हें इंजनों की मरम्मत की आवश्यकता थी। उन्हों ने बिना रेडियेटरों और क्लचों के ही इंजन भेज दिये थे, क्योंकि वे जल्दी में थे। हम ने नये ट्रैक्टरों से रेडियेटर और क्लच निकाल कर उन इंजनों में लगा दिये थे और वे उन के हवाले कर दिये थे। अब वे रेडियेटर और क्लच हमारे पास वापस आने चाहियें, और हम उन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री मुरारका : विवरण के भाग (ग) में यह बताया गया है कि जहां तक ज्ञात हुआ है, इस आर्डर पर परियोजना को जितने भी ट्रेक्टर संभरित किये गये हैं, उनमें से अभी तक किसी का भी उपयोग नहीं किया गया है। अभी तक ५८ ट्रेक्टर संभरित किये गये हैं। उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। क्या इसका कारण यह है कि उनमें कोई त्रुटियां हैं या कि कारण यह है कि वहां ट्रेक्टरों के लिये कोई काम ही नहीं है ?

†श्री रघुरामैया : इसका उत्तर तो दण्डकारण्य प्राधिकार ही दे सकता है। परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है इसका कारण यह है कि उनके इस्तेमाल के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है।

†श्री मुरारका : ट्रेक्टर चलाने के लिये तो ड्राइवर ही काफी है, उसके लिये प्रविधिक कर्मचारियों की क्या जरूरत है ? मैं समझ नहीं सका कि ५८ ट्रेक्टर बेकार क्यों पड़े हुए हैं ? क्या किसी खराबी के कारण तो वे नहीं पड़े हुए ?

†श्री रघुरामैया : मैंने पता करने के बाद ही उत्तर दिया है। यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो वे सम्बन्धित मंत्री से प्रश्न पूछें।

†श्री तंगामणि : ५८ ट्रेक्टरों में से इस समय कितने ट्रेक्टर इस्तेमाल किये जा रहे हैं ?

†श्री रघुरामैया : इसके लिये अलग प्रश्न की सूचना भेजी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अजित सिंह सरहदी : १७ ट्रेक्टर अभी तक अपूर्ण अवस्था में । यदि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को उसकी जरूरत नहीं तो आयुध कारखाने उन ट्रेक्टरों को अपनी ओर से तैयार करके स्वयं बाजार में क्यों नहीं बेच देते ?

†श्री रघुरामैया : मैं पहले ही समझा चुका हूं कि हम रेडियेटरों और क्लचो की इन्तजार कर रहे हैं। उनके प्राप्त होते ही हम उन ट्रेक्टरों को पूरा कर देंगे।

†श्री तंगामणि : वहां भेजे गये ५८ ट्रेक्टरों में से कितने ट्रेक्टर काम में लाये जा रहे हैं और कितने निकम्मे पड़े हुए हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : वे कई बार इसका उत्तर दे चुके हैं। श्री मुरारका के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि वे ट्रेक्टर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण बेकार पड़े हैं। उससे अधिक जानकारी के लिये उन्होंने कहा है कि प्रश्न सम्बन्धित मंत्री से पूछा जाये ।

दिल्ली में मकान का गिरना

†*१२२७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६० में मकान गिरने से दिल्ली में तीन व्यक्ति मर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम ने इन मकानों को खतरनाक घोषित कर रखा था ;

(ग) ऐसे मकानों की संख्या कितनी है, जिनमें रहना खतरनाक घोषित किया गया है ; और

(घ) इन मकानों की मरम्मत आदि के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां । एक दीवार के गिर जाने से ।

(ख) उक्त मकान का एक भाग खतरनाक घोषित कर दिया गया था और उसे गिरा दिया गया था । जिस दीवार का भाग गिरा है, उसे खतरनाक नहीं समझा गया था ।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार ५१६ मकान खतरनाक हैं ।

(घ) निगम द्वारा १५० मकान गिरा दिये गये हैं। १५० मकान मालिकों/रहने वालों द्वारा गिरा दिये गये हैं। २१६ मकान मालिकों/रहने वालों द्वारा मरम्मत कर दिये गये थे ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लायी गई है कि अभ्यावेदनों के बावजूद भी कई मकान मालिक अपने मकानों की मरम्मत नहीं करवा रहे हैं ; यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री दातार : मकान मालिकों को नोटिस दे दिये जाते हैं; यदि वे समय पर मरम्मत नहीं करवाते तो दिल्ली नगर निकम के पास ऐसी पर्याप्त शक्ति है जिससे वह मालिकों के खर्च पर ही उनके मकानों को गिरवा सकता है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मकान गिराने से जो व्यक्ति बेघर हो गये हैं क्या सरकार ने उन्हें कोई और स्थान आवंटित किया है ?

†श्री दातार : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी: क्या सरकार उन बेघर व्यक्तियों को कोई और स्थान देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बता दिया है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

इस्पात कारखानों के प्राक्कलन

+
†*१२२८. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, संयंत्रों के पुनरीक्षित प्राक्कलन एक समान आधार पर तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). पुनरीक्षित प्राक्कलन अभी तैयार किये जा रहे हैं और वे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस सम्बन्ध में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कोई प्रस्थापना भेजी है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : उन प्रस्थापनाओं के प्राप्त होने पर अन्तिम प्राक्कलन सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे अभी तक पूरी प्रस्थापनायें प्राप्त नहीं हुई हैं । हम उससे पत्र व्यवहार कर रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

†श्री यादव नारायण जाधव : श्री एम० ए० मास्टर द्वारा अपनी पुस्तक "रिसोर्सेज़ फ़ार दि थर्ड प्लान" में कही गई इस बात में कहां तक सचाई है कि तीनों इस्पात कारखानों के लिये मूल प्राक्कलन ३०० करोड़ रुपयों के थे और एक ऐसा अनुमान है कि उन पर ६२० करोड़ रुपयों से अधिक खर्च होगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जब वे कारोबार प्राक्कलन सभा-पटल पर रखे जायेंगे उस समय माननीय सदस्यों को आंकड़ों की तुलना करने का अवसर प्राप्त होगा ।

†श्री मुरारका : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की अन्तिम रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि प्राक्कलन ५५९ करोड़ रुपयों से बढ़ कर ६०५ करोड़ रुपये हो गये हैं । उसमें यह भी लिखा है कि ये प्राक्कलन 'एस्केलेशन' खण्ड पर निर्भर करते हैं । क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि इस खण्ड का कितना असर पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह: इस खण्ड से भी कुल खर्च में वृद्धि हो जायेगी, परन्तु उसकी राशि इस समय नहीं बता सकता।

†श्री मुरारका : एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि इस खण्ड से संभवतः १० प्रतिशत खर्च बढ़ जायेगा क्या उनके मतानुसार १० प्रतिशत तक ही वृद्धि होगी या कि उस अनुमान में और अधिक वृद्धि होगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यदि मैंने वैसा कहा था तो वह मेरा अनुमान था। मैंने अभी तक इस बात का परीक्षण नहीं किया है कि क्या वह अनुमान ठीक था या नहीं। सभा-पटल पर पूरे आंकड़े रखने के बाद उनका परीक्षण किया जा सकेगा। इस समय उस बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है।

†श्री मुरारका : जहां तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है, उसे एक "टर्न की" कार्य समझा गया था, परन्तु उसके प्राक्कलन भी कई गुणा बढ़ गये हैं। जहां तक उसके सिविल इंजीनियरिंग कार्य का सम्बन्ध है, उसके प्राक्कलन ११ करोड़ रुपये से बढ़ कर २५ करोड़ रुपयों तक हो गये हैं। जब यह केवल एक "टर्न की" कार्य है, तो फिर इसके प्राक्कलनों में इतनी अधिक वृद्धि कैसे हो गयी है?

†सरदार स्वर्ण सिंह : दुर्गापुर के सम्बन्ध में यह सच है कि उनके प्राक्कलनों में वृद्धि हो गयी है और यह भी सच है कि अधिकांश वृद्धि सिविल इंजीनियरिंग के कारण ही हुई है। 'टर्न की' कार्यों में भी पहले अस्थायी रूप से अनुमान लगाया जाता है। परन्तु भूमि की स्थिति तथा कुछ अन्य कारणों से सिविल कार्यों की मात्रा में वृद्धि हो जाने से लागत में भी वृद्धि हो जाना स्वभावित है।

†श्री नथवानी : इस बात की जांच करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है कि प्राक्कलन में वृद्धि न्यायोचित है?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इसके लिये तो वही सामान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा खर्चों को नियमित किया जाता है। अर्थात इंजीनियरों और लेखापालों को सदा इस बात का विनिश्चय करना पड़ता है कि जो भी खर्च किया जाये वह न्यायोचित हो। इस समय जो प्राक्कलन दिये जा रहे हैं, उन में तो होने वाले खर्चों का केवल जोड़ किया जा रहा है। इस समय जो आंकड़े दिये जायेंगे वे सामान्यतया वास्तविक ही होंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि छोटे से छोटे मामलों पर होने वाले खर्च भी इस सभा के द्वारा ही पास कराये जाने चाहियें। प्रारम्भ में मोटे तौर पर कुछ अस्थायी प्राक्कलन तैयार कर लिये जाते हैं जो कि बाद में कई करोड़ रुपयों तक बढ़ जाते हैं; उन बढ़े हुए प्राक्कलनों को पास करने या अस्वीकार करने का इस सभा को अवसर मिलता ही नहीं। मैं गंभीरता से इस सम्बन्ध में विचार कर रहा हूं कि यदि मूल प्राक्कलन में १० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जाये और सभा को उस पर विचार करने का अवसर न मिले तो हमारे यहां बैठने से क्या लाभ है।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं आप के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि जब भी मूल प्राक्कलनों में वृद्धि हो, तो सभा को उन पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिये और सरकार न तो केवल इस मंत्रालय के सम्बन्ध में अपितु सभी मंत्रालयों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध होने पर सभा को शीघ्र ही सूचित करने का यत्न करती है। इसके अतिरिक्त देखरेख में प्राक्कलन

†मूल अंग्रेजी में

समिति और लोक लेखा समिति आदि समितियां भी हैं जो कि सदा इन मामलों की जांच करती रहती हैं। फिर माननीय सदस्य प्रश्नों के दौरान में भी हम से ये सभी बातें पूछते हैं और हम उत्तर के रूप में वास्तविक स्थिति सभा के सामने पेश करते हैं। हम सभी सुझावों का स्वागत करने का यत्न करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो क्या मैं आशा कर सकता हूं कि भविष्य में सभी पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राक्कलन समिति के सामने पेश किये जाया करेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बड़ी परियोजनाओं, जैसे इस्पात कारखानों, बांध आदि के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्राक्कलन नामक की कोई वस्तु नहीं है। जिस समय कोई परियोजना प्रारम्भ की जाती है, उस समय इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारी भूमि की स्थिति तथा अन्य बातों पर विचार करने के बाद खर्च के सम्बन्ध में स्थायी प्राक्कलन तैयार करते हैं। इस बात का सदा ध्यान रखा जाता है कि सभा को सूचित कर दिया जाये कि ये आंकड़े कुछ एक तत्वों पर आधारित हैं। परन्तु ज्यों ज्यों काम होता जाता है, यह ज्ञात होता है कि जिन तत्वों के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये गये थे, उन में अन्तर आ गया है उसी के परिणामस्वरूप खर्च में वृद्धि हो जाती है। मैं समझता हूं कि प्राक्कलन तैयार करते समय सरकार से और मंत्री से परामर्श भी नहीं लिया जाता क्योंकि ये सभी प्रविधिक बातें हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक उपाय नहीं होगा कि हम प्रत्येक प्रविधिक मामले में पहले सभा के पास आयें और तब तक उस कार्य को रोके रखें जब तक कि सभा से उनके लिये राशि की मंजूरी न प्राप्त हो जाये। यदि हो जाये तो हम अपने कार्य को गति से कार्यान्वित नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि यह उपाय व्यावहारिक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हों और खर्च को १० प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाया जाये, तो वे प्राक्कलन सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो भी वे सभा में अवश्य प्रस्तुत किये जाने चाहियें। अब जहां तक व्यावहारिकता का सम्बन्ध है, सभा में पहले सांकेतिक रूप में थोड़ी सी राशि मंजूर करा ली जाती है जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है और प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय भी इस सम्बन्ध में असमर्थ हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, नहीं। यह बात नहीं कि सांकेतिक रूप में थोड़ी सी राशि मंजूर करा ली जाती है और फिर वह निरन्तर बढ़ती जाती है। वास्तव में स्थिति यह है कि कभी कभी प्राक्कलनों में वृद्धि हो जाती है, परन्तु वित्त मंत्रालय उन प्राक्कलनों का ध्यान पूर्वक परीक्षण करता है और वे परियोजनायें तब तक कुछ भी खर्च नहीं कर सकतीं जब तक कि वित्त मंत्रालय उनके लिये अनुमति न दे।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर इस सभा की क्या स्थिति है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सभा के सामने तो यह सामान्य रूप से आता है। यदि हम प्रतिदिन मंजूरी के लिये सभा के सामने आने लगें, तो किसी परियोजना को चलाना सम्भव ही न हो सके। और वास्तव में ऐसा करना सम्भव भी नहीं है। मैं ये बातें सभा के प्रति आदर भाव रखते हुए कह रहा हूं। यदि हमें प्रत्येक राशि की मंजूरी के लिये यहां आना पड़े तो प्रशासन चलाना ही असम्भव हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शान्ति। यह नहीं समझना चाहिये कि मैं कोई अनुचित सुझाव दे रहा हूं। मैं ने तो १० प्रतिशत की वृद्धि के मामलों के सम्बन्ध में कहा है। उदाहरणार्थ, यदि १४६ करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि का खर्च किया गया है, तो क्या सभा को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इतनी अधिक राशि बिना सभा के सामने पेश किये ही क्यों खर्च कर दी गयी है?

†**श्री मोरारजी देसाई :** सभा को निश्चित रूप से यह जानना चाहिये। परन्तु जिस समय कोई परियोजना चालू है और उस दौरान में यदि खर्च बढ़ाने की आवश्यकता हो तो हम तत्काल सभा के पास नहीं आ सकते। क्योंकि वैसा करने से काम रुक जायेगा। इसलिये पहले से ही स्वीकृत राशि में वृद्धि करने के लिये सभा के पास आना व्यावहारिक न हो सकेगा।

†**श्री त्यागी :** इसका सब से अच्छा उपाय स्थायी वित्त समिति है।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले एक स्थायी वित्त समिति थी जिस में परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशियों और वृद्धियों के सभी मामलों के बारे में विचार किया जाता था। मैं माननीय वित्त मंत्री के परामर्श से कोई ऐसा तरीका निकालूंगा जिससे प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति इन बातों पर विचार कर सकें कि परियोजनाओं की प्रगति पर भी कोई बरा असर न पड़े।

इस्पात कारखाने

+

†*१२२६. { **श्री नथवानी :**
{ **श्री मुरारका :**

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों इस्पात कारखानों में कौन से विभिन्न उत्पादन एकक ऐसे हैं, जो संतोष-जनक सिद्ध हुए हैं और जिन्हें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ठेकेदारों से अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) ऐसे कौन से एकक हैं, जो पूरे हो चुके हैं किन्तु जिन्हें अभी हाथ में नहीं लिया गया; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**

†**श्री नथवानी :** यूनिटों को अपने हाथ में ले लेने के बारे में कौन निर्णय करता है? क्या यह निर्णय कम्पनी करती है या कि प्रविधिक परामर्शदाता?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसका निर्णय हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी करती है।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि इन में से कुछ एक यूनिटों को परामर्शदाताओं ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से परामर्श लिये बिना ही अपने हाथ में ले लिया था और बाद में उन्होंने देखा कि उन में काम बन्द हो गया है और उत्पादन कार्य कई सप्ताहों तक रुका रहा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो सामान्य सी बात कही जा रही है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में पूछें और मेरे पास जानकारी उपलब्ध हुई, तो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा।

†श्री मुरारका : मैं ७००० हार्स पावर की उस मोटर के बारे में पूछ रहा हूं, जिसे दुर्गापुर की एक विशेष मिल को चलाने के लिये इस्तेमाल किया गया था। परामर्शदाताओं ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सूचित किये बिना ही उस मशीन को एक अंग्रेजी निर्माण कम्पनी से खरीद लिया था। बाद में जब उस मशीन के खराब हो जाने पर हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ने जांच की तो ज्ञात हुआ कि परामर्शदाताओं ने उसे पहले ही खरीद लिया है और ठेकेदार उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इस मामले की जांच करूंगा। परन्तु सामान्य तरीका यह है कि हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ही इस बारे में निर्णय कर सकती है कि क्या किसी संयंत्र को अपने हाथ में लेना चाहिये या नहीं। यह सच है कि इन ठेकों के सम्बन्ध में कुछ एक प्रक्रियायें निर्धारित हैं, उदाहरणार्थ, यदि कोई इंजीनियर या परामर्शदाता यह प्रमाणित कर देता है कि किसी विशेष योजना का कोई भाग तैयार है और वह अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिये, तो ऐसा समझ लिया जाता है कि संयंत्र का वह भाग ले लिया गया है। परन्तु जब तक हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी अपने जनरल मैनेजर के द्वारा उसे अस्वीकार नहीं कर लेता तब तक उसे लेने का कार्य पूरा नहीं समझा जाता।

†श्री मुरारका : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने सभा को यह बताया था कि रूरकेला में आक्सीजन के संयंत्र में वाइब्रेशन पैदा होने से पाइप लाइन खराब हो गयी थी। माननीय मंत्री ने यह भी कहा था कि पाइप लाइन को पक्का कर दिया गया है। संयंत्र में वाइब्रेशन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य का दृष्टिकोण वाइब्रेशन के बारे में निराशाजनक है। माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन है कि वे स्वयं आकर देखें कि इसके सम्बन्ध में हम ने क्या क्या कार्यवाही की है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से यह ज्ञात होता है कि रूरकेला में अन्त में दो धमन भट्टियां, चार ओ० एच० भट्टियां और तीन एल० डी० कनवर्टर लिये गये हैं। बहुत से और यूनिटों को अभी तक नहीं लिया गया है और कोक भट्टी की प्रारम्भिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में केवल प्रारम्भिक स्वीकृति ही दी गयी है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि धमन भट्टियां और एल० डी० कनवर्टरों को तो अन्तिम रूप से ले लिया गया है, परन्तु कोक भट्टी बैटरियों की प्रारम्भिक प्रक्रिया को अभी तक छोड़ दिया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य का ध्यान विवरण में रूरकेला के अधीन प्रथम संख्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि "२ कोक भट्टी बैटरियां"। इन दो बैटरियों को ले लिया गया है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तो विवरण के अन्त में दी गयी बातों के बारे में पूछ रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी, हां । वहां की तीन कोक भट्टियों में से दो भट्टियां ले ली गयी हैं, और संभवतः तीसरी अभी तक नहीं ली गई है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के पृष्ठ २ में लिखा है :—

"अन्तिम स्वीकृति केवल दो धमन भट्टियों, चार ओ० एच० भट्टियों, तीन एल० डी० कनवर्टरों, विद्युत् संयंत्र और डोलोमाइट की ईंटों के संयंत्र के सम्बन्ध में दी गयी है ।"

कोक भट्टी उसमें सम्मिलित नहीं है ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : कोक भट्टियां तो उत्पादन कार्य कर रही हैं । अतः उनके कार्य न करने का प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता । उनके सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण परीक्षणों पर निर्भर करता है । जब तक परियोजना के प्राधिकारी उसके बारे में प्रमाण न दे दें, तब तक उन्हें स्वीकार करने के सम्बन्ध में हमें बाध्य न किया जाये ।

राजस्थान में कच्चे लोहे का कारखाना[1]

+

†*१२३०. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने की कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या सरकार उन गैर-सरकारी पार्टियों को, जो इस प्रकार का कारखाना स्थापित करने के लिए तैयार हैं, कोई सहायता प्रदान करेगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी, हां । गैर-सरकारी पक्ष का एक आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

(ख) गैर-सरकारी व्यक्तियों से उनके अपने संसाधनों पर निर्भर रहने की आशा की जाती है ।

†श्री मुरारका : क्या केवल एक ही आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है । यह गैर-सरकारी पक्ष राजस्थान में जो कारखाना लगायेगा, वह कारखाना कितना बड़ा होगा ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यह प्रश्न राजस्थान के बारे में है । राजस्थान से केवल एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ।

†श्री मुरारका : मैं प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता जानना चाहता हूं ।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : यह प्रस्थापना प्रति वर्ष ९०,००० टन कच्चा लोहा और छिद्रिष्ठ लोहा अथवा निर्यात करने योग्य किस्म का लोहा बनाने के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pig iron plant.

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सरकार को महेन्द्रगढ़ जिले में भी, जहां बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क पाया जाता है, एक ऐसा संयंत्र स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी सार्थों से कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य का सम्बन्ध उस जिले से है और उन्हें वहां से किसी को तैयार करना चाहिये था। मेरे पास किसी ठोस प्रस्तावों के साथ कोई नहीं आया है। ऐसा आभास मिला था परन्तु ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई।

†श्री नथवानी : प्रादेशिक भिन्नता की व्यापक नीति को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में बहुत कच्चा माल है, क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर संयंत्र लगाने के लिए कोई सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस प्रकार की सहायता की बात सोच रहे हैं। यदि यह सहायता धन के रूप में है, तो मैं यह कहूंगा कि यह अपेक्षित नहीं है क्योंकि या तो हमारे पास सरकारी क्षेत्र है या गैर-सरकारी क्षेत्र। एक अवसर पर, माननीय सदस्य ने कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यदि वह यह कहें कि हम उन्हें वित्तीय सहायता भी दें, तो हमारी यह नीति नहीं है।

भारतीय विद्यार्थियों के लिए विदेशी पुस्तकें

†*१२३१ { +श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री नंजप्प :

क्या शिक्षा मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए विदेशी पुस्तकें, विशेषतः चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें, सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करने की योजना पर विचार करने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): अमरीकी पुस्तकों के प्रकाशन का काम भारत स्थिति अमरीकी दूतावास ने भारत सरकार द्वारा सहमत शर्तों पर अपने हाथ में ले लिया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार का विचार इंजीनियरिंग जैसे अन्य प्रविधिक विषयों के बारे में भी पुस्तकें प्रकाशित करने का है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां। बुनियादी विज्ञान, मानवता, औषधि, कृषि, पशु-चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की जायेंगी।

†श्री नंजप्प : क्या सस्ते प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित की जाने वाली चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो क्या कोई भारतीय सार्थ उन के मुद्रण के लिये तैयार हो गयी है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : एक सूची तैयार की गयी है परन्तु यह निरन्तर काम है। हमें सूची को पुनरीक्षित करना पड़ेगा और इस में कुछ नाम जोड़ने पड़ेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या हम केवल अमरीकी साथों के साथ ऐसी बातचीत कर रहे हैं अथवा अन्य साथों के साथ भी हम पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : कुछ समय पूर्व मैं ने सभा को बताया था कि ब्रिटेन की सरकार ने भारत में इस्तेमाल के लिये कम मूल्य की पुस्तकें तैयार करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है। वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय विषयों संबंधी २३ पुस्तकें का प्रथम दल तैयार हो रहा है । ये पुस्तकें सामान्य मूल्य से एक-तिहाई मूल्य पर मिलेंगी । कुछ अमरीकी पुस्तकें भी तैयार हो रही हैं और अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जावेंगी।

डा० गोविन्द दास : ये जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, इन में पृष्ठ संख्या बराबर बराबर होगी या अलग अलग और इनकी कितनी कितनी कीमत होगी ? क्या अंग्रेजी में प्रकाशित होने के बाद इन पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाएगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इनकी किताबें वही हैं, और कोशिश यह की जा रही है कि एक तिहाई मूल्य में ये पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध हों। जहां तक हिन्दी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद का सवाल है, उसका कार्य भी अलग किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्ती एकक के लिए लोहा, इस्पात और स्टेनलेस स्टील

†*१२३२. श्री उस्मान अली खां : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९५८ के पश्चात् जो औद्योगिक बस्ती एकक स्थापित किया गया है, उसे लोहा, इस्पात और स्टेनलेस स्टील के आवंटन का आधार क्या है;

(ख) क्या वर्तमान आवंटन नीति से औद्योगिक बस्तियों के बहुत से कारखानों के बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है, और

(ग) स्थिति का सुधार करने के लिए सरकार का तत्काल क्या कदम उठाने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जाता एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में वर्ष १९५८ के बाद स्थापित की गयी औद्योगिक बस्तियों के लिये लोहा और इस्पता और स्टेनलैस इस्पात के आवंटन का कोई पृथक आधार नहीं है। सभी राज्यों के लिये लोहे और इस्पात के आवंटन का आधार समान है । कच्चे लोहे के आवंटन की कोई पद्धति नहीं है और सभी उपभोक्ताओं के इन्डेन्टों पर पूरा सम्भरण किया जाता है। अधिकांश श्रेणियों के बारे में भी इन्डेन्टों पर पूरा सम्भरण किया जाता है। तथापि, टीन की चादरें, तार और पतली चादरों का संभरण अभ्यंश प्रमाण पत्रों पर किया जाता है। बर्तन बनाने के लिये स्टेनलेस इस्पात की चादरों के अतिरिक्त औजारी और धातुमिश्रित इस्पात के लिये लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, वास्तविक उपभोक्ताओं को विभिन्न राज्यों के उद्योग निर्देशकों द्वारा सिफारिश पर

†मूल अंग्रेजी में

पूर्ण रूप से आयात लाइसेंस, जारी करते हैं। यद्यपि बर्तन बनाने के लिये स्टेनलेस इस्पात लोहा तथा इस्पात नियंत्रक आयातित भंडार में से उपलब्धता के अनुसार देते हैं, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक आयातित भंडार से उपलब्ध कुछ विशेष प्रकार का इस्पात भी छोटे पैमाने के उद्योगों को उद्योग निदेशकों द्वारा जारी किये गये आवश्यकता प्रमाणपत्रों के आधार पर देते हैं। उद्योग के निदेशकों की सिफारिश पर लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा कुछ कमी वाले इस्पात का आयात करने के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस जारी किये गये हैं।

यह सच नहीं है कि लोहा तथा इस्पात के बारे में आवंटन नीति से आन्ध्र प्रदेश में या अन्य किसी स्थान पर औद्योगिक बस्तियों में कई कारखानों के बन्द होने की आशंका है।

†**श्री उस्मान अली खां** : जैसा विवरण में बताया गया है, आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों को लोहा तथा इस्पात के आवंटन के बारे में नीति आश्वासनात्मक है। परन्तु स्टेनलेस इस्तपात के बारे में यह कहा गया है कि आवंटन उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि उपलब्धता की स्थिति क्या है क्योंकि यह कहा जाता है कि औद्योगिक बस्तियों की आवश्यकता का कुल एक प्रतिशत ही संभरण किया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि अभी भारत में स्टेनलेस इस्पात का उत्पादन नहीं होता है। अतः इसका आयात करना पड़ता है। सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा से हम स्टेनलेस इस्पात की पूरी आवश्यकता का संभरण नहीं कर सकते। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये हमारी सामान्य नीति यह है कि हम स्टेनलेस इस्पात की उन की पूरी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं से मेरा मतलब उन से है जो इसे कारखानों में और निर्माण केन्द्रों में इस्तेमाल करते हैं। परन्तु जहां पर स्टेनलेस इस्पात उपभोक्ता सामान अर्थात बर्तन बनाने के लिये इस्तेमाल होता है, हम उन को सारे इस्पात के लिये सहायता करते हैं परन्तु यह विदेशी मुद्रा की उपलब्ध पर सीमित है।

†**श्री उस्मान अली खां** : स्टेनलेस इस्पात का आवंटन वर्ष १९५८ के आधार पर किया जा रहा है। परन्तु ये कारखाने आन्ध्र प्रदेश में १९५८ के बाद स्थापित किये गये थे।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हम हर छटे महीने नीति की घोषणा करते हैं चालू नीति घोषित की जाने वाली है। माननीय सदस्य कुछ दिन ठहरें और फिर उन्हें स्वयं आंकडों का पता चल जायेगा।

†**श्री थानू पिल्ले** : यह आज के समाचार पत्र में घोषित किया गया है।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था कि देश में स्टेनलेस इस्पात संयंत्र और फैरो-धातुमिश्रित संयंत्र चालू किये जायेंगे और उचित स्थान चुने जायेंगे। उस समय यह महसूस किया गया कि भद्रावती लोहा कारखाने में प्रगति हुई है और वे स्टेनलेस इस्पात का नमूना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं : अतः यदि निर्माण योजना मैसूर लोहा तथा इस्पात करखाने को सौंपी जाये; तो इस में अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी और वे बिना अधिक विदेशी मुद्रा के फेरो-धातुमिश्रित कारखाना और स्टेनलेस इस्पात कारखान चालू कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक स्टेनलेस इस्पात और ऊंची किस्म के विशेष इस्पात का संबंध है, हमने फैसला कर लिया है और मैं ने सभा को सूचित कर दिया है कि दुर्गापुर में एक स्टेनलेस इस्पात और बढ़िया किस्म का विशेष इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा रहा है और वहां कार्य आरम्भ कर दिया गया है । उस संयंत्र के स्थापित करने में भारतीय परामर्शदाता हमें राय दे रहे हैं। उस में उत्पादन होने के बाद भी, हमारा अनुमान यह है कि स्टेनलेस इस्पात और विशेष इस्पात दोनों की देश की आवश्यकता अधिक होगी। अतः हम विशेष धातुमिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये क्षमता मंजूर करने के लिये भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाने समेत अन्य पक्षों से प्राप्त प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहे हैं। कुछ मामलों में हम स्टेनलेस इस्पात के लिये भी कुछ क्षमता मंजूर करेंगे ।

†श्री थानू पिल्लै : क्या औद्योगिक बस्तियों और में अन्य स्थानों पर नये एककों के बारे में वर्ष १९५८ की मूल अवधि समाप्त कर दी जावेगी और उन्हें उनकी मांग को पूरा करने के लिये कुछ अभ्यंश अथवा प्रतिशतता का आवंटन किया जायेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह विस्तार का विषय है कि आवंटन के लिये किस वर्ष के आंकड़ों को आधार माना जाये। माननीय सदस्य ने मुझे याद दिला दिया है कि आज प्रातःकाल के समाचार पत्रों में आयात के बारे में नीति की घोषणा की जा चुकी है । मुझे पता नहीं है कि यह घोषित की गयी है या नहीं। वह उस को पढें और यदि उन्हें फिर भी संतोष न हो, तो वे मुझ से मिलें। यदि उसमें कुछ कठिनाई हुई तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

†श्री नारायण स्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ते में एक वितरक, जिसको लगभग ३२ टन का आवंटन मिला है, मद्रास की एक फर्म से बिना किसी वाउचर के प्रति पौंड १२ आने अधिक मांगता है ? मेरे पास इस बारे में प्रमाण हैं।

†सरदार स्वर्ण सिंह : यदि उसने ऐसा किया है, तो उस ने अपराध किया है। यदि माननीय सदस्य मेरे को व्यौरा दें तो हम जांच करेंगे ।

†श्री हेम बरुआ : प्रश्न संख्या १२३४ महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर दिया जाये।

†श्री वाजपेयी : प्रश्न संख्या १२३२–क भी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर दिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ।

रूस से विमानों की खरीद

†*१२३२-क: श्री वाजपेयी :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री गु० के० जेधे :
श्री नलदुर्गकर :
श्री हेमराज :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल में रूस से विमान खरीदे हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मका व्योरा क्या है ;

(ग) ये विमान भारत में कब पहुंचेंगे ;

(घ) क्या सरकार ने इन विमानों के चालकों के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रबन्ध किये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड के लिये रूस से कई परिवहन विमान खरीदे गये हैं । इनमें से कुछ बड़े विमान हैं, कुछ सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड और परिवहन के लिये विमान बल के इस्तेमाल के लिये छोटे विमान हैं । कुछ हेलीकाप्टर भी खरीदे गये हैं । अभी तक कुल दो बड़े परिवहन विमान आये हैं । कुछ और बाद में आयेंगे ।

(घ) और (ङ). इन विशेष विमानों को चलाने के लिये भारतीय विमान बल के व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लि े रूस और भारत दोनों में व्यवस्था की गयी है ।

†**श्री वाजपेयी :** राज्य सभा में एक ऐसी ही प्रश्न का उत्तर देते हुये प्रधान मंत्री जी ने बताया था कि े विमान सामरिक क्षेत्र पर उड़ते हैं और उनमें रूसी चालक साथ रहते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि रूस से ये विमान खरीदने से पूर्व क्या अन्य मित्र देशों को भी भारत को विमान बेचने के बारे में कहा गया था ? मेरा मतलब उन देशों से है जिन्होंने भारतीय क्षेत्र को चीन का क्षेत्र दिखाने वाले हाल ही के चीनी नक्शे की नकल नहीं की ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ये विमान विदेशों में जांच पड़ताल करने पर और यह पता लगने पर खरीदे गये कि ये अधिक उप ुक्त हैं, सस्ते हैं और भुगतान का तरीका हमारे लिये लाभप्रद है क्योंकि उनका भुगतान व्यापारिक शर्तों पर किया जाता है और इसमें विदेशी मुद्रा निहित नहीं है । परन्तु मुख्य बात यह है कि वे अधिक ऊंची उड़ान के लिये उपयुक्त हैं और वे बढ़िया परिवहन विमान हैं जो अधिक भार ले जा सकते हैं । इन सब बातों के कारण और रूस सरकार की लाभप्रद शर्तों के कारण हमने इन्हें चुना । सा ी उड़ानें भारतीय वायु बल के व्यक्तियों द्वारा की जावेंगी । परन्तु प्रथम दो या तीन सप्ताहों तक उन्हें विशेष विमानों को चलाने में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है । इसमें बहुत पेचीदा मशीन है कौर जब तक हमारे चालक कुछ स्थानों में जैसे लेह में इनकी उड़ानें नहीं कर लेते, हम कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते । मैं नहीं समझता कि य लेह के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं, दो सप्ताहों या एक अवधि के बाद उनके साथ चलने वाले रूसी चालक और प्रवि ि ज्ञ वापस चले जा ेंगे ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या भारतीय चालकों को गैर-सामरिक क्षेत्रों पर ये विमान उड़ा कर प्रशिक्षित करना संभव नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वास्तव में कई चालक रूस भेजे गये हैं और उनमें से कई प्रशिक्षण पाकर वापस आ गये हैं । प्रविधिज्ञ और अन्य व्यक्ति टोलियों में जा रहे हैं । कहीं और परीक्षण लेने के बजाय यह अच्छा है कि परीक्षण वहां लिया जाये जहां उन्हें इस्तेमाल करना है । पश्चिमी लद्दाख और हिमालय की विशेष स्थिति कहीं और बनाना आसान नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या यह सच है कि ईल्युशिन्स की उपयुक्तता के बारे में हमारे दावे के बावजूद भी अब हमें हवाई अड्डे का विस्तार करना है और लेह हवाई अड्डे पर हमें एक पहाड़ी को बारूद से उड़ाना है और इससे एक आश्रम पर प्रभाव पड़ सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इससे संबंधित कैसे है ?

†**श्री जयपाल सिंह :** यह दावा किया जाता है कि ईल्युशिन्स से "फैदर लैण्डिग" हो सकता है। परन्तु यह देखा गया है कि भारतीय विमान बल की मांग के बावजूद भी रूस वालों ने यह कहा है कि यह नहीं किया जा सकता। उसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना चाहिये जिस पर करोड़ों रुपये लागत आ गी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हवाई अड्डे के विस्तार करने से क्या इस महत्वपूर्ण आश्रम पर असर पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने कुछ नहीं सुना है। निश्चय ही लेह में इसका विस्तार किया जायेगा। परन्तु यह एक पुराना कार्यक्रम है। परन्तु मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि हवाई अड्डे के विस्तार से आश्रम से प्रभावित होगा। यह आश्रम कुछ दूरी पर पहाड़ी पर है।

प्रश्न संख्या १२३४ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ। प्रश्न संख्या १२३४ पूछना चाहते थे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** सूची में मेरा प्रश्न अगला है और सामान्य स्थिति में मेरा नाम पुकारा जाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** उनके प्रश्न की क्या महत्ता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है कि उनका प्रश्न अगला है। परन्तु मैं बता चुका हूं कि यदि कभी कोई माननीय सदस्य पहले सूचना दे देता है तो मैं उस प्रश्न को प्रश्न-काल समाप्त होने से पांच मिनट पूर्व पूछने का अवसर दे सकता हूं। अतः मैंने सोचा कि उनको अवसर दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यदि यह लोक-महत्व का विषय है तो सभा उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकती है। परन्तु इस प्रश्न की महत्ता क्या है ? यह ऐसा मामला है जिसमें वह उत्तर पढ़ सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं इस बारे में आपको लिख कर बता चुका हूं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रश्न पूछें।

†**श्री विमल घोष:** वह प्रश्न पश्चिम बंगाल विधान सभा के संकल्प के बारे में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम विधान सभा का संकल्प

†*१२३४. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम विधान सभा ने २० अक्तूबर, १९६० को सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच अच्छे संबंधों और सद्‌भावना के लिये आवश्यक निदेश जारी किये जायें ताकि कोई भी राज्य उन विषयों पर चर्चा न करे, जो पूर्णतः किसी अन्य राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हों ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संकल्प पर कोई कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). २० अक्तूबर, १९६० को आसाम विधान सभा ने एक संकल्प स्वीकार किया जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रपति से कहे कि वे २ सितम्बर, १९६० को पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा आसाम की स्थिति के बारे में स्वीकार किये गये विशेष प्रस्ताव के औचित्य और वैधता के प्रश्न पर भारत के संविधान की धारा १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करें और राज्यों के बीच अच्छे संबंधों और सद्‌भावना के हित में आवश्यक निदेश जारी करें ताकि कोई राज्य ऐसे मामलों पर विचार न करे जो पूर्णतः अन्य राज्य के क्षेत्राधिकार में है।

इस अनुरोध पर भारत सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है और उनकी राय यह है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें संविधान की धारा १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है। मैं क्या कर सकता हूं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२.** { **श्री राधा रमण :** **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री सूपकार :** }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का चालू रिंग हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है और वहां स्थिर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको क्या क्षति पहुंची ; और

(ग) क्या यह रिंग चालू हालत में ठीक कर दिया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग). २४–३–१९६१ को आम्भस उत्थापक[1] खराब हो जाने से अंकलेश्वर क्षेत्र में एक रिग का स्तूप टूट गया। कोई व्यक्ति हताहत नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hydraulic Jack.

हुआ। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जांच करने के लिये देहरादून से अंकेलेश्वर इंजीनियर भेजे हैं और उनका विस्तृत प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

†श्री राधा रमण : क्या इस दुर्घटना के फलस्वरूप, निश्चित अवधि में कोई परिवर्तन करना पड़ा और यदि हां, तो इसका स्वरूप और सीमा क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो कार्य की निश्चित अवधि में एक परिवर्तन आवश्यक है। मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। संभवतः यह रिंग अन्य स्थान को ले जाया जा रहा था। अब यह हटा दिया गया है।

†श्री राधा रमण : क्या इस प्रकार की आपात स्थिति के लिये सरकार ने उस स्थान पर कोई व्यवस्था की है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं नहीं कह सकता कि क्या किया जा सकता है। ऐसे रिंग बहुत थोड़े हैं। एक दुर्घटना हुई है और जांच करने के लिये इंजीनियर भेज गये गये हैं। आज प्रातः ही मुझे यह पता चला कि इंजीनियरों ने यह मूल्यांकन किया है कि इस स्तूत की स्थानीय रूप से मरम्मत की जा सकती है और वे वह कार्य कर रहे हैं।

†श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि इस जांच को पूरा करने में मंत्री महोदय को कितना समय लगने की आशा है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, मुझे पता नहीं है। संभवतः इसमें कुछ दिन लगेंगे, अधिक नहीं।

†श्री जगन्नाथ राव : इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप धन और समय की कितनी हानि हुई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस प्रश्न की जांच की जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मजगांव गोदी, बम्बई में तलकर्षक यंत्रों का निर्माण

†*१२३३. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव गोदी, बम्बई में तलकर्षक यंत्रों का निर्माण हो रहा है ;

(ख) क्या ये तलकर्षक यंत्र बकट टाइप के हैं अथवा सक्शन टाइप के ; और

(ग) क्या हुगली नदी में से मिट्टी आदि निकालने के लिए सरकार की भारत में निर्मित तलकर्षक यंत्रों का प्रयोग करने की कोई योजना है ?

†प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) इस फर्म ने अब तक ग्रैब टाइप के तलकर्षक यंत्र बनाये हैं।

(ग) यह पत्तन अधिकारियो पर निर्भर करता है।

इल्युशिन परिवहन विमानों की खरीद

†*१२३५. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इल्युशिन परिवहन विमान खरीदने के लिए रूस के साथ बातचीत चल रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सौदे का वित्तीय ब्यौरा तैयार करने के लिए एक भारतीय वित्तीय दल को मास्को भेजने के वास्ते प्रबन्ध किये जा चुके हैं ;

(ग) इस सौदे की शर्तें क्या है ; और

(घ) इन विमानों से क्या काम लिया जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ठेकों पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) सौदे की शर्तों पर अन्तिम निर्णय करने के लिये वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि समेत, पदाधिकारियों का एक दल मास्को गया था ।

(ग) शर्तों के अनुसार उन्हें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार विमान, इंजनों के पुर्जे आदि देने हैं और हमारे कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना है ।

(घ) भंडारों तथा कर्मचारियों को विमान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जायेगा ।

कोयले की एकसी खुदरा कीमतें

†*१२३६. { **श्री आचार :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सारे देश में कोयले की एक समान खुदरा कीमतें तय करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे मे कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्थापना को क्रियान्वित करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं। सारे देश में कोयले की एक समान खुदरा कीमतें तय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लिग्नाइट

†*१२३७. **श्री नरसिंहन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने इस बात की जांच कर ली है कि क्या पालना में लिग्नाइट का खनन संभव है और क्या यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है तथा क्या उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए किसी योजना का सुझाव दिया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) पालना के लिग्नाइट निक्षेपों तथा दुर्गापुर में फ्लोराइट निक्षेपों की खोज की योजना राजस्थान राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है। जिन क्षेत्रों की जांच हो चुकी है उन क्षेत्रों में लिग्नाइट निक्षेपों की खोज खुले खनन तरीकों से की जायेगी। राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर २.७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के विकास के लिए की है।

युवक होस्टल

†*१२३८. { **श्री सम्पत** :
श्री तंगामणि :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक होस्टलों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय अनुदान दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि दी गयी है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) १,३५,०००.०० रुपये।

(ग)

पश्चिम बंगाल .	५५,०००.०० रुपये
बिहार .	२०,०००.०० रुपये
केरल	२०,०००.०० रुपये
उड़ीसा .	२०,०००.०० रुपये
मैसूर	२०,०००.०० रुपये

उज्जैन में कालिदास स्मारक

†*१२३९. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान पर कालिदास स्मारक की स्थापना के लिए अभी हाल में एक काफी बड़ी रकम की मंजूरी दी है ;

(ख) कितनी रकम की मंजूरी दी गयी है ; और

(ग) क्या इस स्मारक की योजना का ब्यौरा तैयार करते समय राज्य सरकार ने भारत सरकार से परामर्श किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

वायुसेना के भर्ती के फार्म

†*१२४०. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना के भर्ती के फार्म में वर्ग (क्लास) और उप-वर्ग (सब-क्लास) के स्तम्भों को खत्म करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह किस प्रक्रम पर है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां ।

(ख) विधि मंत्रालय के परामर्श से भर्ती के फार्म में संशोधन विचाराधीन है ।

जोरहाट मे प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला

†*१२४१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट (आसाम) में एक प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना पर ११०.०० लाख रुपये व्यय होंगे ।

(ग) निदेशक तथा थोड़े से कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं। भूमि ले ली गई है और शोधनशाला तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए टेंडर मांगें गये हैं ।

प्राकृतिक गैस

†*१२४२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक किन स्थानों पर वाणिज्यिक मूल्य की प्राकृतिक गैस पायी गयी है ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए इस प्रकार की कुल कितनी गैस उपलब्ध है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक सार्थों ने सरकार से इस गैस का उपयोग करने की अनुमति मांगी है ; और]

(घ) यदि हां, तो इन सार्थों के नाम क्या हैं ; उनके अनुरोध का व्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०**]

थौबल स्थित राजस्व कार्यालय में डाका

†*१२४३. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थौबल स्थित सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर के राजस्व-कार्यालय से १८,७०३ रुपये डाका मारकर लूट लिये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सिलसिले में कार्यालय के चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई और कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) इस प्रकार की डकैतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ९ मार्च, १९६१ को लगभग ६.२५ म० प०, तीन अथवा चार व्यक्तियों के सब-डिप्टी कलक्टर, थौबल के कार्यालय के चपरासी पर अचानक हमला किया और उससे १८,७०३ रुपये के नोट छीन लिये जिनको वह थौबल पुलिस थाने में जमा कराने ले जा रहा था। यह घटना उस समय हुई जब चपरासी, हैड क्लर्क के साथ सब-डिप्टी कलक्टर की कार्यालय के अहाते से गुजर रहा था।

(ख) जी हां ।

(ग) पुलिस ने तुरन्त धारा ३९४/आई० पी० सी० के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया । जिसकी जांच हो रही है । चौकीदार समेत सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और १५,२०७ रुपये वापिस मिल गये हैं ;

(घ) पुलिस ने अपने गश्तों की संख्या बढ़ा दी है और धनराशि अधिक होने पर वह ले जाने वाले के साथ अंगरक्षक की व्यवस्था करते हैं ।

तेल पाइपलाइन की लागत

†*१२४४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल क्षेत्रों और बरौनी तथा नूनमती में स्थापित किये जा रहे दो तेलशोधक कारखानों के बीच जो पाइपलाइन बिछायी जा रही है उस पर प्रति मील क्या लागत आयेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैसर्स वर्मा आयल कम्पनी (पाइप लाइन) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अन्तिम लागत प्राक्कलनों के अनुसार आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिछायी जाने वाली पाइन लाइन की लागत अनुमानत: प्रति मील ५,७६,०९५ रुपये आयेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात कारखाना

†*१२४५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामी रेड्डी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परीक्षा प्रणाली में सुधार

†*१२४६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री बी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री, २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये जो समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी क्या इस बीच उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट और उसकी सिफारिश पर किये गये निर्णयों की प्रतिलिपियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं नहीं उठता।

बीमे की नई योजना

†*१२४७. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री तंगामणि : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बीमे की एक नई योजना चालू की है जिसके अनुसार लोग डाक्टरी मुआयना करवाये बिना ही अपना जीवन बीमा करा सकेंगे, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का व्यौरा और लाभ क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

ग्राम्य संस्थाएं

†*१२४८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का निर्णय किया जा चुका है कि उच्च ग्राम्य शिक्षा के लिये तीन ग्राम्य संस्थाओं की स्थापना किन स्थानों पर की जायेगी;

(ख) इनकी स्थापना के लिए राज्यों के चुनाव करने की कसौटी क्या है; और

(ग) क्या संस्था की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव करने में राज्यों में कृषि-उत्पादन की अधिकता पर भी विचार किया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). अन्तिम चुनाव कई बातों पर आधारित है । जिनमें प्रदेश की सक्षम तथा रुचि लेने वाली शिक्षा संस्थायें राज्य सरकारों की सिफारिशें आदि भी शामिल हैं ।

मद्रास राज्य में इस्पात बलन कारखाना

†*१२४९. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **इस्पात खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य में स्टील रोलिंग मिल स्थापित किये जाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं। नई रीरोलिंग मिल स्थापित करने की कम गुंजायश है। परन्तु प्रादेशिक विकास के विचार से यह प्रस्ताव है कि मद्रास जैसे राज्यों में कुछ रीरोलिंग मिलें स्थापित करने की अनुमति दी जाये क्योंकि इन स्थानों पर इसकी कम व्यवस्था है। यूनिटों की संख्या तथा उनके स्थापित करने के स्थान पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

दिल्ली पुलिस

†*१२५०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी की पुलिसके "वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण" की एक योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

रूरकेला में धमन भट्टी में दुर्घटना

†*१२५१. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने की धमन भट्टी संख्या १ में ४ मार्च, १९६१ को कोई दुर्घटना हो गई थी;

(ख) क्या इससे पहले भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(घ) भट्टी की मरम्मत करने में कितना समय लगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। ३ मार्च, १९६१ को पहली धमन भट्टी के 'टैप होल' के ऊपर टूट-फूट हो गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) 'टैप होल' के ऊपर की लाईनिंग कमजोर हो जाने के कारण टूट फूट हो गई थी।

(घ) ३३ घंटों में मरम्मत कर दी गई थी। परन्तु ८ से १५ मार्च, १९६१ तक भट्टी पूरी मरम्मत के लिए बन्द कर दी गई थी।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

†*१२५२. **श्री सम्पत :**
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में एक ऐसा पुस्तकालय बनाने की कोई योजना है, जिसमें संग्रहालय के हड़प्पा और मोहंजादारों विभागों आदि में रखी वस्तुओं से सम्बन्धित पुस्तकें हों ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) संग्रहीत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) राष्ट्रीय संग्रहालय में एक पुस्तकालय है जिसमें हड़प्पा और मोहंजादारो सम्बन्धित प्रमाणिक पुस्तकें हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पुस्तकालय के लिए प्रत्येक वर्ष संग्रहालय विषयों से संबंधित प्रमाणिक तथा लाभदायक पुस्तकें खरीदी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पलाई सेंट्रल बैंक के लेनदारों के दावे

†*१२५३. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सैंट्रल बैंक के सरकारी परिसमापक[१] ने मद्रास के 'दि हिन्दू' के ७ मार्च, १९६१ के अंक में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी लेनदारों से यह कहा गया है कि वे अपने दावे और उनके प्रमाण २१ मार्च, १९६१ से पहले दायर कर दें;

(ख) क्या यह अधिसूचना बैंक के खातेदारों पर भी लागू होती है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो छोटे खातेदारों को, जिनमें बहुत ऐसे चपरासी आदि हैं जो सामान्यत: अंग्रेजी के समाचार पत्र नहीं पढ़ते, इस बात की सूचना देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करके शंकाओं का निवारण करेगी; और

(ङ) यदि उपरोक्त भा (ख) का उत्तर 'हां' में हों, तो क्या खातेदारों के मामले में दावे आदि दायर करने की अन्तिम तिथि आगे बढ़ाई जायेगी?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी हां।

(ख) से (ङ). ऐसा समझा जाता है कि नोटिस के स्पष्टीकरण के प्रश्न पर विशेष परिसमापक विचार कर रहा है। विशेष परिसमापक न्यायालय के आदेशों के अनुसार काम कर रहा है इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन

†*१२५४. { **श्री राकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन स्थापित करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** वर्तमान संस्थाओं से और चर्चा के बाद पता लगा कि उनमें एक राष्ट्रीय संगठन बनाने के बारे में मतभेद है। इसीलिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा प्रत्येक संस्था को अलग अलग मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली में आवास आयुक्त

†१२५५. { **श्री रामेश्वर टांटिया**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गृह-निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक आवास आयुक्त का पद बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे गृह-निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Official liquidation

(ग) क्या सरकार का विचार निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). दिल्ली में ८ फरवरी, १९६१ को एक आवास आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था, आवास आयुक्त २३ मार्च, १९६१ को लोक-सभा पटल पर रखे गये एक विवरण के अनुसार दिल्ली में लगभग ८००० एकड़ भूमि के अर्जन, विकास और आवंटन की योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में मुख्य आयुक्त की सहायता करेगा।

(ग) और (घ). अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के लिए तीसरी योजना में क्रमशः १२५ लाख रुपये तथा १५० लाख रुपये अस्थाई तौर पर आवंटित किए गए हैं।

भारतीय विधि संस्था

†*१२५६. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्था को प्रतिवर्ष २ लाख रुपये का आवर्तक अनुदान देने का आश्वासन दिया गया है;

(ख) इस संस्था ने अब तक क्या कार्य किया है;

(ग) क्या संस्था ने अब तक कुछ ऐसी सामग्री का प्रकाशन किया है, जो पढ़ने के लिए उपलब्ध हो;

(घ) क्या यह सच है कि इस संस्था के अनुसन्धान निदेशक (रिसर्च डायरेक्टर) केवल प्रशासकीय कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) अनुसन्धान निदेशक के कार्य और वेतन क्या है?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]**

पंजाब के लिए लोहे की चादरें

†२५५९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार की १९६० में लोहे की चादरों की क्या मांग थी; और

(ख) मांग किस सीमा तक पूरी की गई थी?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). इस्पात की मांग आने पर वित्तीय वर्ष के अनुसार आबंटन कर दिए गए। अतः १९६०–६१ की सूचना नीचे दी जाती है :–

मांग	१३०,४६२ टन	
आवण्टन	४०,०६२ टन	
संभरण	८,०५४ टन*	(अप्रैल से दिसम्बर १९६०)

†मूल अंग्रेजी में

*नियंत्रित स्टाकिस्टों को भेजे गए सामान समेत तथा आयात किए गए संभरणों के अतिरिक्त।

मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन क्रम

†२५६०. **श्री पांगरकर:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध कालिजों को, अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० तथा १९६०-६१ में अब तक प्रत्येक कितनी राशि दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) जानकारी नीचे दी जाती है :

	दिए गए अनुदान	
	१९५९-६०	१९६०-६१
	रुपये	रुपये
सागर विश्वविद्यालय .	कोई नहीं	१००.००
डी० एन० जैन महाविद्यालय, जबलपुर	१४,४०२.५०	कोई नहीं
सेंट अलापसिम्स कालिज, जबलपुर .	३,४७०.००	१,२०५.००
महिला विद्यालय, जबलपुर .	८,३५८.७५	८,१६०.००
जी० एस० कालिज आफ कामर्स एण्ड इकानामिक्स, जबलपुर	कोई नहीं	१,५०५.००
हितकारनी महाविद्यालय, जबलपुर .	कोई नहीं	१,८३०.००
दमोह आर्ट कालिज, दमोह	४,२९०.००	२,६५१.५०
नीलकठंण्श्वर कालिज, खण्डवा .	कोई नहीं	१,५९०.१५
दिग्विजय महाविद्यालय, राजनंद गांव	५,६००.००	५,१७२.२५
छत्तीसगढ़ कालिज, रायपुर	६,८००.००	२,०६३.०३
न्यू आर्ट्स एण्ड कामर्स कालिज, रामपुर	२,७९०.००	६२५.००
सेवा सदन महाविद्यालय, बुरहानपुर.	कोई नहीं	४,६७५.००
रानी दुर्गा महाविद्यालय, मंडला .	१,१००.००	कोई नहीं
नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद . .	कोई नहीं	१७५.००
जोड़	५०,१११.२५	२९,७५१.९३

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर तथा त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा

†२५६१. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में मनीपुर और त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा के बारे में किस प्रकार का काम किया गया है ; और

(ख) प्रशासन पर कितनी धनराशि व्यय की गई और यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

† **शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३.]**

महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा

†२५६२. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** १९६०–६१ में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अधीन प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए महाराष्ट्र को २८,८५,९१० रुपये की राशि दी गई थी । १९६०–६१ के लिए अनुदान 'शिक्षा' के लिए स्वीकार किए गए हैं इसलिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं को अलग अलग क्या दिया गया है यह बताना संभव नहीं है ।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय कर

†२५६३. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में केन्द्रीय करों के एकत्रीकरण में १९५९–६० में क्या कोई कमी आई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १९५८–५९ की तुलना में १९५९–६० में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में केन्द्रीय करों के एकत्रीकरण में कोई कमी नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में विनियोजन

†२५६४. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर तथा दिसम्बर १९६० में तथा जनवरी १९६१ में जनता ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में कुल कितना विनियोजन किया ; और

(ख) १९५९ की इसी अवधि में कितना विनियोजन हुआ था ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी १९५९–६० तथा १९६०–६१ में राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्रों की कुल बिक्री नीचे बताई जाती है :—

महीना	वर्ष १९५९–६०	वर्ष १९६०–६१
	(करोड़ों में	पये)
नवम्बर	५.२९	५.०९
दिसम्बर	५.७०	५.४८
जनवरी	५.८८	५.२४ (अनुमानतः)

मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा

†२५६५. **श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में (वर्षवार) केन्द्रीय सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) राज्य सरकार ने वर्षवार इस काम के लिए कितनी धन राशि अब तक व्यय की है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए कोई नई योजना बनाई गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

आयकर की बकाया रकम

†२५६६. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में सरकार को मिलने वाले आय-कर के बकाया कितने हैं ;

(ख) इन बकाया में से १९६०–६१ में से कितनी धनराशि इकट्ठा की गई थी ; और

(ग) शेष राशि को इकट्ठा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार को मिलने वाले आय-कर के बकाया की राशि ३१ मार्च १९६० तक १३३.६१ करोड़ रुपये थी ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

†मूल अंग्रेजी में

उटकमण्ड में विद्यार्थियों के लिए अवकाश गृह

†२५६७. **श्री नंजप्पा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उटकमण्ड, मद्रास राज्य में केन्द्रीय सरकार की सहायता से विद्यार्थियों के लिए अवकाश गृह बनाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) योजना की उन्नति के लिए मद्रास सरकार तथा स्थानीय संस्था (नगर-पालिका) को कितनी सहायता दी जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों तथा आदिम जातियों के बीच भूमि सम्बन्धी विवाद

†२५६८. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों तथा लेफुंगा के आदिम जाति व्यक्तियों में भू-विवाद तय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई पुलिस शिविर है ; और

(ग) यदि हां, तो यह पुलिस शिविर वहां कब तक रहेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशियों द्वारा अधिक दिन तक ठहरना

†२५६९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर १९६० के बाद से ऐसे कितने मामलों का सरकार को पता लगा है जिनमें कुछ विदेशी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भारत में रुके हैं ; और

(ख) वह किन देशों के लोग हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) मई से नवम्बर १९६० तक गुजरात राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ५३ व्यक्ति भारत में रुके थे । गुजरात की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । इस अवधि के बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अफ़गानिस्तान, अमरीका, आस्ट्रिया, बेल्जियम, बर्मा, चीन, फ्रान्स, हंगरी, इटली, लेबनान, पोलैण्ड, रूस और सउदी अरब ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनायें

†२५७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी ;

(ख) क्या आवंटित राशि पूरी पूरी व्यय कर दी गई है ; और

(ग) १९६०–६१ में इसी योजना के अधीन पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए कितने मकान बनाये गये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ४.४८ लाख रुपये ।

(ख) और (ग). १९६०–६१ के पहले छः महीनों में अनुसूचित जातियों के लिए ३६२ मकान बनाने पर तथा भूमि खरीदने पर २.९१ लाख रुपया व्यय किया गया था । १९६०–६१ के पूरे वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत में इस्पात की खपत

†२५७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कितनी होगी ; और

(ख) वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत इंग्लैण्ड, अमरीका, रूस पश्चिम जर्मनी और चीन के मुकाबले में कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दूसरी योजना की समाप्ति पर प्रति व्यक्ति खपत अनुमानतः ८.६४ किलोग्राम होगी ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी वर्ष पुस्तक १९५९ के अनुसार इन देशों में १९५८ में प्रति व्यक्ति खपत इस प्रकार थी :—

	किलोग्राम
चीन .	१२
इंग्लैण्ड	३३५

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका . . .	४३३
रूस . .	२६६
जर्मन, संधानीय गणतंत्र .	३७७

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†२५७२. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५९ के आरंभ होने से लेकर इस के अन्तर्गत, १ नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक किराया नियंत्रक के पास कितने मामले दर्ज किये गये हैं और इनमें से कितने मामले

(१) मालिक मकानों और किरायेदारों द्वारा दर्ज किये गये ;

(२) मालिक मकानों द्वारा किरायेदारों के निष्कासन के लिये दर्ज किये गये ;

(३) मालिक मकान की किसी आवश्यकता के आधार पर किरायेदारों का निष्कासन मांगा गया है ;

(४) किरायेदारों द्वारा स्टैण्डर्ड किराया निश्चित करने के लिये दर्ज किये गये ; और

(५) कितने मामलों में हाल में हस्तांतरित मकानों के बारे में किरायेदारों का निष्कासन मांगा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** २४ मार्च, १९६१ तक ३५८५ ।

(१)	मालिक मकानों द्वारा .	१६४०
	किरायेदारों द्वारा .	१९४५

(२) १४५४

(३) १७८

(४) १०४४

(५) कोई नहीं ।

उड़ीसा में गणतंत्र दिवस समारोह

†२५७३. **श्री कुम्भार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में भारतीय गणतंत्र दिवस उत्सव, १९६१ पर किस प्रकार का खर्च किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्ति पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में लाहौल और स्पिति में जल-विद्युत् योजनाएं

†२५७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के लाहौल और स्पिति जिलों

†मूल अंग्रेजी में

में आरंभ की जाने वाली जल विद्युत् योजनाओं को चलाने के लिये पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी गई है ?

† गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): भारत सरकार ने इस काम के लिये १९६०-६१ में कोई सहायता देना स्वीकार नहीं किया है ।

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन

† २५७५. श्री राम कृष्ण गुप्त: क्या शिक्षा मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा मनोरंजन संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने, मनोरंजन संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करने लिये, एक नगरीय और एक ग्राम्य, ये दो अग्रिम परियोजना आरंभ करने के प्रस्ताव के बारे में इसकी मनोरंजन उप-समिति द्वारा तैयार किया गया मसौदा कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मसौदा प्राप्त हो चुका है और उस पर विचार किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने १४ दिसम्बर, १९६० की अपनी अन्तिम बैठक में, अपनी मनोरंजन, उप-समिति द्वारा तैयार किये गये विकास कार्यक्रम को अनुमोदन करते हुए, यह सिफारिश की थी, कि प्रत्याशित व्यय के वर्षवार दौरों को बताते हुए कार्यक्रम पर होने वाले वित्तीय व्यय का हिसाब लगाया जाए । इस पर उप समिति विचार कर रही है । इस काम के लिये समिति की बैठक हाल ही में चंडीगढ़ में हुई थी।

आसाम के तेल पर स्वामिस्व'

†२५७६. श्री राम कृष्ण गुप्त: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में उत्पादित कच्चे तेल के लिये उस राज्य का स्वामिस्व बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) आसाम सरकार को जो मंत्रणा दी गई थी कि स्वामिस्व की दर बढ़ाना सरकार के हित में नहीं होगा ।

दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां

†२५७७. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राधा रमण :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या गृह-कार्य मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस , स्वामी श्रद्धानन्द, लाला

---

†मूल अंग्रेजी में

'Royalty.

लाजपत राय और अन्य नेताओं की मूर्तियां लगाने से संबंध रखने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : जैसा कि उल्लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, मूर्तियां लगाने संबंधी सलाहकार समिति, जिसने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित मदन मोहन मालवीय, महारानी लक्ष्मीबाई और लाला लाजपत राम की मूर्तियां लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया था इस निष्कर्ष पर पहुंची कि या तो वे स्थान, जिनका सुझाव दिया गया था उपयुक्त नहीं थे अथवा प्रस्तावों के साथ आवश्यक वित्त की पेशकश नहीं थी। इसलिये उन प्रस्तावों के बारे में कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई ।

सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में, पुरोनिधान करने वालों से कहा गया है कि वे परीक्षण और अनुमोदन के लिये प्लास्टर आफ़ पेरिस या और किसी उपयुक्त धातु का आधा आदम कद का नमूना भेज दें ; और पंडित मोतीलाल नेहरू की मूर्ति के मामले में पुरोनिधान करने वालों से मूर्ति और इस के पाद पीठ , उपयोग में लाये जाने वाले धातु , नियुक्त किये जाने वाले कलाकार आदि संबंधी पूरा ब्यौरा मांगा गया है ।

दिल्ली प्रशासन

२५७८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की उद्योग सलाहकार समिति के सभापति और जनसंपर्क समिति के सभापति के कृत्य और अधिकार क्या हैं ;

(ख) इन दोनों समितियों की स्थापना किस कारण की गई थी और दिल्ली प्रशासन को इनसे क्या लाभ हैं ; और

(ग) क्या सरकार इनका विस्तार करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जन सम्पक समिति का प्रधान ग्राम विकास समिति , विकास सलाहकार बोर्ड, मद्य निषेध समिति, श्रम सलाहकार बोर्ड, हरिजन कल्याण बोर्ड , राष्ट्रीय बचत सलाहकार समिति आदि जैसी कुछ अन्य समितियों का प्रधान अथवा सदस्य भी है। इसके अतिरिक्त प्रकाशन, समाचार पत्रों, कृषि, पशु चिकित्सा , मत्स्य क्षेत्रों, सामुदायिक परियोजनाओं / सामुदायिक विकास /राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रोग्राम आदि के अधीन ऋण देने के मामलों में वह चीफ कमिश्नर को सलाह देता है । औद्योगिक सलाहकार बोर्ड (जो कि प्रश्न में औद्योगिक सलाहकार समिति के नाम से निर्दिष्ट है) का प्रधान भी कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प समिति, खादी व ग्रामोद्योग समिति, हाथ करघा समिति, लघु तथा कुटीर उद्योगों को राज्य सहायता देने का सलाहकार बोर्ड , जेल सलाहकार समिति, राजनैतिक पीड़ित सहायता समिति, सहकारिता कौंसिल आदि जैसी कुछ समितियों के साथ सम्बद्ध हैं । वह पुनर्वास तथा नियोजन, उद्योग, वाण्पित्र व फैक्ट्रियों , खाद्य पदार्थों व्यापार कर्मचारियों, निम्न मूल्य आवास योजना तथा सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित मामलों में भी चीफ कमिश्नर को सलाह देता है । दोनों ही प्रधान अपने अपने विषयों से संबंधित योजनाओं के लिए २५,००० रुपये (या इस से कम) तक की प्रशासकीय अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं ।

(ख) इन समितियों की स्थापना प्रशासन तथा जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करने, उनकी आवश्यकताओं तथा प्रशासन की नीतियों व प्रोग्रामों के प्रति उनकी भावनाओं को जानने,

---

†मूल अंग्रेजी में

और सामाजिक तथा जन कल्याण कार्यों में उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के हेतु की गई थी। यह समितियां प्रशासन के लिए निम्नलिखित मामलों में सहायक सिद्ध हुई हैं :—

(१) सरकार के कार्यक्रमों, विशेषतः पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के कार्यों की सही-सही सूचना (जनता को) देना, तथा जनता की कठिनाइयों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना ; और

(२) दिल्ली में ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और माध्यमिक व लघु उद्योगों सहित उद्योगों के विकास में सहायता ।

(ग) समय-समय पर इन निकायों का पुनर्गठन किया जाता है और जब आवश्यकता होती है तब चीफ कमिश्नर इनका विस्तार कर लेता है । औद्योगिक सलाहकार मंडल के अब ४२ सदस्य हैं जब कि सन् १९५६ में इस के ३८ सदस्य थे । जन सम्पर्क समिति के ३८ सदस्य हैं जब कि सन् १९५६ में इसके २१ सदस्य थे। इस समय इनमें से किसी भी निकाय का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली सतर्कता विभाग

†२५७९. { श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सतर्कता विभाग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप दिल्ली प्रशासन में १९६० –६१ के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामलों का निपटारा किया गया ; और

(ख) यदि कोई दंड दिया गया है तो क्या ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ८४ (३१-१-६१ तक)

(ख) वार्निग की गई —२ को
सेंश्योर किया गया—३ को
पदावन्नति की गई —१ की ।

वैकल्पिक खुराक संबंधी अनुसंधान[1]

† २५८०. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ वर्ष के दौरान के लिये खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था मैसूर ने वैकल्पिक खुराक के बारे में अग्रेतर अनुसंधान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) विटामिनों और खनिजों के साथ सशक्त किया गया मकारोनी ;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Research on Substitute Food.

(२) मूंगफली से प्रोटीन आइसोलेट जो तैयार की गई खुराक में मिलाने के लिये उपयोगी है; और

(३) बच्चों और कमजोर लोगों की खुराक अर्थात् संतुलित माल्ट खुराक और पहले पनाई प्रोटीन खुराक ;

के विकास के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है ।

विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अध्यापकों का आदान प्रदान

†२५८१. **श्री अजीत सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राविधिक या सांस्कृतिक विषयों के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों और सरकारों के साथ अध्यापकों और प्राध्यापकों का कोई आदान-प्रदान किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन विश्वविद्यालयों और सरकारों के साथ विनिमय किया जाता है और देश में कितने विदेशी प्रोफेसर और अध्यापक हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी, हां । फुल ब्राइट योजना के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत तथा अमरीका के बीच प्राध्यापकों और अध्यापकों के आदान-प्रदान का उपबंध है । इस समय भारत में २१ फुल ब्राइट प्रोफेसर और अध्यापक है । इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरे विदेशी प्रोफेसर और अध्यापक भारत में अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यमान ह किन्तु वे विनिमय आधार पर नहीं ।

पंजाब में खेलकूद का विकास

†२५८२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में खेलों के विकास के लिये पंजाब सरकार को कोई सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) १९६१-६२ के लिये कितना आवंटन किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

(ख) १,७४,५०० रुपये ।

(ग) कोई राज्यवार आवंटन नहीं दिया गया । विशिष्ट मदों के लिये सहायता के लिये प्रत्येक मांग के गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

हड़ताल

†२५८३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६० की हड़ताल से उत्पन्न होने वाले, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में अनुशासन सम्बन्धी मामलों का अन्तिम रूप में निपटारा किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी बरखास्त किये गये हैं या नौकरी से निकाले गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को हल्का दंड देकर छोड़ दिया गया है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) प्रायः सभी मामलों का अन्तिम फैसला हो चुका है। केवल २५ मामलों में अन्तिम आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ख) जो कर्मचारी बर्खास्त किये गये थे या नौकरी से निकाले गये थे उन की संख्या ५५ है ।

(ग) जिन कर्मचारियों को हल्का दंड दे कर छोड़ दिया गया था ; उनकी संख्या ६७१३ है ।

अमरीकी कोयला प्रतिनिधि मंडल

†२५८४. { श्री मुरारका :
श्री नयवानी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मुरारका :
श्रीमती मैमूना सुल्तानः }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में जो अमरीकी कोयला प्रतिनिधिमंडल भारत आया था उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है या की जाने का विचार किया गया है ;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन में हमारे खनन सम्बन्धी तरीकों पर टीका टिप्पणी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (घ). अमरीकी कोयला प्रशासियों के एक दल ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यों के विविध पहलुओं पर विचार किया और अक्तूबर, १९६० में एक प्रतिवेदन पेश किया। प्रतिवेदन में मोटे तौर पर खुली खनन और भूमिगत खनन के कुछ कठिन पहलुओं, केन्द्रीय वर्कशाप एवं कोयला धोने की फैक्टरियों के निर्माण और उनके संधारण तथा अमरीका से संभावित प्रतिनिधि सहायता की गुंजाइश और तरीके के बारे में वर्णन किया गया है । इस समय प्रतिवेदन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

†२५८५. { श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री हेम राज :
श्री पहाड़िया : }

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में १६ और १७ जनवरी, १९६१ को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार-बोर्ड की एक बैठक हुई थी जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षासम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) १६ और १७ जनवरी १९६१ को दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की २८ वीं बैठक की कार्यवाही का वृत्त अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तैयार होते ही बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को दर्शाने वाले वृत्त की प्रति लोकसभा के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

विश्व बैंक के ऋण

†२५८६. **श्री दामानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक द्वारा मंजूर किये गये पहले ऋणों में से कितनी कितनी राशि विभिन्न कामों के लिये निकाली गई है और कितनी राशि का उपयोग करना शेष है ?

† वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]।

नागार्जुनकोंडा की खुदाई

†२५८७. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समय नागार्जुनकोंडा के पुरातत्वीय स्थान की पूर्ण संभाव्यता मालूम की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के अनुसन्धान किये गये हैं और किस ने किये हैं ; और

(ग) क्या उन अनुसंधानों की एक प्रति सभापटल पर रखी जाएगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां।

(ख) स्तूपों, आश्रमों, रहने के स्थानों, प्रागैतिहासिक स्थानों तथा चट्टानों की खुदाई १९२६ और १९३१ के बीच श्री लौंगहर्स्ट द्वारा, १९३८ में श्री टी०एन० रामचन्द्रन द्वारा तथा १९५४ से १९६० तक डा० सुब्रह्मण्यम एवं उनके साथियों द्वारा।

(ग) श्री लौंगहर्स्ट द्वारा 'नागार्जुनकोंडा के बौद्ध प्राचीन स्मारको' श्री टी० टी० रामचन्द्रन द्वारा 'नागार्जुनकोंडा १९३८' और १९५४—५५ से पश्चात् 'भारत पुरातत्व—

†मूल अंग्रेजी में

एक समीक्षा' की ओर ध्यान आकर्षित करवाया जाता है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†२५८८. **श्री विभति मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से लोग अलवर के समीप सारिसका महल में खोले गये राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना व्यय किया गया है और भारत में विभिन्न स्थानों पर कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) व्यय का कितने प्रतिशत केन्द्र और राज्य द्वारा बर्दाश्त किया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) अब तक ३,१५,००० रुपये । इस योजना के अन्तर्गत सारिसका, अलवर में ५९१ लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं। अब कोई दूसरा केन्द्र नहीं है और सम्पूर्ण प्रशिक्षण सारिसका में केन्द्रित है ।

(ग) भारत सरकार सम्पूर्ण व्यय बर्दाश्त करती है ।

भारतीय विद्यार्थियों के लिए विदेशों में होस्टल

† २५८९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना अवधि में भारतीय विद्यार्थियों के लिये भारत सरकार कितने देशों में होस्टल बनाने का इरादा रखती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों के कार्य-क्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार तीसरी योजना अवधि के अन्तर्गत भारतीय और विदेशी विद्यार्थियों के लाभार्थ पैरिस में साइट यूनिवर्सिटेयर में ९० कमरे का इंडिया हाउस (होस्टल) बनाने का इरादा रखती है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†२५९०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की दूसरी धमन भट्टी हाल ही चालू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने छड़ तैयार किये गये हैं ; और

(ग) इस भट्टी के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां। धमन भट्टियां लोहा बनाती हैं छड़े नहीं बनातीं। २–२–१९६१ को जो भट्टी चालू की गई थी, उसने २१ मार्च, १९६१ तक ५२,०७३ टन लोहा तैयार किया।

(ग) लगभग ४४६ लाख रुपये, जिसमें गर्म भट्टी स्टोव, पिघलाने का कमरा, गैस वाशिंग और क्लीनिंग संयंत्र तथा सम्बन्धित सेवायें शामिल हैं, किन्तु इसमें ऐसेलेशन, नौवहन तथा बीमा व्यय शामिल नहीं हैं। ऐसेलेशन (चलती फिरती सीढ़ियों) के दावों का अन्तिम रूप में निपटारा नहीं किया गया और धमन भट्टी के आयात किये गये एफ० ओ० बी० सामग्री के नौवहन और बीमा की लागत के कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय नौ सेना की कैन्टीनें

†२५९१. श्री मोहम्मद इलियास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना की कैन्टीनों को मुनाफा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५९-६० में कुल कितना मुनाफा हुआ ; और

(ग) क्या इन कैन्टीनों के कर्मचारियों के वेतनक्रम प्रतिरक्षा विभाग के दूसरे कर्मचारियों के वेतन-क्रम के बराबर ही हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) : (क) जी हां।

(ख) १९५९–६० में इंडियन नैवल कैन्टीन सर्विस को १,०२,७७६ रुपये ४७ नये पैसे वास्तविक लाभ हुआ।

(ग) जी नहीं। इंडियन नैवल कैन्टीन सर्विस के कर्मचारियों का काम बिल्कुल दूसरे ढंग का है और वेतन की बराबरी के लिए प्रतिरक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इंडियन नैवल कैन्टीन कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन नेवल कैन्टीन सर्विस के कर्मचारियों के वेतनक्रम बढ़ा दिये हैं। नये वेतन-क्रम १–४–१९६१ से लागू होंगे। संशोधित वेतनक्रम से इंडियन नैवल कैन्टीन सर्विस के कर्मचारियों को तुरन्त तथा दीर्घकालीन लाभ, दोनों ही होंगे।

दिल्ली में विदेशियों की मूर्तियां

२५९२. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विदेशियों की मूर्तियों को अपने स्थानों से हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) दिल्ली में अब तक कितनी विदेशियों की मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं और उनके स्थान पर भारतीय नेताओं की मूर्तियां लगा दी गई हैं ?

†गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री द्वारा १३ मई, १९५७ को लोक सभा में दिये गए वक्तव्य के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। नीति के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में विदेशियों की दो मूर्तियां जो कि अपकारक प्रकार की थी, हटाई गई। भारतीय नेताओं की मूर्तियों के प्रस्थापन के प्रस्तावों पर, यदि उनके लिए आवश्यक धन राशि का वचन दिया जाए, तो विचार किया जाता है। दिल्ली में उपयुक्त स्थानों पर ऐसी चार मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

†२५९३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल नयी दिल्ली में राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और सचिवों तथा शिक्षा संचालकों के चौथे सम्मेलन में क्या क्या सिफारिशें की गयीं और उन पर क्या क्या निर्णय किये गये ; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) सम्मेलन में स्वीकृत संकल्पों का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]** ।

(ख) ये सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को आगे कार्यवाही के लिये सूचित कर दी गयी हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हिन्दी में पत्र भेजना

२५९४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उनकी नियुक्ति छुट्टी, वेतन आदि संबंधी मामलों के पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में अथवा हिन्दी अनुवाद के साथ जारी नही करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने अन्य सभी मंत्रालयों को ऐसे आदेश दिये हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित सभी पत्र, चाहे वे वैयक्तिक हों अथवा सामान्य रूप से सबके लिये हों, हिन्दी में भेजे जायें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (घ). अभी हाल तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की केवल नौकरी की शर्तों और पाबन्दियों से संबंधित सामान्य आदेशों को ही अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी जारी किया जाता था । सभी मंत्रालयों से अब यह अनुरोध किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित सब आदेश और उनके हिन्दी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाये, लेकिन यह अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में लागू नहीं होगा ।

सरकारी विभागों में हिन्दी टाइपराइटर

२५९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय को यह ज्ञात है कि भारत सरकार के अनेक कार्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक एक भी हिन्दी टाइपराइटर नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कार्यालयों में गृह-कार्य मंत्रालय के उन आदेशों का सही रूप से पालन नहीं हो सकता कि जो हिन्दी में कार्य करने के विषय में जारी किये गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त कार्यालयों को हिन्दी टाइपराइटर मंगाने के लिये कोई आदेश दि हैं अथवा ऐसे आदेश देने का विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सब मंत्रालयों में हिन्दी टाइपराइटर हैं ।

(ग) अक्तूबर, १९६० में सभी मंत्रालयों से अनुरो किया गया था कि हिन्दी माध्यम द्वारा काम करने की सुविधा के लिये अतिरिक्त टाइपराइटर खरीदे जायें ।

हिन्दी में पत्र व्यवहार

२५९६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने १९५५ में अन्य सभी मंत्रालयों को यह आदेश दिये थे कि जिन राज्य सरकारों की राजभाषा हिन्दी हो चुकी है उनको जो पत्र केन्द्रीय सरकार की ओर से भेजें जायें उनके साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन आदेशों का कहां तक पालन हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) १९५५ के आदेश में यह कहा गया था कि जिन राज्य सरकारों की राजभाषा हिन्दी है, उनको यदि संभव हो तो अंग्रेजी पत्रों के साथ साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजे जायें ।

(ख) हिन्दी में प्राप्त हुये पत्रों का उत्तर यथासंभव हिन्दी में ही दिया जाता है ।

इनामी बौण्डों की बिक्री

†२५९७. श्री अरविन्द घोषाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी तिमाही अवधि में इनामी बौंडों की बिक्री बहुत अधिक कम हो गयी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हा ।

(ख) मुख्य कारण यह है कि योजना की नवीनता खतम हो गयी और बौंड की खरीद में हर तिमाही की देर के कारण निकाली गई कुल संख्या में क्रमशः कमी हुई है ।

सरकारी नौकरों की पदोन्नति

†२५९८. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर सरकारी नौकरों की पदोन्नति के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हा, तो असिस्टेंटों की सैक्शन आफिसर के तौर पर पदोन्नति के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि ऊंचे पदों पर पदोन्नति के लिये योग्यता को ही कसौटी बनाये रखना चाहिये और वरिष्ठता तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

उपयुक्तता का सिद्धांत केवल निचली जगहों के लिये ही ठीक हो सकता है। सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है।

(ख) कोई नया निर्णय नहीं किया गया है। वेतन आयोग ने असिस्टेंटों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सैक्शन आफिसर के ग्रेड में पदोन्नति के वर्तमान तरीके में, अर्थात् ५० प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर और ५० प्रतिशत असिस्टेंट ग्रेड में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर, कोई परिवर्तन नहीं किया है।

असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट की परीक्षायें

†२५९९. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राधा रमण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ और १९६० में संघ लोक सेवा आयोग असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट (नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग) परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप कितने कितने विभागीय उम्मीदवारों को असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया ;

(ख) इन परीक्षाओं में कितने उम्मीदवार बैठे थे ;

(ग) क्या वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर असिस्टेंटों की पदोन्नति की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) चूंकि उल्लिखित परीक्षा विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा थी इसलिये जो भी उम्मीदवार उसमें बैठे थे वे सभी विभागीय उम्मीदवार ही थे। मांगी गयी जानकारी इस प्रकार है :—

परीक्षा का वर्ष	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	परीक्षा के आधार पर की गयी नियुक्तियों की संख्या
१९५९	१५८०	७८
१९६०	१६६१	अन्तिम परिणाम अभी घोषित नहीं किये गये।

(ग) और (घ). असिस्टेंट ग्रेड में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सैक्शन आफिसर के ग्रेड में ५० प्रतिशत पदोन्नति असिस्टेंट ग्रेड में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर पहले से ही की जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिव्यस्क पदाधिकारियों[1] के लिये सेवा अवधि का बढ़ाया जाना

†२६००. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के कुछ गजेटेड अफसरों को १९६०–६१ में अतिव्यस्कता की आयु के बाद सेवा अवधि की वृद्धि मंजूर की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने पदाधिकारियों को और किन किन परिस्थितियों में वह वृद्धि मंजूर की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) तीन। इन पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी इसलिये सेवा में रखा गया कि उनको सेवा में रखना लोकहित में आवश्यक समझा गया।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

२६०१. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई खण्ड विकास पदाधिकारियों को ई० ए० सी० (अतिरिक्त सहायक आयुक्त) बनाये जाने की सिफारिश की उपेक्षा करके उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को चुना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिशों को संघ लोक सेवा आयोग का समर्थन प्राप्त है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने यह निश्चय किया कि जब तक अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की भरती के नियमों को अंतिम रूप न दे दिया जाये तब तक इस पदक्रम के ५० प्रतिशत पदों पर तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों की नियुक्ति ४ और १ के अनुपात से पदोन्नति द्वारा कर ली जाये। सितम्बर, १९५८ में विभागीय पदोन्नति समिति ने आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में ऐसे तहसीलदारों और खण्ड विकास अधिकारियों की पृथक तालिकाएं तैयार की जिन्हें अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदक्रम में नियुक्ति के योग्य पाया गया। खंड विकास अधिकारियों की तालिका में तीन अधिकारी थे और उनमें से एक को ४ तहसीलदारों के साथ पदोन्नत किया गया। अन्य दो खंड विकास अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की गई क्योंकि उनमें से एक का चरित्र और काम इस योग्य नहीं था कि उसकी पदोन्नति को उचित सिद्ध कर सकें और दूसरे के विरुद्ध सरकारी रुपये के गबन की जांच हो रही है। उन रिक्तियों पर जो खंड विकास अधिकारियों के लिये निश्चित थीं दो तहसीलदारों को नियुक्त किया गया हैं। इनमें से एक तालिका पर था। दूसरा जो तालिका पर नहीं था उसकी पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमन की शर्त पर की गई है।

कुमाऊं और गढ़वाल में पुरातत्व संबंधी खुदाई

†२६०२. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल प्रदेशों में खुदाई के लिए पुरातत्व विभाग की कोई योजना है; और

†मूल अंग्रेजी में

[1] Superannuated Officers.

(ख) क्या इन प्रदेशों में उस विभाग ने अभी तक कोई काम किया है?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख). जी नहीं ।

कुछ छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

†२६०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
ज्ञानी गु० सि० मुसाफिर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कसौली, साबाथू और दगशाई छावनी बोर्ड अपने अनुसूचित कर्मचारियों को दिनांक २३ मार्च, १९५२ के एस० आर० ओ० ५८४ में दी गयी दरों से कम दरों पर महंगाई भत्ता ` रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). कसौली और साबाथू छावनी बोर्डों के अनुसूचित कर्मचारियों को दिये जाने वाले निर्वाह खर्च भत्ते की दरें २५ मार्च, १९५२ की श्रम मंत्रालय अधिसूचना एस० आर० ओ० ५८४ में और दिगशाई छावनी बोर्ड के अनुसूचित कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की दरें २७ दिसम्बर, १९५४ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६५५ में प्रकाशित की गयी थीं। ये दरें उन दरों के बराबर हैं जो पेप्सू राज्य के, जिनकी सीमा के अन्तर्गत ये छावनियां आती हैं, तत्सम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लागू होती हैं । १ नवम्बर, १९५६ को पेप्सू राज्य पंजाब में मिला दिये जाने के कारण, इन तीनों छावनी बोर्डों के अनुसूचित कर्मचारियों के लिए पंजाब राज्य के कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की दरें मंजूर करनी पड़ी। ऐसा करने में, यदि पेप्सू सरकार की दरों की तुलना में पंजाब राज्य के महंगाई भत्ते की दरें कम पड़ती थीं तो कर्मचारियों के मूल वेतन में उतनी ही वृद्धि करके वह कमी पूरी कर दी गयी। इसलिए तीनों छावनी बोर्डों के अनुसूचित कर्मचारियों को किसी प्रकार कोई घाटा नहीं हुआ। तब से राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसने यह भी सिफारिश की थी कि छावनी के कर्मचारी को वही महंगाई भत्ता दिया जाये जो राज्य सरकार (जिसके क्षेत्र में वह छावनी स्थित हो) अपने कर्मचारियों को देती हो, दिनांक ४ मार्च, १९६० की श्रम तथा रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५७८ में प्रकाशित हुआ है और वह कार्यान्वित किया गया है ।

मनीपुर में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†२६०४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन ३५ गांवों में १९६१ की जनगणना में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था क्या सरकार उनकी सूची सभा पटल पर रखेगी; और

(ख) जो गांव चुने गये हैं क्या वे मनीपुर की सामान्य जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के द्योतक हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) गांवों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८] सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) जी हां।

मनीपुर और त्रिपुरा में प्रशासनिक ढांचा

†२६०५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर और त्रिपुरा के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन पूरा हो चुका है;

(ख) पुनर्गठन से कितनी किफायत हुई है; और

(ग) पुनर्गठित ढांचा किस प्रकार का है और उसका ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). त्रिपुरा सचिवालय के ढांचे के पुनर्गठन पर अभी छानबीन हो रही है और अंतिम निर्णय शीघ्र ही किया जाने वाला है। मनीपुर सचिवालय के बारे में अभी अध्ययन करना बाकी है और उसके पुनर्गठन के बारे में अंतिम निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा।

जमशेदपुर में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२६०६. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमशेदपुर में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या टाटा ने जीवन बीमा निगम को क्वार्टर बनाने के लिए कोई जमीन देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) भारत के जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में रहने के लिए आवास देने की शर्त नहीं है। निगम के पास केवल ७ मकान हैं जो कर्मचारियों को किराये पर दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं। टाटा से केवल एक छोटी सी जमीन पट्टे पर उपलब्ध थी और इस मामल में भी स्वामित्व के विषय में कुछ वैध कठिनाइयां थीं।

(ग) बिहार सरकार ने ४ एकड़ जमीन अभी हाल में दी है। इस जमीन पर कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टर बनाने की योजना निगम बना रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता बन्दरगाह में तस्कर व्यापार

†२६०७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में (वर्षवार) कलकत्ता बंदरगाह मे किस प्रकार की वस्तुओं का तस्कर व्यापार हुआ;

(ख) उन वस्तुओं का मूल्य कितना था ; और

(ग) तस्कर व्यापार करने वालों के विरुद्ध कितनी शिकायतें दर्ज की गयीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). १९५१ से १९६० तक पिछले दस वर्षों में कलकत्ता बन्दरगाह से जितनी प्रकार की वस्तुओं का तस्कर व्यापार हुआ वह और उनका मूल्य अनुबन्ध १ और अनुबन्ध २ में दिया हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ग) तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध न्यायालय में २६४ शिकायतें दर्ज हुई हैं।

केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था

†२६०८. **श्री चांडक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था बैलगाड़ियों के पहियों के लिए ठीक ढंग से बनाये गये रबड़ के फिक्स्चर्स लोहे के टायर वाली बैलगाड़ियों में सुधार करने के लिए १९५९ के आरंभ से प्रयोग कर रही है;

(ख) हब में किस प्रकार के और कहां रबड़ फिक्स्चर्स लगाने का विचार है और इन रबड़ फिक्स्चर्स से क्या लाभ होगा; और

(ग) इस बारे में अनुसन्धान संस्था ने क्या खोज की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां, कुछ प्रयोग किये गये थे।

(ख) रबड़ फिक्स्चर्स ढले लोहे के बेअरिंग पर और हब के अन्दर एक्सील पर लगाये गये थे। यह अनुमान था कि इन फिक्स्चर्स से सड़क के सतह की भिन्न भिन्न प्रकार की ऊँचाई निचाई के अनुसार पहिया चलेगा और इससे जोर कम पड़ेगा और सड़क को कम नुकसान पहुँचेगा।

(ग) फिक्स्चर्स का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा ।

केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था

†२६०९. **श्री चांडक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था ने इस्पात-टायर तथा न्यूमैटिक टायर वाली बैलगाड़ियों की तुलनात्मक कार्यक्षमता का अध्ययन करने के लिए १९५८ में प्रयोग किये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह पता लगा था कि कच्ची सड़कों पर न्यूमैटिक टायर वाली गाड़ियों के लिए लोहे के टायर वाली गाड़ियों की अपेक्षा अधिक जोर लगता है ; और

(ग) क्या यह निष्कर्ष गलत था क्योंकि उसमें मिट्टी वाली सतह को दो हिस्सों में बांटने के लिए खर्च होने वाली शक्ति पर विचार नहीं किया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां । परिवर्तनशील बातों का न्यूनतम रखते हुए तुलनात्मक आधार पर गुणात्मक प्रयोग किये गये थे ।

(ख) संकेत ये थे :—(१) सूखी मिट्टी वाली जमीन पर या गीली या सूखी रेत पर न्यूमैटिक टायर लोहे के टायरों की अपेक्षा अधिक अच्छे थे और (२) गीली मिट्टी वाली जमीन पर लोहे के टायर न्यूमैटिक टायरों की अपेक्षा अधिक अच्छे थे ।

(ग) कोई अन्य परिवर्तनशील बातों को लागू किये बिना प्रयोगों के गुणात्मक ढंग को ध्यान में रखते हुए परिणाम गलत नहीं थे ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को विधि संबंधी सहायता देना

†२६१०. **श्री बं० च० मलिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में जिला स्तर पर पिछले एक साल से अधिक समय से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से विधि संबंधी सहायता के लिए आवेदन पत्रों पर कोई फैसला नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से विधि संबंधी सहायता के लिए १९६०—६१ में कितनी रकम दी गयी थी ; और

(घ) अभी तक कितनी रकम का उपयोग किया जा चुका है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). पिछले एक साल से अधिक समय से केवल सात आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ।

(ग) राज्य क्षेत्र के अधीन ५,००० रुपये । केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन इस प्रयोजन के लिए कोई रकम नहीं दी गयी है ।

(घ) ४,८११ रुपये ।

उड़ीसा में बाढ़ सहायता

†२६११. **श्री बं० च० मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६० में भयंकर बाढ़ से पीड़ित उड़ीसा के लोगों को कृपापूर्ण सहायता के तौर पर कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कृपापूर्ण सहायता का खर्च पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कितनी सहायता दी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अगस्त, १९६० में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को कृपापूर्ण सहायता के तौर पर उड़ीसा सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता की वास्तविक रकम उपलब्ध नहीं है । फिर भी राज्य सरकार ने सहायता कार्य पर लगभग ५३५.७१ लाख रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से कृपापूर्ण सहायता पर जिसमें नकद तथा वस्तुओं के रूप में दी गयी सहायता भी शामिल है, २७९.१८ लाख रुपये का संशोधित अनुमानित व्यय दिखलाया है ।

(ख) उड़ीसा सरकार को १९६० की बाढ़ के कारण सहायता कार्यों पर, जिनमें कृपापूर्ण सहायता, सड़कों, पुलों आदि की मरम्मत का खर्च शामिल है, खर्च पूरा करने के लिए १ करोड़ रुपये का कर्ज और एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था । चूंकि केन्द्रीय सहायता सहायता-कार्यों पर किये गये कुल खर्च को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण आधार पर दी जाती है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि उसमें से कितनी सहायता कृपापूर्ण सहायता के तौर पर दी गयी ।

मद्रास राज्य में विज्ञान मन्दिर

†२६१२. **श्री धर्म लिंगम** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में अब तक कितने विज्ञान मंदिर आरंभ किए गए हैं ; और

(ख) एस० बी० नगरम, अरनी ताल्लुक, उत्तर अर्काट जिला, मद्रास राज्य में स्थित विज्ञान मंदिरों में किस प्रकार का काम किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) चार ।

(ख) एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

विज्ञान मंदिरों में ऐसी शोधनशालायें हैं जिनमें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रयोग किए जाते हैं । यहां के स्थानीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि यहां पर प्रयोग करें ।

विज्ञान मंदिर से संबद्ध एक विज्ञान संग्रहालय में स्थानीय पेड़ और पौधों के नमूने रखे हुए हैं ।

विज्ञान मंदिरों की शाखाओं के द्वारा ग्रामीण विज्ञान क्लब चालू किए गए हैं जिन में कृषि, स्वास्थ्य, सफाई आदि के विभिन्न मामलों पर चर्चा होती है और इसी के बारे में फिल्म शो तथा प्रदर्शन किए जाते हैं ।

विज्ञान मंदिर से संबद्ध एक छोटा सा पुस्तकालय भी है जिसमें वैज्ञानिक विषयों पर अंग्रेजी और तमिल में पुस्तकें हैं । पुस्तकालय में क्षेत्र के सभी निवासी निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान मंदिर में चर्चा तथा प्रदर्शन किए जाते हैं जिनके द्वारा सफाई, पोषण, बालकों की देखभाल आदि की समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों को परामर्श दिया जाता है ।

नागा विद्रोही

†२६१३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीजन में नागा विद्रोही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मग्नीलांग (नागा) गांव में नागा विद्रोहियों की जंगल में छिपने की जगह को सैनिकों ने छीन लिया और वहां पर हथियार छीन लिए गए तथा मुठभेड़ में २६ नागा मारे गये ;

(ग) यह हथियार कहां के बने हैं ; और

(घ) भाग (क) के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (घ). यह पता लगा था कि लगभग ४०० विद्रोही नागा फरवरी के मध्य में तामेंगलांग सब-डिवीजन के मागूलांग के निकट इकट्ठा हो रहे हैं । इनको तितर बितर कर दिया गया ।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा २१ मार्च, १९६० को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या २०४९ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

(ग) जानकारी इकटठा की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में श्रमिकों की मृत्यु

†२६१४. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चम्बा टिस्सा सड़क के निर्माण कार्य में लगे हुए आठ कर्मचारी २२ जनवरी, १९६१ के आस पास मर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या किसी अन्य कर्मचारी के भी चोटें आईं थीं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

†२६१५. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में इस समय प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के कितने अध्यापक हैं ;

(ख) उन में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के कितने अध्यापक हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के लिए रिजर्व अध्यापकों के पद रे भर चुके हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में मकानों का गिरना

†२६१६. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि मार्च १९६१ के प्रथम सप्ताह में आंधी के कारण त्रिपुरा के अरुन्धतिनगर के असंबद्ध शिविर के मकान गिर गए थे जिसके कारण कितने ही व्यक्ति आहत हो गये और एक मर गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस शिविर के निवासियों ने स्थानीय अधिकारियों का ध्यान तीन महीने पहले मकानों की खराब दशा की ओर आकर्षित कराया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मकानों की मरम्मत पिछले चार साल से नहीं की गई है ;

(घ) इस शिविर के निवासियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) गिरे हुए मकानों के लिए क्या सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । इसके परिणामस्वरूप एक निवासी मर गया और दो अन्य निवासियों के हल्की चोटें आईं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) निवासियों को तुरंत ही स्कूल के भवन तथा पड़ौस की झोंपड़ियों में ले जाया गया ।

(ङ) झोंपड़ियों की मरम्मत सरकार कराती है । निवासियों को कोई हानि नहीं हुई है । इसलिए अतिरिक्त सहायता का प्रश्न नहीं उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का निर्यात

†२६१७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में महीनेवार कितने कोयले का निर्यात किया गया और किन देशों को ; और

(ख) १९५९ की इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]

विश्व बैंक दल का प्रतिवेदन

†२६१८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पूंजी बाजार की उन्नति के अध्ययन के लिये आये विश्व बैंक दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं । दल अभी भारत में ही है और उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिये गये सामान का किराया

†२६१९. **श्री कुन्हन** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के लि` दिय गये सामान का किराया मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मिली है ; और

(ग) इस राशि की गणना किस आधार पर की गई थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रायपुर की स्वागत समिति के सभापति को सामान के किरा` की १०,३४३ रुपये ५६ नये पैसे की वसूली के लिये लिखा है ।

(ग) किराया वस्तुओं की लागत, अवक्षयग अभिकरण प्रशासनिक व्यय को हटाने में रखते हुए निश्चित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण कनारा जिले में लौह-अयस्क

†२६२०. **श्री आचार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही भूतत्वीय परिमाप का काम करने वाले एक दल ने दक्षिण कनारा जिले को बंतवाल तालुक (बंगलौर से लगभग २५ मील) में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अयस्कों की मात्रा, किस्म तथा विक्रय के ब्यौरे क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारत सरकार को ऐसी किसी खोज का ज्ञान नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहायक सेना छात्र दल प्रशिक्षण

†२६२१. { **श्री सम्पत :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक सेना छात्र दल के प्रशिक्षकों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन केन्द्रों में तथा प्रशिक्षण की अवधि क्या होती है ; और

(ग) प्रशिक्षण का माध्यम क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** (क) सहायक सेना छात्र दल के लिये चुने गये प्रत्येक प्रशिक्षक को तीन सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके बाद प्रत्येक वर्ष उस को १० दिन का रिफरैशर प्रशिक्षण दिया जाता है । परन्तु यह राज्य सरकारों को दी गई धन राशि पर आधारित होता है । सच यह है कि राज्य सरकारें इस काम के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं करती हैं । इसलिये सभी सहायक सेना छात्र दल के प्रशिक्षकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ।

(ख) रिफरैशर प्रशिक्षण के लिये कोई केन्द्र निश्चित नहीं है । सम्बन्धित सर्किल कमान्डर द्वारा विभिन्न स्थानों पर उपयुक्त स्थान चुन लिये जाते हैं । आवास की उपलब्धता, भोजन व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों के घरों से दूरी आदि का ध्यान रखा जाता है ।

(ग) हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा ।

आय-कर का निर्धारण

†२६२२. { **श्री सम्पत :**
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९—६० में कितने राज्यवार व्यक्तियों का आय कर दस हजार रुपये से अधिक निर्धारित किया गया ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस अवधि में राज्य-वार कितना न इकट्ठा किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) आय के वर्गों तथा निर्धार्य की श्रेणियों के अनुसार वसूली की जानकारी नहीं रखी जाती है। इसलिये अपेक्षित जानकारी बताना संभव नहीं है।

केन्द्र में मद्रास सरकार के पदाधिकारी

†२६२३. { **श्री सम्पत् :** **श्री तंगामणि :** }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य सरकार के कितने पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे हैं और किन किन पदों पर हैं ; और

(ख) इन में आइ० ए० एस० तथा आइ० पी० एस० के कितने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इस समय अखिल भारतीय सेवाओं के मद्रास वर्ग के ४४ पदाधिका ी केन्द्रीय सरकार में हैं। इन में से :--

३ सचिव हैं ;

१ अतिरिक्त है ;

४ संयुक्त सचिव हैं ;

६ उप सचिव हैं ; और

३ अवर सचिव हैं ।

शेष २७ क्षेत्रीय पदों पर हैं।

(ख) ३२--आइ० ए० एस ०।

१२--आइ० पी० एस०।

रूरकेला में डोलोमाइट की भस्म बनाने का संयंत्र[1]

†२६२४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में रूरकेला के इस्पात कारखा ों में डोलोमाइट की भस्म बनाने के संयंत्र के काम करने में गंभीर खराबी का पता लगा था ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप कच्चे लोहे के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था ; और

(ग) संयंत्र को ीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उस पर क्या लागत आई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dolcomite Calcining Plant.

(ख) डोलोमाइट की भस्म की आवश्यकता इस्पात बनाने वाले एल० डी० कनवर्टर्स की पुनः लाइन बनाने वाली ईंटों को बनाने के लिये होती है। डोलोमाइट की भस्म बनाने वाले संयंत्र का प्रत्यक्षतः असर इस्पात के उत्पादन पर पड़ता है। परन्तु अप्रत्यक्षतः इसका असर लोहे के उत्पादन पर भी पड़ता है क्योंकि इस्पात बनाने वाले संयंत्र को गर्म लोहे की आयोजित मात्रा नहीं मिल पाती है।

(ग) जिस फर्म ने संयंत्र दिया था उन्होंने अपने व्यय से इसमें रूपभेद कर दिया है।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में केन्द्रीय विधेयक

†२६२५. **श्री आचार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रस्तावित केन्द्रीय विधेयक राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित विधान को उनके कर्मचारियों पर भी लागू करें;

(ग) क्या रिजर्व बैंक के समान संस्थाओं ने भी ऐसे विधान को लागू करने का अनुरोध किया है; और

(घ) क्या सरकार ने इन अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां तो संघ सरकार ने उनके अनुरोध के बारे में क्या निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने के विधान के ब्यौरे तथा संयुक्त परामर्श के लिये व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में भूमि सुधार

२६२६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि सुधार का कार्य पूर्ण हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को भूमिधर बनाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के अधीन ३०६ गांवों में भूमि सुधार कार्य किया जा चुका है; केवल एक गांव में ही समेकन के संशोधन के कारण यह कार्य करना शेष रह गया है।

(ख) ७५,१७८ व्यक्तियों को भूमिधर घोषित किया गया है।

रूस में भारतीय विमान बल के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†२६२८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही लिए गये यूक्रेन (ए एन १२) विमानों की देखभाल करने तथा उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के लिये भारतीय विमान बल के पदाधिकारियों का एक दल रूस भजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल में कितने पदाधिकारी थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जी हां, प्रशिक्षण लेने के लिए कितने ही पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भेजे गये हैं। खुलासा आंकड़े बताना राष्ट्र हित में नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों के उपोत्पाद

†२६३०. **श्री आचार** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला की इस्पात परियोजनाओं में पर्याप्त मात्रा में उपोत्पाद बन सकते हैं ;

(ख) इन उपोत्पादों को बनाने के लिये आवश्यक अतिरिक्त संयंत्र, भवन आदि में कितनी धनराशि विनियोजित करनी पड़ी; और

(ग) उपोत्पादों के विक्रय से कितनी धनराशि मिलेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां। इस समय तारकोल, अमोनियम सल्फेट, नैफथालिन बेनजेने, गन्धक का तेजाब, एनथारसीन आदि उपोत्पादक बनते हैं।

(ख)	(रुपये लाखों में)
रूरकेला	७६०
भिलाई	५१०
दुर्गापुर	५५०

(ग) जब तीनों इस्पात संयंत्रों में उपोत्पादों का पूरा उत्पादन होने लगेगा उस समय आशा है कि लगभग ४३० लाख रुपये के उपोत्पाद बिकने लगेंगे।

पुरातत्व विद्या सम्बन्धी स्कूल

†२६३२. **श्री कुम्भार** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विद्या सम्बन्धी स्कूल में कितनी सीटें हैं और विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

(ख) १९६०–६१ में स्कूल में प्रवेश के कितने आवेदन पत्र मिले थे; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) (१) १०।

(२) भारत के विभिन्न राज्यों से ९ विद्यार्थी तथा एक नैपाल से।

(ख) २२४

(ग) प्रारम्भिक छांट करने तथा बोर्ड द्वारा परीक्षण करने के बाद नौ अभ्यर्थी चुने गये थे; एक सीट नैपाल सरकार के अभ्यर्थी के लिये रिजर्व है।

उड़ीसा को मकान बनाने की सामग्री का संभरण

†२६३३. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में वर्षवार उड़ीसा को लोहा तथा इस्पात और कोक तथा कोयला की विभिन्न भवन निर्माण सामग्री का कितना सम्भरण किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन वस्तुओं की अलग अलग दूसरी पंचवर्षीय योजना की उड़ीसा की वर्षवार मांग क्या थी; और

(ग) जनवरी तथा फरवरी १९६१ में अलग अलग उड़ीसा को मकान बनाने के लिए कितना लोहा तथा इस्पात और कोक तथा कोयला दिया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). 'मकान बनाने के लिए' लोहा तथा इस्पात अथवा कोक तथा कोयला की कोई मांग नहीं है अथवा आवंटन नहीं किया गया है। राज्य सरकारों को कृषि के अतिरिक्त, सरकारी विकास योजनायें, इस्पात शोध उद्योग, कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग आदि के लिये इस्पात का इकट्ठा आवंटन किया जाता है। केवल मकान बनाने के लिये लोहा तथा इस्पात की मांग अथवा सम्भरण की सांख्यिकी नहीं रखी जाती है।

"बी आर के" के शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कोयला तथा कोक का इकट्ठा आवंटन किया जाता है। १९५६ से १९६० तक 'बी आर के' के अन्तर्गत उड़ीसा को दिया गया कोयला नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	कोटा	दिया गया (वैगनों में)
१९५६	११७६	२२१५
१९५७	११७६	१२५९
१९५८	२२००	१५४०
१९५९	२२००	१७६३
१९६०	२२००	११३२

जनवरी तथा फरवरी १९६१ में ईंटों को जलाने वाला कोयला निम्नलिखित मात्रा में दिया गया था :—

महीना	दिया गया (वैगनों में)
जनवरी १९६१	१९४
फरवरी १९६१	४०

उड़ीसा में संरक्षित स्मारक

†२६३४. डा० सामन्त सिंहार : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष १९४५ से पूर्व संरक्षित स्मारकों की कुल क्या संख्या है;

(ख) वर्ष १९४५ के बाद संरक्षित घोषित किये गये स्मारकों की क्या सूची है;

(ग) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उनके संधारण और मरम्मत के लिये स्मारक-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी और प्रत्येक पर पृथक् पृथक् कितनी धनराशि खर्च की गयी;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में पुरी जिले में चन्देसपुर मन्दिर के ढह जाने की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ढह गये हुए मन्दिर के वास्तु कलापूर्ण पत्थर के टुकड़ों को सुरक्षित रखने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)**:(क) २५।

(ख) एक सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ग) इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं। यह मन्दिर संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी

†२६३५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में नियोजित औद्योगिक कर्मचारियों पर केन्द्रीय असैनिक सेवायें अस्थायी सेवा नियमों का नियम ५ लागू नहीं होता जिसके अधीन बिना कारण बताये कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जी, नहीं। यह नियम केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में नियोजित औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद्

†२६३६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद् की पिछली बैठक कब हुई थी;

(ख) इस बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया और क्या सिफारिश की गयीं; और

(ग) सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद् की पिछली बैठक ३० अप्रैल, १९६० को हुई थी। परिषद् ने देश में प्रविधिक शिक्षा के विस्तार और सुधार सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया और विशेषत: सभी प्रविधिक संस्थाओं के लिये सामान्य प्रवेश परीक्षा, खनन विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रविधिक शिक्षा का विस्तार, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये सीटों का संरक्षण, प्रविधिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आयु सीमा और प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिजों की स्थापना पर विचार किया। बैठक की कार्यवाही एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) परिषद् की प्रमुख सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(१) इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिये सामान्य परीक्षा :

सभी राज्य सरकारों से अखिल भारत परिषद् द्वारा की गयी प्रस्थापनाओं पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रश्न पर १५ जनवरी, १९६१ को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया जिस में यह बात तै हुई है कि प्रत्येक राज्य में सभी प्रविधिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सामान्य चुनाव की व्यवस्था करें। जहां तक चुनाव के तरीके का सम्बन्ध है, यह तै हुआ कि राज्य सरकारें मामले की जांच करें और प्रवेश परीक्षा लेने अथवा चुनाव के लिये कोई अन्य तरीका निकालने के लिये प्रस्थापनायें बनायें।

(२) इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु सीमा :

केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश मान ली है। इस को सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और प्रविधिक संस्थाओं को भी भेज दिया गया है।

(३) खनन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण :

खनन विद्यार्थियों के लिये एक व्यावहारिक प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है।

(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रविधिक शिक्षा का विकास :

केन्द्रीय सरकार और राज्यों की तृतीय पंचवर्षीय योजनायें बनाते समय कार्यकारी दल के प्रतिवेदन और अखिल भारत परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

(५) प्रादेशिक कालेजों की स्थापना :

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सात और प्रादेशिक कालिज स्थापित करने का फैसला किया गया है।

(६) प्रविधिक संस्थाओं को अनुदान :

उत्तरी प्रादेशिक समिति द्वारा बनायी गई छः वर्तमान गैर-विश्वविद्यालय संस्थाओं के विकास और तीन नयी गैर-विश्वविद्यालय संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी योजनायें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। नौ गैर-विश्वविद्यालय डिप्लोमा संस्थाओं को आवर्ती अनुदान देने और उत्तरी प्रदेश में संस्थाओं के छात्रावास बनाने के लिये ऋण देने के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार कर लिये गये हैं।

(७) पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये सीटों का संरक्षण :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये कुल उपलब्ध सीटों की २५ प्रतिशत सीट सुरक्षित रखने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारत परिषद् की सिफारिश मान ली है। यह सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और प्रविधिक संस्थाओं को भी भेज दी गयी है।

सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी संस्थाओं में अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिये कम से कम २५ प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिग्री कालिजों आदि के अध्यापकों के वेतन स्तर

†२६३७. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें डिग्री कालिजों और डिप्लोमा संस्थाओं के अध्यापकों के लिये अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये वेतन स्तर को कार्यान्वित करने को राजी हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने इस को कार्यान्वित कर लिया है; और

(ग) उस को कार्यान्वित करने के लि` सरकार क्या पग उठायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). अभी केरल, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को पुनरीक्षित वेतन स्तर लागू करने हैं ।

१५ जनवरी, १९६१ को हुए राज्य मुख्य मंत्री सम्मेलन में पंजाब, बिहार और उड़ीसा के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन के राज्यों ने भी योजना को स्वीकार कर लिया है । इन राज्यों से औपचारिक स्वीकृति अपेक्षित है ।

(ग) मुख्य मंत्री सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि पुनरीक्षित वेतन स्तर योजना सभी राज्य लागू करें । इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों से उठाया जा रहा है ।

बार एसोसियेशन सोनपुर, (उड़ीसा) के लिये छायादार स्थान

†२६३८. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलनगर जिले में सोनपुर की बार ऐसोसियेशन को, जो इस समय पर्याप्त समय से मुख्य सड़क पर स्थानीय न्यायालय के ठीक सामने आम के पुराने वृक्षों की छाया में है, उचित छायादार स्थान (शेल्टर) की व्यवस्था करने के लिये विभिन्न साधनों से उड़ीसा राज्य सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(ख) अभ्यावेदनों पर अब तक क्या प्रगति की गयी; और

(ग) यदि, नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दिसम्बर, १९६० में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) क्योंकि सोनपुर की बार ऐसोसियेशन को वर्तमान न्यायालय इमारत के अन्दर जगह देना संभव नहीं है, वर्तमान इमारत को बढ़ाने की एक प्रस्थापना विचाराधीन है ताकि उस में एक बार-कक्ष की व्यवस्था की जा सके ।

त्रिपुरा के समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी

†२६३९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने ५ प्रतिशत कर्मचारियों के बारे में बताया है कि उन की सेवाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों की सेवायें समाप्त की गयी हैं, वे लगभग १० वर्ष से काम कर रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

दिल्ली में व्हिस्की गैंग

†२६४०. **श्री दी० चं० शर्मा**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, जैसा १७ मार्च, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है, पिछले कुछ महीनों में एक 'व्हिस्की गैंग' विदेशी व्हिस्की की बोतल चुराने के लिये नई दिल्ली में राजनयिक व्यक्तियों के घरों में सेंध लगा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार).** (क) मार्च, १९६१ के दूसरे सप्ताह में सेंध लगाने के दो मामलों की रिपोर्ट की गयी जिन में दो राजनयिक व्यक्तियों के घर से विदेशी शराब की कुछ बोतलें चुरायी गयीं । इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह काम किस दल का है । मामलों की जांच हो रही है ।

(ख) पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है ।

उड़ीसा में याचिका लेखक

†२६४१. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार काफी समय से याचिका लेखकों की सेवावधि **उनके** जीवन-पर्यन्त बढ़ाने के लिये एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इन याचिका लेखकों की वर्तमान सेवावधि जून, १९६१ के अन्त तक है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) उस राज्य में इस समय जिलावार विभिन्न राज्यों में कितने याचिका लेखक हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और **(ख).** जी, हां ।

(ग) इस बारे में एक विधेयक विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रत्येक जिले में याचिका लेखकों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। विभिन्न जिला और सत्र न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार में याचिका लेखकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

बालासोर	१०
बालनगीर कालाहांडी	२७
कटक—धनकनल	५४
गंजम—बौध	३
मयूरभंज—क्योंझर	१६
पुरी	२७
सम्बलपुर—सुन्दरगढ़	१७

दिल्ली में अग्नि कांड

†२६४२. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री खुशवक्त राय : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्जी मण्डी, दिल्ली में, शनिवार, १८ मार्च, १९६१ को हुए अग्निकांड के फलस्वरूप लगभग २५० झुग्गियां जल कर भस्म हो गयीं;

(ख) यदि हां, तो इस अग्निकांड के कारण कितने जन धन की हानि हुई;

(ग) इस से कितने व्यक्ति बेघरबार हो गये ; और

(घ) सरकार ने उनको रहने की जगह और वित्तीय सहायता देने के बारे में यदि कोई व्यवस्था की है, तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) इस भाग में १३५ झोंपड़ियां अंशतः अथवा पूर्णतः जल गयीं ।

(ख) दो महिलायें और एक लड़की मर गयी। सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान ३८,००० रुपये लगाया गया है ।

(ग) वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु यह समझा जाता है कि इस का लगभग १३५ परिवारों पर प्रभाव पड़ा ।

(घ) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने प्रभावित परिवारों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रति परिवार २५ रुपये के नकद अनुदान देना मंजूर किया है ।

मेसर्ज सिंगारनी कोलियरीज को विदेशी मुद्रा

†२६४४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खानों के विकास के लिये मेसर्ज सिंगारनी कोलियरीज के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गयी है;

(ख) क्या वर्ष १९६१-६२ के लिये कोई आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंगारनी कोयला खानों की खानों के विकास की लागत में विदेशी मुद्रा के अंश का अनुमान लगभग ५ करोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ख) और (ग). वर्ष १९६१-६२ के लिये आवंटन का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में वेश्यावृत्ति

†२६४५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसको रोकने के लिये अफसरों को कानूनी अधिकार सौंपने के बारे में वर्तमान नियमों में संशोधन करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) सरकार को ऐसी किसी वृद्धि का पता नहीं चला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

भारत में रक्षित बैंक की शाखायें

†२६४६. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक की कोई शाखा हानि में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शाखायें और वे कहां पर हैं और कब से हानि में चल रही हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) और (ख). रक्षित बैंक की लेखा पद्धति के अधीन बैंकों के विनियोजन पर अर्जित समूचा लाभ इसके केन्द्रीय कार्यालय में दिखाया जाता है । अतः रक्षित बैंक की शाखाओं के बारे में रखे गये आय और व्यय के लेखे से वास्तविक लाभ अथवा हानि का पता नहीं चलता है जो कि समूचे आधार पर निकाला जाता है और शाखा-वार नहीं । इन परिस्थितियों में यह बताना संभव नहीं है कि यदि कोई शाखा हानि में चल रही है तो वह कौनसी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं नियम १९७ के अधीन प्रधान मंत्री का ध्यान गोआ के साथ व्यापार पर प्रतिबंध उठाने की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: एक प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में सरकार इस बात का संकेत दे चुकी है कि १ अप्रैल, १९६१ से गोआ के साथ सीमित व्यापार की अनुमति देने का निर्णय कर दिया गया है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गोआ की जनता विशेषकर निर्धन लोगों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनका भारत से निर्यात करने दिया जायेगा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में, जिन में निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है, निम्न वस्तुएं आती हैं : कपड़ा (खादी, हथकरघा का कपड़ा और मिल के बना हुआ कुछ प्रकार का कपड़ा) किताबें, दवाइयां तथा औषधियां, शिक्षण संस्थाओं के लिये सामान, चाय तथा चमड़े का सामान। सरकार ने गोआ से भारत में सुपारी के आयात की अनुमति देने का भी निर्णय किया है। बहुत सी चीजों का व्यापार स्टर्लिंग में किया जायेगा। किताबें, खादी, हथकरघा कपड़ा के व्यापार का भुगतान भारतीय पयों में किया जायेगा। यह सब व्यापार गोआ में प्रवेश के लिये मजाली के रास्ते से होगा।

२. पुर्तगाली बस्तियों के साथ सीमित व्यापार पुनः आरम्भ करना सरकार की नियंत्रण कम करने की नीति का ही एक अंग है। गोआ से यातायात पर नियंत्रण कम कर दिया गया है तथा सामान सम्बन ी नियम सरल बना दि े गये हैं। सरकार ने गोआ के साथ व्यापार के लिये अनमोड़ और लक्करकोट इन दो रास्तों को खोल देने की भी घोषणा कर दी है लेकिन पुर्तगाली अधिकारियों ने गोआ की तरफ ऐसी सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की है। यदि व्यापार के मामले में भी पुर्तगाली अधिकारी गोआ निवासियों को सुविधा नहीं देते तो निश्चय ही यह उनका उत्तरदायित्व है।

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी)** : स तरह चोरी छिपे माल को ले जाने में किस प्रकार कमी आयेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम जो अन्य का वाही इस सिलसिले में कर रहे हैं उनके अलावा भी यह कार्यवाही चोरी छिपे माल ले जाने की प्रथा को कम करेगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या इस नि त्रण की कमी इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार गोआ के प्रति अपनायी गई आर्थिक नीति को समाप्त कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नीति का समाप्त करना तो इसे नहीं कहा जा सकता किन्तु कभी-कभी नीति में परिवर्तन अवश्य हो जाता है।

†**श्री खाडिलकर (अहमदनगर)** : गोआ वालों की वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से क्या पंजिम तथा बम्बई के बीच स्टीमर सेवा चालू की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिना पूछे मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन)** : क्या व्यापार सम्बन्धी ये सुविधाएं गोआ तथा दमन पर भी लागू होंगी ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : ये सुविधाएं सभी पुर्तगाली बस्तियों पर लागू होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नकली रेशम उद्योग के पुनःसंस्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये नियुक्त कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्रीमान्, श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा नकली रेशम उद्योग के पुनः संस्थापन तथा आधुनिकीकरण के लि` नियुक्त किये ग` कार्यकारी दल का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर दिनांक ३० मार्च, १९६१ का सरका ी संकल्प संख्या २४(२९)टैक्स (डी)/६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २७५४/६१]

उपहार कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६१ और न्यू सिटीजन बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे दूसरे बैंक में मिलाने की योजना

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) उपहार कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९३ में प्रकाशित उपहार कर (दूसरा संशो न) नियम, १९६१ ।

(दो) बैंकिंग समवाय अ नियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अ सूचना संख्या एस० ओ० ६०० में प्रकाशित न् सिटिजन बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के पुर्ननिर्माण और उसे बैंक आफ बड़ौदा के साथ मिलाने की ोजना ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये एल० टी० संख्या क्रमश : २७९५/६१ तथा २७९३/६१]

त्रिपुरा स्टेट बैंक लिमिटेड का लेखा परीक्षित लेखे तथा इसके कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदन सहित वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत त्रिपुरा स्टेट बैंक लिमिटेड की ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा-प ीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ (क) की शर्तों के अनुसार तैयार किये गये उक्त समवाय (परिसमापन में) के का` की ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी० २७९६/६१ (१ तथा २)]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को, लोक-सभा द्वारा २८ मार्च, १९६१ को पारित किये गये उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा ३० मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में, लोक-सभा द्वारा २० मार्च, १९६१ को पारित किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने ३० मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में न्यूनतम मजरी (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पारित कर दिया है ।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं न्यूनतम मजू ी (संशोधन) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां तथा एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—सिंदरी फर्टिलाइजरस एंड केमिकल्स लिमिटेड (प्रतिवेदन तथा लेखे) के बारे में एक सौ बीसवां प्रतिवेदन ।

(दो) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड के बारे में एक-सौ-बाईसवां प्रतिवेदन

†**श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम)** : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । कुछ दिन हुए तब ज ाकि सिंदरी फर्टिलाइजर के उत्पादन में हानि, तथा परिणामस्वरूप लाभ में हानि का प्रश्न यहां उठाया गया था तो आपने कहा था कि यह मामला प्राक्कलन समिति को भेजा जायेगा । अब तो प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन भी आ गया है तो क्या यह वचन अभी तक है ।

†**श्री दासप्पा** : यदि माननीय सदस्य प्रतिवेदन को देखें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि उल्लेख करने के अन्तर्गत जो बात आती उसका बहुत कुछ अंश इस प्रतिवेदन में आ गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ने जो कुछ कहा है उसको देखते हुए यदि कुछ बाकी रह जाता है तो माननीय सदस्य अध्यक्ष को लिख कर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रुद्रसागर में तेल के कुआं संख्या १ के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री के० दे० मालवीय अपना वक्तव्य देंगे और चूंकि यह काफी बड़ा है । फिर अच्छा हो वह इसे पढ़ दें ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मंगलवार २८ मार्च, १९६१ को आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं श्री हेम बरुआ द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखूं कि मैंने रुद्रसागर स्थित तेल के कुओं के बारे में माननीय सदस्यों से कुछ छिपाया है तथा इस प्रकार इस संसद् को प्राप्त विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है ।

यह मामला स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में १३ मार्च, १९६१ को प्रकाशित एक समाचार के कारण उठा । समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार का आशय यह था कि रुद्रसागर स्थित कुआं धसक गया है, खोज का काम रोक दिया गया है, ३० लाख रुपये बेकार खर्च हुए, कुएं को ठीक करने के सभी प्रयत्न निष्फल हुए और इस दुर्घटना का परिणाम उस क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य निश्चित समय में नहीं होंगे ।

यह समाचार समाचारपत्र के प्रथम पृष्ठ पर बड़े शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ अतः यह स्वाभाविक था कि माननीय सदस्यों का ध्यान इसकी ओर जाता और एक स्थगन प्रस्ताव भी आना भी स्वाभाविक था । मुझे भी बड़ी चिन्ता हुई, और तुरन्त ही जानकारी प्राप्त करके मैंने सभा को अस्थायी तौर पर बताया भी तथा यह भी वचन दिया कि जैसे ही पक्की खबर मिलेगी सभा में एक विवरण रख दिया जाएगा । १४ मार्च को मैंने सभा में बताया था कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार निराधार था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के महा निदेशक ने, जिन्हें कि तेल की खोज करने का काम सौंपा गया था, अपनी वार्ता के दौरान कहीं भी यह नहीं कहा कि कुएं की दीवार ढह गई है या कि तेल की खोज का काम बन्द कर दिया गया है या इस घटना के परिणामस्वरूप काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न हो सकेगा । आशा है कि इस समाचार से किसी भी माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी नहीं होगी ।

इस समाचार का खंडन करते हुए मैंने बताया था कि तेल के इस कुएं का परीक्षण के समय जो कुछ भी हुआ वह असाधारण नहीं था इस प्रकार की घटना प्रायः ऐसे टेकनीकल मामलों में हुआ करती है । इसका समाधान करने के लिए संसद सदस्यों तथा समाचारपत्र संवाददाताओं की एक बैठक भी बुलाई गई थी और उस बैठक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों की एक वार्ता भी कराई थी । श्री माथुर ने वहां एक भाषण भी दिया था कि वह रुद्रसागर कुएं के बारे में टेक्नीकल ढंग की समस्याओं के बारे में सचित्र वार्ता का प्रबन्ध करें ।

श्री हेम बरूआ ने आरोप लगाया है कि वह त्रुटि भले ही बड़ी हो अथवा छोटी लेकिन उसके कारण उस कुएं से तेल निकालने का काम उस समय तक रुक गया जब कि सम्भवतः रूस से वर्क ओवर रिग नहीं आ गई । बल्कि असलियत तो यह है कि तेल खोजने के लिये उस कुएं की ३८१७ मीटर तक खुदाई की जा चुकी थी और उसमें सीमेंट का काम भी आवश्यकतानुसार पूरा कर दिया गया था । अतः तेल की खोज के काम को रोकने का प्रश्न नहीं उठता । यह वर्क ओवर रिग रूस से नहीं बल्कि कलकत्ता से आने को थी । जांच करने के लिये अथवा छोटे-छोटे कार्यों के लिये

†मूल अंग्रेजी में

हल्की वर्क ओवर रिग का प्र ोग करना ही ठीक रहता है । इसी कारण भारी वर्क ओवर रिग को रुद्रसागर में दूसरे कुएं पर काम करने के लिये हटा दिया गया था। अतः इस कुएं का काम कलकत्ता से हल्की 'रिग' आने के लिये छोड़ दिया गया था ।

श्री बरुआ को मेरे वक्तव्य के बारे में सन्देह है। मैंने २२ दिसम्बर, १९६१ को संसद में बताया था कि कुए के पहले दो होराइज़न का परीक्षण करने के पश्चात् इस बात का पता चला है कि रुद्रसागर में तेल मिलने की आशा नहीं है लेकिन ३० दिसम्बर को मैंने फिर बताया कि तीसरे होराइज़न का प ीक्षण करने से पता चलता है कि वहां तेल की उपलब्धि संभव है। इसलिये यह सोचा गया कि पहले दो होराइज़न का परीक्षण करना भी अनिवार्य है । इन दोनों होरा इज़न को भी उतना ही लाभदायक समझा गया और आशा है कि वहां से भी काफी तेल मिल सकेगा । इसलिये यह कहना गलत है कि वहां १५ दिसम्बर, १९६० को ही वर्क ओवर रिग की आवश्यकता हुई थी।

रिग का गिराना २५ जनवरी, १९६१ को प्रारम्भ हुआ और १२ फरवरी, १९६१ को समाप्त हुआ । तेल के बारे में अधिक से अधिक सूचना पाने के लिये यह आवश्यक है कि कुएं की अधिक से अधिक खुदाई की जाये। इसलिये रुद्रसागर में १५,००० फुट की खुदाई करने वाली भारी रिग का प्रयोग किया गया। अतः अन्य कुओं में जहां कि हलकी रिगों से खुदाई का काम हुआ था यहां अधिक समय लगा। अतः इस कुएं का काम रुकने का कोई प्रश्न नहीं उठता । अतः श्री बरुआ का यह आ ोप गलत है कि कुएं को बचाने के लिये टैक्नीकलों ने अच्छा प्रयत्न किया और उन्होंने उसी समय अपनी आशाएं समाप्त कर दीं जब कि उन्हें यह मालूम हुआ कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता ।

परीक्षित होराइजनों के बीच सीमेंट प्लग रखना परीक्षण की कार्यवाही के अन्तर्गत ही आता है। यदि इन प्लगों में कोई कमी आदि दिखाई पड़ती है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कुएं में कोई गड़बड़ है। यह ो सीमेंट के दूसरे प्लग रिग की ऊंचाई तक रख कर ठीक किया जा सकता है । इस प्रकार की कमियां तो प्लगों में सामान्य रूप से मिलती हैं और विश्व में सभी जगह सामान्यरूप से ीक की जा सकती हैं ।

जैसा कि आपने आदेश दिया था उसी के अनुसार मैं श्री माथुर की इस सम्बन्ध में दी गई वार्ता की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो स्वतः ही विस्तृत एवं व्यापक है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० संख्या २७९९/६१]** मैंने १४ मार्च, १९६१ को जो वक्तव्य दिया था उसकी प्रति माननीय सदस्यों के पास पहले से ही है ।

---

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी)** : माननीय मंत्री ने उस तरीके की निन्दा की है जिस प्रकार यह समाचार प्रकाशित किया गया था। मैं इससे सहमत हूं, तथापि मैं इस विषय में एक ो बात और कहना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मनानीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में श्री के० दे० मालवीय पहिले भी एक वक्तव्य दे चुके हैं, तथापि उसमें श्री माथुर के भाषण का उल्लेख किया गया था, अतः सभा श्री माथुर के वक्तव्य की प्रति तथा उस सम्बन्ध में मंत्री जी का विस्तृत उत्तर जानना चाहती थी। अब माननीय मंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं, यदि सभा अब भी इस स मामले में सन्तुष्ट नहीं है तो वह विहित क्रिया का अनुसरण कर सभा में इस सम्बन्ध में पृथक चर्चा कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं ३ अप्रैल, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

निम्नलिखित मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :

वैदेशिक कार्य
श्रम और रोजगार
पुनर्वास
परिवहन और संचार और
वाणिज्य तथा उद्योग

अनुदानों की मांगे—जारी

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब सिंचाई और विद्युत मं ालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेगी । श्री हाथी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री मुहम्मद इमाम (चितलद्रुग)** : मेरा सुझाव है कि मंत्रियों के भाषणों के लिये भी एक अवधि निश्चित होनी चाहि े क्योंकि वे निश्चित समय से बहुत अधिक समय ले लेते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात का प्रयत्न करता हूं कि विरोधी दलों को कुल चर्चा का ४० प्रतिशत न दिया जाय । इसलिये यदि मंत्री महोदय अधिक समय लेते हैं तो वह कांग्रेसी पक्ष से ही दिया जाता है ।

†**श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर)** : मंत्रियों के बहुत अधिक समय लेने से कांग्रेस दल के सदस्यों को अपने भाषणों के लि े समय नहीं मिल पाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कांग्रेस दल के सदस्यों को यह सोचना चाहिये कि मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं उन्हीं की ओर से कह रहे हैं । तथापि मंत्रियों को कुछ समय मिलना चाहिये क्योंकि सारा देश उनके वक्तव्य की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है ।

आज विशेष कारणो से गैर सरकारी कार्यवाही ४.३० बजे से ७ बजे तक होगी । क्योंकि वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों के लिये ६ घंटे का समय दिया गया है और प्रधान मंत्री चाहते हैं कि इन पर चर्चा सोमवार को समाप्त हो जाये, अत: ४ बजे यदि प्रधान मंत्री बोलना चाहेंगे तो वे वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेंग अथवा मैं विरोधी सदस्यों से भाषण देने को कहूंगा ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैंने परसों यह कहा था कि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, १९५१ के मुकाबले छह गुनी विद्युत का उत्पादन कर लेंगे । तथापि देश में विद्युत की मांग बढ़ती जा रही है । १९५१ में हमारा उत्पादन २३ लाख किलोवाट था, जो लगभग १३४.३ लाख किलोवाट हो जायेगा, इससे देश की मांग मुश्किल से पूरी होगी । अत: हमें और अधिक विद्युत का उत्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिये । देश के जल संसाधनों से लगभग ४ करोड़ किलोवाट विद्युत पैदा की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सरस्वती नदी यद्यपि बहुत छोटी है और केवल ६० मील लम्बी है तथापि उसमें १० लाख किलोवाट विद्युत पैदा करने की क्षमता है। इसमें से हम ७ लाख विद्युत प्राप्त कर सकेंगे। गुजरात की नर्मदा नदी में लगभग २० लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। सतलज का नियं किया जा चुका है और भाखड़ा के ६ सेटों से ६ लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। दक्षिण की कृष्णा गोदावरी और कावेरी में भी बहुत विद्युत उत्पादन क्षमता है।

इन नदियों से विद्युत का उत्प दन करने में कुछ समय लगेगा तथापि हमें चाहिये कि हम इस ओर प्रयत्न आरम्भ कर दे। जिससे कि हम कुछ निश्चित परियोजनायें तैयार कर सकें। हमने इन नदियों की पड़ताल का काम आरम्भ कर दिया है हमने इस सम्बन्ध में ६४ स्थान चुन लिये हैं जहां ये परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी और अन्ततोगत्वा १२० लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी। इन परियोजनाओं में १३ करोड़ रुपये का व्यय होगा।

इसके अतिरिक्त हमें पर्वतीय नालों और नदियों से भी विद्युत प्राप्त हो सकती है। तथापि ऐसे स्थानों में जहां संचार साधन सुलभ नहीं हैं वहां विशाल मशीनें और उपकरण नहीं ले जाये जा सकते हैं इस प्रकार वहां बड़े विद्युत घरों का निर्माण संभव नहीं है तथापि हमने इन पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता की जांच करने के लिए एक विभाग की स्थापना की है जो कि हिमाचल प्रदेश मनीपुर, त्रिपुरा और जम्मू और काश्मीर में काम कर रहा है पंजाब बिहार उत्तर प्रदेश इत्यादि में अपने अपने क्षेत्रों में विद्युत क्षमता की जांच कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के १०० छोटे छोटे बिजली घरों की स्थापना की जायेगी। हिमाचल प्रदेश में गिरि गंगा में एक ऐसर लघु सैट की स्थापना की जा चुकी है। इसके लिए किसी बांध की आवश्यकता नहीं होती है केवल दो पत्थरों की सहायता से एक पांच या सात फीट लम्बी नाली बना कर उनका जल एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है वहां २५ किलोवाट का एक विद्युत् उत्पादन यंत्र रहता है जो विद्युत् का उत्पादन करता है। इससे १०० घरों और आटे की चक्कियों में बिजली पहुंचायी जा सकती है। वहां लोगों ने रेडियो सैट भी रखे हैं। वहां बिजली पहुंचाने के लिए जंगल से लट्ठों का उपयोग किया जाता है।

अब हमने ऐसे सैटों का देश में ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। यद्यपि इनके उत्पादन का अधिक व्यय आयेगा तथापि जहां तक इनके पारेषण का संबंध है यह अपेक्षाकृत सस्ता होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे ४ करोड़ सैटों के लिए १०० रुपये का उपबंध किया गया है।

विद्युत उत्पादन के साथ साथ विद्युत् को उपलब्ध बनाने का कार्य भी महत्वपूर्ण है। हमने इस मामले में बहुत प्रगति की है। १९५१ में पारेषण लाइनों की कुल लम्बाई १९००० मील थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम इन लाइनों की लम्बाई बढ़ा कर १५८००० मील करना चाहते हैं। इनके संबंध में हमें यह भी देखना होता है कि वे अधिक खर्चीली नहीं हो। इसी उद्देश्य के लिए हमने सुपर ग्रिड बनाये हैं। इसका लाभ यह है कि यदि एक क्षेत्र में बिजली का कोई बड़ा स्टेशन हो और वहां विद्युत का उत्पादन अधिक होता हो तो यह विद्युत दूसरे क्षेत्र को भेजी जा सकती है और इस प्रकार एक क्षेत्र को मिलने वाले बिजली के लाभों को दूसरे क्षेत्र को दिया जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

दक्षिण के राज्यों के लिए ऐसे एक ग्रिड की स्थापना की जायगी । मैसूर, मद्रास, आंध्र और केरल को ऐसे एक ग्रिड से संयुक्त किया जायगा । इसके अतिरिक्त हम अन्तर्राजीय सम्पर्क की स्थापना कर रहे हैं । राजस्थान और मध्य प्रदेश चम्बल योजना द्वारा संबंधित हैं । राजस्थान और पंजाब भाखड़ा परियोजना द्वारा । इसी प्रकार हीराकुड और दामोदर घाटी निगम से अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों की स्थापना की गयी है । इससे न्यूनतम व्यय में हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

इसके अतिरिक्त हमें लिगनाइट, तेल, सूर्य की रोशनी और पवन चक्कियों से भी शक्ति प्राप्त हो सकती है । इन संसाधनों के संबंध में भी प्रयोग किये जा रहे हैं ।

यह कहा गया है कि देश के सिंचाई संसाधनों का पूर्णरूपेण उपयोग किया जाये । १९६५ में ६५ लाख एकड़ भूमि को सींचने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन केवल ३१ लाख एकड़ की सिंचाई की गयी । इस प्रकार सिंचाई के जल का ५० प्रतिशत उपयोग किया गया । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी जिसमें केवल १०० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है । इस प्रकार सींचा गया क्षेत्र ७७ प्रतिशत है । इस संबंध में मेरे पास राज्य-वार आंकड़े भी मौजूद हैं । बिहार में यह प्रतिशत ७२ से ७९ प्रतिशत है । जम्मू और काश्मीर में यह ८० से १०० प्रतिशत, केरल में ६६ से ९६ प्रतिशत, मद्रास में ७० से १०० प्रतिशत, मैसूर में ४५ से ६५ प्रतिशत, पंजाब में ४७ से ८२ प्रतिशत, राजस्थान में ४२ से ७२ प्रतिशत है सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप इस प्रतिशत में वृद्धि हुई है । निसंदेह राज्यों ने इस संबध में सक्रिय सहयोग किया है ।

मंत्रालय छोटे और मध्य प्रकार की परियोजनाओं की ओर पर्याप्त ध्यान दे रहा है । वह योजना आयोग के सहयोग से इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहा है कि अधिकाधिक मध्यम प्रकार की सिंचाई योजनाओं को लिया जाय क्योंकि एक तो यह जल्दी तैयार होती है और दूसरे इनसे शीघ्र लाभ मिलता है । तीनों योजनाओं के दौरान ५ करोड़ से १० करोड़ वाली योजनायें २८ हैं १ करोड़ से ५ करोड़ के बीच वाली योजनायें १०८ हैं तथा १ करोड़ से छोटी योजनायें ३८५ हैं । अतः हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि मध्यम प्रकार की योजनायें सारे देश में क्रियान्वित की जायें ।

भूमि परिरक्षण और वनरोपण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक कि इस ओर महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जायगा तब तक बांधों में शीघ्र मिट्टी भरने का खतरा रहेगा ।

आयोजन का भी प्रश्न उठाया गया है, इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ परियोजनायें पहिली योजनाओं के पूर्व ही ली गयी थीं, उन्हें समाप्तकरना है । तथापि इसके पश्चात् हमने निश्चित किया कि नदियों का बेसिनवार विकास किया जाय, क्योंकि इनमें से कई नदियां एक से अधिक राज्यों में बहती थीं । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर नदी बोर्ड अधिनियम पारित किया गया । जिससे कि यह बोर्ड बेसिनवार नदियां की पड़ताल कर सके तथा भूमि परिरक्षण विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई के संबंध में राज्यों को सलाह दे सके । अतः सात नदी पद्धतियों के संबंध में नदी बोर्ड बनाये गये हैं, वे नदियां कृष्णा, गोदावरी, सतलज, व्यासर, ावी,

महानदी, यमुना, कावेरी और ताप्ती हैं। ये बोर्ड राज्यों को योजनाये बनाने के संबंध में सलाह देंगे। राज्यों से इस संबंध में चर्चा समाप्त होने के पश्चात् इन बोर्डों की स्थापना कर दी जायेगी।

श्री मुहम्मद इलियास ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। गोखले समति ने भी इसके पुनर्गठन का सुझाव दिया था। इसी कारण हम आयोग में एक इंजीनियर को जल से संबंधित कार्य के लिए और एक इंजीनियर को विद्युत से संबंधित कार्य के लिए और शामिल कर रहे हैं। तीसरी योजना में कई अन्य योजनायें भी शामिल की जायेंगी और इंजीनियरों की वर्तमान संख्या से यह कार्य कर सकना संभव नहीं होगा।

इस संबंध में जहां तक पूर्व पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी खंडों से इंजीनियरों के चुनाव का प्रश्न है हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हमें योग्यतम इंजीनियर प्राप्त हों शर्त यह है कि राज्य उन्हें उपलब्ध कर देवें। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमने श्री दास को परियोजना निर्माण निगम का प्रबन्धक निदेशक नियुक्त किया है, नदी घाटी परियोजना निर्माण का दायित्व इसी निगम पर है। हम व्यक्तियों के चुनाव में किसी विशेष क्षेत्र पर विचार नहीं करते हैं अपितु हम केवल योग्यता व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। यद्यपि हम क्षेत्रीय आधार पर भी व्यक्ति चुनने प र विचार करते हैं तथापि मैं यह आश्वासन नहीं देता कि इसी आधार पर इंजीनयरों का चुनाव किया जायेगा।

उन्होंने यह भी कहा है कि दामोदर घाटी निगम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। श्री बुर्डइन ने इस संबंध में १५०,००० किलोवाट के तापीय बिजली घर और २ लाख किलोवाट के जल विद्युत् घर का सुझाव दिया है। यदि हम उनकी योजना के अनुसार कार्य करते तो साढ़े तीन लाख किलोवाट विद्युत् के उत्पादन करने के बाद हम चुप होकर बैठ जाते तथापि हमें अपनी योजनाओं को परिवर्तित करना होता है, आज उसी क्षेत्र से ४४८,००० लाख किलोवाट विद्युत् का उत्पादन किया जा रहा है।

तीन विद्युत् प्रजनन केन्द्रों का निर्माण हो रहा है — एक का दुर्गापुर में और दूसरे का चन्द्रपुर में जिनसे ५०६,००० किलोवाट अथवा ५ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी और १४०,००० किलोवाट के लिए हम एक और केन्द्र का तीसरी योजना में प्रस्ताव कर रहे हैं। यदि हम यह भी मान लें कि उसका निर्माण न किया जाये तब भी ५०६,००० किलोवाट और ४४८,००० किलोवाट मिलकर दस लाख किलोवाट हो जायेंगे जबकि श्री बुर्डइन ने ३५०,००० किलोवाट का सुझाव दिया था। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि हम उनके सुझाव का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर जहां कहीं हम आवश्यक समझते हैं हम बहुत आगे भी बढ़ गए हैं।

फिर माननीय मित्र ने सिंचाई संबन्धी आंकड़ों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन में कहा गया है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा ७ लाख एकड़ की सिंचाई की जा रही है। सिंचाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। निगम यह कैसे कह सकता है कि वह ७ लाख एकड़ की सिंचाई करता है? यदि यह प्रश्न है तो मैं किसी भी राज्य की ओर से उत्तर नहीं दे सकूंगा क्योंकि भारत सरकार स्वयं प्रत्येक खेत में जाकर सिंचाई नहीं करती है। आंकड़ों का संग्रह राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उन्होंने ही बताया है कि इतने एकड़ों में सिंचाई होती है। मैं समझता हूं कि हमें उनकी बात सही मान लेनी चाहिए।

[श्री हाथी]

परन्तु मैं साथ में यह भी बता देना चाहता हूं कि जब उपयोग किए जाने का प्रश्न आया तो हमने दो इंजीनियरों को देश भर में जांच करने के लिए भेजा। यह ठीक है कि वह जांच विस्तृत अथवा पूर्ण नहीं थी वरन् नमूना जांच भर थी। उन्होंने जो सिफारिशें कीं वे संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई थीं। उस प्रश्न का उत्तर यह है कि दामोदर घाटी निगम प्रत्यक्षतः सिंचाई नहीं करती है वरन् बंगाल सरकार को पानी दिया जाता है। इसलिए उस सरकार से प्राप्त आंकड़ों को सही माना जाना चाहिये। कोई अन्य रास्ता है ही नहीं। हम अपने इंजीनियरों को प्रत्येक खेत की जांच करने के लिए नहीं भेज सकते हैं।

फिर उन्होंने नौपरिवहन के संबंध में कहा। मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि उन्हें संदेह है कि यह १९६२ में संभव होगा या नहीं। इसके लिए उन्हें १९६२ तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार के संदेह को दूर करना कठिन है। हमने जो कहा है वह यह है कि नौपरिवहन १९६२ में संभव होगा। विद्युत् संबंधी प्रगति को देखते हुए, जिसमें हम श्री बुर्डुइन की सिफारिश से बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जो कुछ कहा गया है उसे अवश्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

फिर बाढ़ों और दामोदर घाटी निगम का प्रश्न आता है। १९५९ की बाढ़ ८,५०,००० क्यूजेक की थी। वर्तमान बांधों की क्षमता ६ लाख क्यूज़ेक की है। हमें सोचना चाहिये कि यदि ये बांध न हुए होते तो क्या स्थिति होती। समस्त क्षेत्र में ८५०,००० क्यूज़ेक पानी भर जाता परन्तु ६,००,००० क्यूज़ेक का हमने नियन्त्रण कर लिया। केवल २५०,००० क्यूज़ेक का नियन्त्रण नहीं किया जा सका। जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है, हम एक तीसरे बांध के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मामले के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा की जा रही है।

फिर माननीय सदस्य ने सिंचाई और बिजली के लिये देश में मशीनें बनाने का उल्लेख किया। उन्होंने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सभापति द्वारा लिखित किसी पुस्तिका से उद्धरण दिए। इसके सम्बन्ध में भी मैं उनसे सहमत हूं। सभापति का यह कथन न सर्वथा ठीक है कि देश में बिजली की भारी मशीनों और उपकरणों का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि हमें उन चीजों के लिये विदेशों पर न निर्भर रहना पड़े। परन्तु ऐसा नहीं है कि एक ही कारखाने में इन सब का निर्माण हो जाएगा। भोपाल में भारी बिजली के सामान का एक कारखाना है और हम ऐसे दो और कारखाने खोलने का विचार कर रहे हैं। जब इन कारखानों में ये मशीनें बनने लगेंगी तो हमें विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा।

परन्तु यहां अपने आदमियों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न आता है। अभी तक हीराकुड, दामोदर, भाखड़ा-नांगल, चम्बल और खम्बात् जैसी बड़ी परियोजनाओं में हमें डिजाइन, स्थापना, निर्माण आदि के प्रयोजन के लिये विदेशी सलाहकारों पर करोड़ों रुपए व्यय करने पड़े हैं। अतः भारी मशीनों के डिजाइन तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिये हमने एक विशेष केन्द्रीय संगठन स्थापित किया है ताकि हम इसमें पीछे न रहें। इसका अर्थ यह होगा कि हमें बहुत से इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों को भेजना होगा। परन्तु उन पर उतना व्यय नहीं होगा जितना कि हमें विदेशी सलाहकारों पर करना पड़ता है। यह संगठन वाणिज्यिक आधार पर चलेगा और अन्य लोगों की सहायता भी करेगा।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि ट्रांसमीशन लाइनों की मरम्मत की आधुनिक विधि भी आवश्यक है। यदि करेंट ले जाने वाली कोई लाइन ७-८ घण्टों के लिये रुक जाती है तो उस लाइन के कारखाने बन्द हो जायेंगे और उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिये हम अपने आदमियों को 'हॉट लाइन ट्रेनिंग' में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अर्थात् आपरेटर उस समय भी काम कर सकेंगे जबकि बिजली की लाइनों में करेंट हो और उसके रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे करेंट चालू रहने पर भी मरम्मत कर सकेंगे और केवल उतना ही भाग काटा जाएगा जिसमें मरम्मत हो रही है और उत्पादन में कमी नहीं होगी। उद्योग बन्द नहीं होंगे। हमारे ऐसे दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं--एक बंगलौर में और दूसरा गंगुवाल में--और अभी तक १५० प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन नौजवानों को करेंट रहते हुए बिना शॉक लगे काम करते हुए देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। उनकी सहायता के लिये विभिन्न प्रकार के यन्त्र रहते हैं।

प्रोफेसर रंगा ने राजस्थान नहर को पक्का बनाने और श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के सम्बन्ध में कहा वह अधिनियम मौजूद है वह मृत तथा घायल व्यक्तियों के आश्रितों को प्रतिकर दिया जाता है। उस अधिनियम के अतिरिक्त हम उपहारस्वरूप भुगतान भी करते हैं। जनसाधारण के साथ व्यवहार में मानवीयता का तत्व अवश्य होना चाहिये। यदि कोई मजदूर घायल हो जाता है अथवा मर जाता है तो उसे तुरन्त सहायता दी जाती है। प्रो० रंगा यहां उपस्थित नहीं हैं अन्यथा मैं उन्हें एक घटना की याद कराता। हीराकुड में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें १२-१३ व्यक्ति मर गए थे। जब मुझे सूचना मिली तो प्रो० रंगा मेरे कमरे में बैठे हुए थे। मैंने तुरन्त वित्त मन्त्री को फोन किया और तुरन्त १००० या २००० रुपए प्रति परिवार की मंजूरी प्राप्त की। पन्द्रह मिनट के अन्दर उन्हें सूचित कर दिया गया कि यह सहायता दी जानी चाहिये। भाखड़ा की दुर्घटना के मामले में भी पंजाब सरकार ने उसी शाम को उपहारस्वरूप भुगतानों की घोषणा कर दी थी।

जब हम मजदूरों से काम करवाना चाहते हैं तो हमें उनके लिये सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मैंने स्वयं हीराकुड जाकर वहां की सुविधाओं की जांच की थी। वहां रोशनी, पानी, कमरों, रोशनदानों और स्नानगृहों की कमी थी तथा फिर उनकी व्यवस्था की गई। प्रश्न केवल उन्हें पैसा देकर काम लेने का नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वे मनुष्य हैं और बड़े-बड़े बांधों का निर्माण कर रहे हैं। उनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं।

हम १४०० मील लम्बी इस नहर के साथ उनको समस्त लम्बाई में पक्के मकानों की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें बहुत खर्च करना होगा। आज वे पहले पांच मीलों में काम कर रहे हैं और कल वे अगले पांच मीलों में जायेंगे। इसलिये हम सब जगह पक्के मकान नहीं बना सकते। परन्तु रहने के लिये उचित स्थान अवश्य मिलना चाहिए।

इन लोगो के लिए वैकल्पिक रोजगार का भी निर्देश किया गया। हम भी इसके बारे में विचार करते रहे हैं। केवल दामोदर घाटी क्षेत्र में छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या अभी तक लगभग ६००० होती है। उनमें से केवल ३४५ को अभी खपाया जाना बाकी है। शेष किसी न किसी परियोजना में उपयुक्त रिक्तियों में लिये जा चुके हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके। हमने नौ काम दिलाऊ दफ्तर खोले हैं। हमने विभिन्न परियोजनाओं में जाकर इन लोगों का इण्टरव्यू लेने और उन के लिए रोजगार ढूंढने के लिये एक विशेष अधिकारी रखा था।

जहां तक छोटी सिंचाई और नलकूपों के प्रश्न का सम्बन्ध है, जिसका निर्देश किया गया, वह इस मन्त्रालय के पर्यालोकन में नहीं आता है। फिर सरदार इकबाल सिंह ने कहा कि इस मन्त्रालय ने जनता का सहयोग नहीं प्राप्त किया। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ क्योंकि हम माननीय सदस्यों तथा

[श्री हाथी]

राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते रहे हैं। हमें राज्य सरकारों को सदस्यों को सूचना देते रहने की सलाह दी है। केन्द्र में माननीय सदस्य जानते हैं कि हम उनसे प्रत्येक अवस्था में परामर्श करते हैं। आयोजन की अवस्था में भी हमने राज्य सरकारों को संसद् सदस्यों और विधान-मण्डल के सदस्यों के विचार जानने की सलाह दी है। फिर विकास परिषदें हैं और प्रत्येक परियोजना में भी सदस्यों से परामर्श के प्रयोजन के लिये परियोजना समितियां हैं। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है हम प्रायः सभी राज्यों से मिल चुके हैं और विभिन्न राज्यों के सदस्यों ने भी हमें अपने सुझाव दिये थे। पिछले दस या अधिक वर्षों में जो ५४४ परियोजनायें क्रियान्वित की गई हैं उन सब में ऐसा भले ही न किया गया हो परन्तु माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि इदीकी परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा बुलाया गया था। सात या आठ सदस्यों ने, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, इस प्रश्न के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ चर्चा की थी। कोसी के तटबन्धों में जनसंख्या सहयोग सर्वविदित है। इन १५० मीलों का कार्य बिहार की जनता ने ही किया था और जनता के सहयोग के कारण ही वह कार्य अधिक मितव्ययता से किया जा सका। दिल्ली-शाहदरा बांध भी जनता के सहयोग से बनाया गया था। फिर चम्बल के सम्बन्ध में श्री माणिक्य लाल वर्मा इस कार्य की देखभाल कर रहे हैं। जब चम्बल योजना का उद्घाटन किया गया था तो १००० किसान आगे आकर यह कहना चाहते थे कि वे पानी का उपयोग करने के लिये तैयार हैं। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में जनता का सहयोग प्राप्त किया गया है। हम इस सभा के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिये अत्यन्त उत्सुक हैं और उनके सुझावों का अवश्य ही स्वागत करेंगे।

इसके बाद मैं वेतन आयोग के वेतन-क्रमों और उनके दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों पर लागू किये जाने के प्रश्न का उल्लेख करूंगा। वह एक स्वायत्तशासी निकाय है। इन स्वायत्तशासी निकायों के लिये नियम भिन्न हैं और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनसे सर्वथा भिन्न हैं। यदि हम इन सिफारिशों को स्वायत्तशासी निकायों पर लागू करेंगे तो एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न होगी क्योंकि वैसी स्थिति में उन्हें सरकार के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत आना होगा जो उन पर लागू नहीं होते हैं। इसीलिये ये चीजें उन व्यक्तियों पर लागू नहीं की जा रही हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें उनके देय का भुगतान न करें। वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

इस प्रकार मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए समस्त प्रश्नों का—सम्भवतः राजस्थान नहर को पक्का बनाने के प्रश्न को छोड़ कर—उत्तर दे दिया है। उसके बारे में भी हमने निर्णय कर लिया है और कार्य सन्तोषजनक हो रहा है। अन्त में माननीय सदस्यों ने सिंचाई मन्त्रालय के कार्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पहली और दूसरी पंजसाला स्कीमें जो बनायी गयीं उनमें इस बात के लिये काफी कोशिश की गयी कि जो हमारे वाटर रिसोरसेज़ हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाये। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इतनी कोशिशों के बावजूद इस मसले में हमें जितनी कामयाबी होनी चाहिये थी नहीं हुई। आप देखते हैं कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, नदियों और दरियाओं का ताल्लुक है, देश में उनकी कमी नहीं है, और उनकी ताकत या रिसोरसेज़ जो हैं उनका अन्दाजा लगाया जाए तो वे १३६ करोड़ एकड़ फीट के करीब हैं, जिसमें से ४५ करोड़ एकड़ फीट यानी तिहाई के करीब आसानी से काम में लाया जा सकता है। फर्स्ट और सैकिण्ड फाइव इयर प्लान में जो कोशिशें की गयीं उन तमाम कोशिशों के बावजूद हम ११

करोड़ ६ लाख एकड़ फीट के करीब काम में ला सकेंगे । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आज हमारे सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जो वाटर रिसोरसेज़ हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाए । थर्ड फाइव इयर प्लान का जो प्रोग्राम है अगर वह भी पूरा हो जाए तो वह तमाम तकरीबन १६ करोड़ के करीब बनेगा । इसलिये आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि इर्रीगेशन और पावर के लिए जो स्कीमें बनायी जाएं वे इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए बनायी जाएं कि हमारा आखिरी टारगेट ४५ करोड़ का है । जब तक कि हम उसको पूरा नहीं कर लेंगे हम अपनी कोशिशों को, स्कीमों को, जारी रखेंगे । इसलिये मेरी यह तजवीज़ है कि जो थर्ड फाइव इयर प्लान बनायी जाए, उसमें जो प्रोग्राम बनाया जाए, वह इस तरीके से बनाया जाए कि वह प्रोग्राम चौथी, पांचवीं और छठी फाइव इयर प्लान्स में भी चल सके । हमारा जो ४५ करोड़ का टारगेट है वह पूरा हो सके ।

मैं इस बात पर इस लिये जोर दे रहा हूं कि आज इस बात की हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है । हम देखते हैं कि आए साल करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है । इसका असर फारिन एक्सचेंज पर पड़ता है । अगर हम इस मकसद में कामयाब हो जायें तो हमारे देश की जरूरत ही पूरी नहीं होगी बल्कि अनाज सरप्लस होगा और उसको हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे ।

दूसरी बात जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो रिसोरसेज हैं उनको काम में लाने के लिये सिर्फ पोटेंशियल क्रिएट करना ही काफी नहीं है । सबसे जरूरी बात यह है कि जो पोटेंशियल क्रिएट किया जाए उसको काम में लाया जाये, उससे फायदा उठाया जाय । मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि जो हमारी पिछली दो प्लान्स का तजुरबा है उसकी बिना पर मैं यह बात कह सकता हूं कि जितना पोटेंशियल क्रिएट किया गया वह तमाम का तमाम काम में नहीं लाया गया । पिछले दिनों हाउस में भी इस किस्म का सवाल उठा था । माननीय मंत्री जी ने खुद जवाब देते हुए इस बात को तसलीम किया था और कहा था कि हमारा जो पोटेंशियल क्रिएट किया गया वह १३--२ करोड़ था जब कि काम में सिर्फ १० करोड़ के करीब लाया गया । इस से अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है । इस नुक्सान को कैसे रोका जा सकता है ।

मैंने इस बात को समझने की बड़ी कोशिश की और जब मैंने तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को स्टडी किया तो मुझे मालूम हुआ कि यह ज्यादा गैप माइनर इर्रीगेशन में है । इस लिये हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये । इसके लिये मेरी तजवीज है कि या तो ऐसे हालात पैदा किये जायें कि मिनिस्ट्री आफ इर्रीगेशन एंड पावर और मिनिस्ट्री आफ फुड एंड एग्रीकल्चर में आपस में ज्यादा से ज्यादा कोआरडिनेशन हो, या माइनर इर्रीगेशन का तमाम काम यह मिनिस्ट्री अपने हाथ में खुद ले ले । ताकि यह गैप कम से कम हो । और मैं इस किस्म की एक नहीं कई मिसालें भी पेश कर सकता हूं कि इस गैप के ज्यादा होने से कितना नुक्सान हुआ और जो फैसिलिटीज क्रिएट की गयीं उन से कोई फायदा नहीं उठाया गया । ज्यादा दूर न जाते हुए मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पंजाब की रखना चाहता हूं । पंजाब में ट्यूब वैल्स की स्कीम बनायी गयी । वह ज्यादातर जालन्धर डिवजिन में थे । उस स्कीम पर लाखों रुपया खर्च किया गया । जो मैं कह रहा हूं उसकी ताईद पंजाब की जो पबलिक काउंट्स कमेटी है उसने भी की है । जो पानी प्रोवाइड किया गया किसानों ने उस पानी को लेने से इंकार कर दिया क्योंकि वह पानी जो नहरों से मिलता था उससे वह ज्यादा मंहगा था । मैं यह बात आपसे पूछता हूं कि ये तमाम बातें पहले क्यों नहीं सोची गयीं, और इस वजह से वह तमाम पोटेंशियल जो क्रिएट किया गया वह बेकार गया और वह तमाम रुपया जाया हुआ । जिन इलाकों में नहरें नहीं थीं अगर उनमें इस स्कीम को लागू करते तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता था ।

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी स्कीमें कामयाब हों इसके लिये जरूरी है कि उनको प्लानिंग के साथ चलाय जाये। एक्स्पेंडीचर पर चैक होना चाहिये। मैं इस लि े यह बात कहता हूं कि बहुत सी स्कीमें जो बनायी जाती हैं उनका जो शुरू में एस्टीमेट होता है वह बाद में कई दफा बढ़ता जाता है। मेरा पूरा विश्व.स है कि अगर खर्च पर पूरा कंट्रोल हो तो यह खर्चा ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिये इस तरफ भी हमारी मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिये। इस के लिये मैं सिर्फ एक ही मिसाल पेश करना चाहता हूं। भाखरा डैम पर जो खर्चा हुआ वह काफी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भी हाउस में यह सवाल उठा था और बतलाया गया था कि शायद पांच करोड़ रुपया और खर्चा किया जायेगा। मेरा यह पूरा विश्वास है कि अगर उसका इन्तिजाम पूरा होता, अगर अफसरों को बदउनवानियां करने की इजाजत न दी जाती तो शायद खर्चा बढ़ाने की जरूरत ही न पड़ती बल्कि उससे भी कम खर्चा होता। मैं जो कह रहा हूं वह हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर कह रहा हूं जिसको आम तौर पर पंजाब में दुलत कमेटी के नाम से पुकारा जाता है। और स कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उस में उस ने बहुत सी सिफारिशें कीं और इस बात पर जोर दिया और यह जाहिर करने की कोशिश की कि इस पर जो खर्चा हुआ है वह बहुत कम हो सकता था अगर अफसर लोग नेकनीयती और ईमानदारी से काम लेते और इस बात पर जोर दिया कि उनको सज.यें दी ज.यें, लेकिन अब तक किसी भी अफसर को सजा नहीं दी गयी। ंजाब की जो पबलिक एकाउंट्स कमेटी है उसने इस बारे में जो कहा है वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं ने यह बात जो कही शायद आप समझें कि मैं सजा के मामले में बड़ा जोर देता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा काम ठीक हो। सजा जो है वह इसलिये नहीं दी जाती कि किसी से बदला लेने की बात है या विक्टिमाइजेशन करने की बात है, लेकिन हमा ी सोसाइ ी में जो सोशल ईविल्स हैं उनको दूर करने के लिये इसका होना निहायत जरूरी है। तो पंजाब की पबलिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि भाखड़ा में त्रुटियां रही हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। आगे चल कर वह कहते हैं कि यह अधिक अच्छा होता कि हम गांधी जी के मार्ग पर चलते चाहे उसे सफलता देर से भले ही मिलती। मैं ने यह बात सलिये कही कि जो आप की हाई पावर कमेटी ने सिफारिशें की हैं उन पर अमल किया जा े और आयन्दा ये चीजें न हों।

इसके बाद मेरा चौथा प्वाइंट जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं, वह इम्पलीमेंटेशन का है। हम देखते हैं कि प्रोग्राम बन जाते हैं लेकिन वह इम्पलीमेंट नहीं होते। मासेज़ को, लोगों को, किसानों को तो तभी फायदा होगा जब उन प्रोग्राम्स पर अमल हो, कागज पर या फाइल पर उनके रहने से तो उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। इस के लिये मैं एक दो मिसालें भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं। हम जो भी स्कीम या प्रोग्राम बनायें उसको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं जो हमारा हाल ही में कैनाल वाटर ट्रीट एग्रीमेंट सन् १९६० में हुआ है उस की तरफ हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उसके बारे में जो ऐनुवल रिपोर्ट पेश की गई है उसके सफा ६७ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत १० वर्षों तक पूर्वी नदियों से कुछ पानी देता रहेगा।

इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि पाकिस्तान को दस साल तक पानी न दिया जाये लेकिन जहां तक इस पानी को रोकने का सवाल है इस पानी को हिन्दुस्तान के राजस्थान और पंजाब के हिस्से में काम में लाने का सवाल है वह काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसके साथ हम १० साल के लिये अपना दस साला प्रोग्राम न बनायें और उसको इम्पलीमेंट न करे वरना उसके बाद फिर वही सवाल पैदा होगा। क्यों कि जहां पानी नियामत है वहां वह जिन्दगी के लिये खतरा भी बन सकता है। अगर कोई प्रोग्राम प्लानिंग के बगैर होगा तो उस पानी

से नुकसान भी हो सकता है। इसलिये मेरी यह तजवीज है कि जो हमारा सतलज व्यास लिंक का प्रोग्राम है उसको पूरा किया जाये और उसको दस साल के अन्दर मुकम्मिल किया जाये। पाकिस्तान को दरियाए रावी और व्यास का जो पानी दिया जाता है उसको हम हिन्दुस्तान के हिस्सों में काम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है पहले माधोपुर और फीरोजपुर में ८२.७ लाख एकड़ फीट का संभरण ख रीफ के दिनों में किया जाता था। माधोपुर और फीरोजपुर का जो सवाल है वह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि माधोपुर हैडवर्क्स से पाकिस्तान को रावी का पानी दिया जाता है और फीरोजपुर हैडवर्क्स से सतलज और व्यास को पानी दिया जाता है। इस पानी को रोकने के लिये एक ही तरकीब है कि जो हमने सतलज व्यास लिंक की स्कीम बनाई है उसको जल्दी से जल्दी विदिन टाइम पूरा किया जाये। दूसरे मैं आप से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब माधोपुर हैडवर्क्स से रावी से पानी दिया जाता है तो उसे रोकने की क्या तजवीज है? जहां तक मेरा खयाल है उसके लिये एक ही तरीका हो सकता है कि सतलज व्यास लिंक की तरह व्यास रावी को भी लिंक किया जाये। आप इस बात को खूब जानते हैं कि रावी की सिचुएशन ऐसी है कि वह हिन्दुस्तान के जिस हिस्से से गुजरती है उस हिस्से में पानी की उतनी जरूरत नहीं रहती जितनी कि पानी की जरूरत उस हिस्से में है जो हिस्सा कि पाकिस्तान में है। इसलिये उस पानी को रोक कर काम में लाने का एक ही तरीका है कि इसी तरीके से रावी को भी व्यास के साथ लिंक किया जाये और व्यास को सतलज से लिंक किया जाये और गोविन्द सागर में तमाम पानी स्टोर करके उस को आगे दिया जाये क्योंकि आगे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास करके हिन्दी रीजन में जिसको कि यमुना का पानी मिलता है और वहां बरसात के मौसम को छोड़ करके तमाम साल पानी की कमी रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जमना दरिया बरसाती दरिया है। उसके अन्दर बर्फ का पानी कम है और इसलिये गरमी और सर्दी में उसमें कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने का एक ही तरीका है कि रावी को व्यास से लिंक किया जाये और व्यास को सतलज से लिंक किया जाये और उससे जो पानी स्पेयर हो वह जमुना की जो नहरें हैं उनको भाखड़ा डैम से फीड किया जाये और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि राजस्थान और पंजाब की किस्मत का दारोमदार उस एग्रीमेंट के सक्सेसफुल इम्पलीमेंटेशन पर है। अगर दस साल के अन्दर अन्दर हम ने स्कीम बना कर इस पानी को रोकने की कोशिश नहीं की तो राजस्थान और पंजाब की हालत वही रहेगी जो कि इस वक्त है।

इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने हलके के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि जिस कांस्टीटुएंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसकी यह हालत है जैसे कि मैंने इस बात को एक दफे नहीं कई दफे इस बात का जिक्र किया कि महेन्द्रगढ़ के हलके में खाली खेतीबाड़ी के पानी का हीं सवाल नहीं है बल्कि वहां पीने के पानी का सवाल भी बहुत टेढ़ा मसला बना हुआ है। अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर पिछले दिनों वहां पर गये थे। उन्होंने अपन आंखों से दो नज्जारे देखे। एक हलका तो ऐसा था जहां वाटर लौगिंग का मसला बड़ा सीरियस और नाजुक था। उससे २५ मील के फासले पर तकरीबन् एक घंटे की यात्रा के बाद वह दूसरे हिस्से में दाखिल हो गये जहां कि खेतीबाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि लोग पीने के पानी की भी बहुत तंगी महसूस कर रहे थे और पानी के लिए बेकरार थे। इसलिए मैं यह बात कहता हूं कि आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है आज जबकि बड़े बड़े काम साइंस के जरिए हो सकते हैं तो क्या हमारे सरकार के इंजीनियर्स कोई ऐसी तरकीब नहीं निकाल सकते कि वह जो

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

२५ मील के फासले पर पानी उस खेतीबाड़ी को तवाह कर रहा है, वाटर लौगिंग बनी हुई है, उसी पानी को आगे लेकर उस हिस्से में डाल दिया जाय जहां कि पानी की बहुत कमी है तो ऐसा होने से दोनों हिस्सों को फायदा पहुंच सकता है। मेरे खयाल में अगर उस तरफ ध्यान दिया जाय तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उस इलाके को फायदा पहुंचाने के लिए कोई स्कीम बनाई जाय तो कोई न कोई प्रोग्राम इस किस्म का बना सकते हैं।

इसी तरीके से यह ड्रेन नम्बर ८ का सवाल है और हाउस में इसका जिक्र कई बार आया है। दिल्ली के जो रहने वाले हैं वह भाई नहीं चाहते कि ड्रेन नम्बर ८ का पानी जमुना में डाला जाय। उससे दिल्ली शहर को खतरा हो सकता है। लेकिन मैं उस खतरे को ओढ़ने के लिए तैयार हूं। उससे दस मील ही दूर महेन्द्रगढ़ का हलका शुरू हो जाता है जहां पर कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों नहीं वहां कोई डैम बना कर उस पानी को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय जहां कि उस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है।

आखिर में मेरी एक छोटी सी तजवीज और है और वह यह है कि जो दादरी डिस्ट्रिब्यूटरी है वह फ्लड चैनेल है और तमाम की तमाम उसकी लाइनिंग पूरी हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि क्या वह मुझे यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरी ऐसी नहर है जो कि पक्की हो और जिसकी कि लाइनिंग हो चुकी हो? लेकिन वह बरसाती नहर है और उस नहर पर ८० लाख रुपया इसलिए खर्च नहीं किया गया कि उसको बरसाती रक्खा जायगा। मेरी यह अपील है कि उसको जल्दी से जल्दी पैरीनियल कर दिया जाय। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि मेरी फरियाद सिर्फ पानी के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी फरियाद नहीं सुनते, मिनिस्टर साहब आपकी कैसे सुनेंगे?

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस इरिगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री की डिमांडस ५२ बोल रहा हूं वह ऐसी डिमांडस हैं जोकि हमारी जिंदगी में एक खास हैसियत रखती हैं। हमारे देश की कुल आवादी अभी करीब ४४ करोड़ के बताई गई है। हमारे देश में देहातों की संख्या करीब साढ़े ५ लाख है। अब यह चीज देखते हुए कि हर हिन्दुस्तानी के पास कितनी जमीन है हमारा सबसे पहला फर्ज यह है कि हम जमीन में से ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। हमको बाहर से कितना अनाज मंगाना पड़ता है उससे आपको पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में हमें इस बारे में कितनी कोशिश करनी चाहिए।

सेकेंड फाईव इयर प्लान के पहले तीन सालों में ३६ लाख टन अनाज हमें बाहर से लाना था ऐसा हमारा अन्दाजा था लेकिन हमें करीब करीब ९६ लाख टन अनाज लाना पड़ा। ३६ लाख टन अनाज की कीमत १४४ करोड़ है और ९६ लाख टन अनाज की कीमत ४४४ करोड़ रुपये है। इसको देखते हुए इस बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे एक इन्सान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है और उसको पानी पीने के लिए चाहिए उसी तरह से जमीन की जरूरत होती है। जमीन उपजाऊ बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है, अच्छी धूप मिलनी चाहिए साथ ही पानी भी चाहिए। हमारे देश में सूरज की रोशनी काफी है। अच्छी धूप है। जमीन भी उपजाऊ है। अब हिन्दुस्तान में अलग-अलग स्टेट्स में बारिश भी जुदा जुदा होती है कहीं पर ५ इंच बारिश होती है तो कहीं पर १०० इंच बारिश भी हो जाती है। हमारे देश में वर्षा की कमी नहीं है वह काफी होती है। हिन्दुस्तान में कितना एकड़-फीट पानी हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका

भी अन्दाजा माहिरों ने लगाया है। हमारी योजना थी कि आने वाली पांच-साला योजना में हम करीब-करीब बारह करोड़ एकड़ जमीन ज्यादा सिंचाई में लायेंगे। २४ फरवरी, १६५६ को मेरे अनस्टार्ड क्वेस्टचन नम्बर ८२४ का जो जवाब दिया गया है, उससे पता चलता है कि ईरिगेशन के बारे में हिन्दुस्तान की पिक्चर क्या है और कितनी एकड़ जमीन को पानी मिलता है। आज इस सदन म हर एक मेम्बर यह कोशिश करेगा कि जिस हल्के से वह आता है, वहां ईरिगेशन की ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिले। हर एक का यह फर्ज भी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक आदमी की कांस्टीटयुएन्सी नहीं है और इसलिये हमको हिन्दुस्तान की पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में जो अलग अलग राज्य हैं, उन में काफी पानी मिले। आज हम देखते हैं कि किसान पानी के लिये तरस रहा है और अधिक पानी के लिये मांग कर रहा है। लेकिन इस विषय में जो पिक्चर हमारे सामने रखी गई है, वह इस प्रकार है: आन्ध्र प्रदेश को, २४.३ परसेंट जमीन को, आसाम में ३० परसेंट को, बिहार में २३.७ परसेंट को, बम्बई में, जो कि अब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बंट गया है, ५.४ परसेंट, जम्मू तथा काश्मीर में ४६.७ परसेंट, केरल में १८ परसेंट, मध्य प्रदेश में ५.३ परसेंट, मद्रास में ३७.४ परसेंट, मैसूर में ६ परसेंट, उड़ीसा में १७.४ परसेंट, पंजाब में ४५ परसेंट, राजस्थान में ११ परसेंट, उतर प्रदेश में २६ परसेंट, वैस्ट बंगाल में २२ परसेंट, दिल्ली में ३५.६ परसेंट, हिमाचल प्रदेश में १४ परसेंट, मनीपुर में ६६ परसेंट, और त्रिपुरा में ०.८ परसेंट जमीन को पानी मिलता है। इस प्रकार स्थिति यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में १६५४-५५ में ३१ या ३२ करोड़ एकड़ जमीन में से सिफ १७.६ परसेंट जमीन ईरिगेटिड है। इस सम्बन्ध में हर एक स्टेट की जो स्थिति है, वह मैंने अभी बता दी है।

इन फिगर्ज को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान में पानी की जो मांग है, उसको पूरा करने के लिये हमें कुछ न कुछ प्लानिंग करनी चाहिए और पहला, दूसरा और तीसरा प्लान बने भी हैं। लेकिन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्लान्ज बनते हैं, उन का जो एस्टीमेट होता है कि प्लान से क्या फायदा होने वाला है, उस के फिगर्ज बहुत नाराज करने वाले होते हैं। मैं श्री कंवरसेन द्वारा लिखित एक किताब "मास्टर प्लान्ज फार इन्टेग्रेटिड वाटर यूटिलाइजेशन" पढ़ रहा था। मेजर और माइनर ईरिगेशन से हमें जो फायदा हुआ है, उस के बारे में उन्होंने बताया है, कि बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं वास्तविक सफलतायें आशानुसार नहीं रही हैं। योजना आयोग व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सांख्यिकीय विभाग ने इस संबंध में आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिस से इसकी पुष्टि होती है। ये जो पिक्चर हमारे सामने आती है, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने रखे जाते हैं, उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमिशन से जो फिगर्ज आती हैं, वे अलग होती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनस्ट्री से जो फिगर्ज आती हैं वे अलग होती हैं और सैंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन से जो फिगर्ज आती हैं, वे अलग होती हैं। इन सब फिगर्ज से, इस पिक्चर से हम को इस बारे में कोई अन्दाजा नहीं मिलता है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जो स्कीम और प्राजेक्ट हम तैयार करते हैं, उनसे सही फायदा होने में काफी अर्सा लगता है। मैंने इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखी है। मैं चाहता था कि गये साल में ईरिगेशन के फायदों के बारे में पूरे हिन्दुस्तान का नक्शा उसमें दिया जाता और स्टैटिस्टिकल फिगर्ज दी जातीं। इस विषय में जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, तो या तो १६५४-५५ की फिगर्ज दी जाती हैं, या १६५५-५६ की फिगर्ज दी जाती हैं।

[श्री यादव नारायण जाधव]

आज वेस्ट बंगाल में पानी के इस्तेमाल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय उपमंत्री ने कहा कि उस की ूटिलाइजेशन का काम वेस्ट बंगाल का है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में जो जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उस से वह छुटकारा नहीं पा सकती है । इस में स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो को-आपरेशन और को-आर्डिनेशन चाहिए, वह लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि जो पिक्चर सवाल के जवाब में रखी गई है, उस को ध्यान में रखा जा े और जिन एरियाज में पानी की खास जरूरत है, वहां ज्यादा सुविधायें देने का प्रयत्न किया जा े । मैं ने आप के सामने अभी बम्बई, अर्थात् महाराष्ट्र और गुजरात, और मध्य प्रदेश के जो फिगर्ज रखे हैं, जो कि ५.४ परसेंट हैं, उन की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये दोनों राज्य इरिगेशन की ृष्टि से अनडेवेलपड हैं । इसलिये उन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ।

कल प्रोफेसर रंगा ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कोयना हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाई गई है, वह कौन से इंजीनियरों ने बनाई है । उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को इरिगेशन के लिये पानी की जरूरत थी, उस को पावर की जरूरत नहीं थी। इस बारे में उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया । मैं उन को न्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र की पानी की मांग को स्वीकार किया। लेकिन कोयना प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र को पावर का कितना फायदा होने वाला है, वह मैं बाद में बताऊंगा ।

श्री गुप्ता ने जो कहा, उस को मैं मानता हूं। पानी एक बहुत जरू ी चीज है । अनाज का सवाल हिन्दुस्तान में बहुत कड़ा है । हमें यह बात भी भुलानी नहीं चाहिए कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है । गये पचास साल में हमा ी आबादी ५२ परसेंट बढ़ी। अभी जो मर्दुमशुमारी हुई है, उस के जो फिगर्ज हमारे सामने आये हैं, उन से प्रकट होता है कि हमारी आबादी २२ परसेंट बढ़ी है । इस से हम को यह सबक लेना चाहिए कि भविष्य में हमारी आबादी बढ़ने वाली है । यह भी देखना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग की स्कीम का जो कुछ असर होना चाहिए, वह कितना हो रहा है । कृषि और अन्न मंत्री, श्री एस० के० पाटिल, ने परसों कहा कि अब मेरे बारे में कोई बोलता नहीं है, हिन्दुस्तान में इतना अनाज हो गया कि अब फूड मिनिस्ट्री के ऊपर कोई नुक्ता-चीनी नहीं करता है । मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय में इतना सेल्फ-काम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। जो ९६ लाख टन अनाज बाहर से मंगाया जाता है, उस पर ४४४ करोड़ रुप े खर्च होते हैं। सलिये उन को देश में अनाज के बारे में सैल्फ-काम्प्लेसेंस पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । देश में और अधिक अनाज पैदा करने के उपाय किये जाने चाहिये और उस के लिये यह आवश्यक है कि रिगेशन की दृष्टि से अंडर-डेवेलप्ड एरियाज को पानी की अधिक सुविधायें देने और उन रिजन्ज को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री कंवरसेन ने एक बात यह कही है कि इरिगेशन भी काटेज इंडस्ट्री जैसी बन सकती है। हिन्दुस्तान में अलग अलग फनों में इतने माहिर नहीं हैं। लेकिन इरिगेशन एक ऐसी चीज है, जिस से किसानों को काम मिल सकता है । इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के शुरू करने से लोगों को काम मिलता है और उस के बाद भी जहां इरिगेशन हो, वहां लोगों को काफी काम मिलता है । मैं खुद जानता हूं कि यद्यपि हमारे यहां ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज

नहीं हैं, लेकिन ओपन वैल्ज हैं। वहां पर किसान का कुनबा पूरा दिन काम कर सकता है और उस को कम्पलसरी लेबर मिल सकता है। एम्प्लायमेंट पोटेंशियल के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्री जो हम को चाहिये वह भी इस वक्त बहुत कम है और उस की तरफ भी हम को ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऐफारेस्टेशन के बारे में। हमारे जो कैचमेंट एरिया हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, वहां पर जो फारेस्ट हैं वह खत्म होते जा रहे हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूं और जिस जिले से आता हूं वहां पर नासिक जिले में चनकापुर डैम है वहां पर पानी खत्म हो गया है और दो शूगर फैक्ट्रीज तरे में हैं। वहां पर फारेस्ट बिल्कुल खत्म हो गये हैं। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इस बारे में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन के लिये ऐफारेस्टेशन की तरफ और स्वायल कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे कर पानी बरसाने की बहुत जरूरत है। अभी हम इस की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सके हैं।

इस के बाद मैं पावर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। लेनिन साहब ने कहा कि प्रजातंत्र और बिजली मिलकर समाजवाद हो जाता है। अभी यहां पर मैं एशिया की बात नहीं कहना चाहता वहां पर डिमाक्रेसी नहीं रही लेकिन एलेक्ट्रिसिटी हो गई। लेकिन यहां पर एलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कितनी है यह हमें समझने की कोशिश करनी चाहिये। हमारा देश ऐसा है जहां छोटी छोटी सनतें बन सकती हैं। इस की पिक्चर हम पंजाब में देख सकते हैं। जलंधर या दूसरे छोटे छोटे मुकामों में तमाम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बनी हैं। उस को देख कर हमारे श्री गोरे से बातचीत करते हुए वेस्ट जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें चाहियें। मशीन भी उन्होंने हम को दिखलाई, स्क्रू ड्राइवर दिखलाये। इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत है, हम उन को बढ़ा सकते हैं। इस के लिये पावर चाहिये और सस्ती पावर चाहिये, जो कि हम को मिल सकती है। स वक्त हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिये। क्योंकि जो मेजर स्कीम्स हैं, मल्टी परपज योजनायें हैं उन्हें पावर मिल सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर नहीं मिल सकती है। हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है उस के लिये इस तरह से बतलाया गया है कि हमारे देश में बिजली का वार्षिक प्रति व्यक्ति प्रजनन ३९ किलोवाट अवर्स है जबकि नार्वे में ७,७४० किलोवाट अवर्स, कनाडा में ५,७८० किलोवाट अवर्स, ब्रिटेन में १,९१० किलोवाट अवर्स और जापान में ८७५ किलोवाट अवर्स है।

हमें मिलती है खाली ३९ किलोवाट अवर्स। इस से पता चलता है कि हम को कितनी पावर की जरूरत है। आज जो पावर है हिन्दुस्तान में वह खाली बड़े बड़े शहरों में जा कर कंसेंट्रेट हो गई है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि हमारे यहां कितने देहातों को पावर मिली है। रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन की जो योजना है उसे देखते हुए आज हमें पावर की बहुत जरूरत है, ऐसा महसूस होगा। थर्ड प्लैन में जो टार्गेट है उस से पता चलता है कि उस में हम खाली २५,००० देहातों को बिजली पहुंचा सकेंगे। हम बिजली को देहातों में रोशनी करने के लिये नहीं चाहते हैं, हम जो ओपेन वेल्स, है, ट्यूब वेल्स हैं जिन का इस्तेमाल हम इर्रिगेशन के वास्ते करते हैं, उन के वास्ते बिजली चाहिये, छोटी छोटी सनतों के लिये बिजली की जरूरत होगी।

[श्री याधव नारायण जाधव]

अब मैं फ्लड कंट्रोल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। फ्लड कंट्रोल न होने से हमारा कितना नुक्सान होता है। उस के बारे में मैं ने किताब से बतलाया। उसी में से मैं कुछ फिगर्स बतलाना चाहता हूं, इस से पता चलेगा कि हमें इस तरफ कितना ध्यान देना चाहिये। फ्लड्स की वजह से देश का बहुत नुक्सान हो रहा है। १९५२ से ले कर १९५६ तक बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान ३२३ करोड़ रुपए लगाया है तथा आदमियों और पशुओं की मृत्यु उसके अतिरिक्त हैं। इस से हम को पता चलेगा कि फ्लड कंट्रोल्स के बारे में हमें कितना ध्यान देना चाहिये। यह जो योजनायें हम बनाते हैं उन में वह शामिल होता है इस के लिये मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं ने पिछली दफा एक सवाल पूछा था जिस के जवाब में हाथी साहब ने बतलाया था कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, पेरेनिअल नदियां हैं, उन की तरफ भी हम ध्यान देंगे। इस के बारे में भी हमारा पूरा सर्वे होना चाहिये। इस के स्टेटिस्टिक्स भी यहां बतलाये जाने चाहियें। हैदराबाद में जो इर्रिगेशन मिनिस्टर्स कांफरेंस हुई थी उस के अन्दर कहा गया था कि हम माइनर इर्रिगेशन की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि माइनर इर्रिगेशन से ही हम जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस से एक तो फायदा यह होगा कि जो हमारी मैन पावर है हम उस का उपयोग कर सकेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि पुरनी बम्बई स्टेट में और आज की महाराष्ट्र स्टेट में सेकेन्ड क्लासिफिकेशन है। गवर्नमेंट इस के बनाने के लिये खर्च करती है। लेकिन उस के बाद उस के मेन्टेनेन्स और रिपेअर्स वगैरह का जो खर्च होता है वह हम करते हैं, और उस से यह फायदा होता है कि हम उन को कम दाम में पानी दे सकते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आज बंगाल गवर्नमेंट को लोगों ने १ करोड़ रु० से ज्यादा का रेवेन्यू नहीं दिया है जब कि पानी इस्तेमाल किया है। किसान पैसा क्यों नहीं देता है? उस के लिये इर्रिगेशन रेट्स ज्यादा होते हैं इसलिये उस को पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। आज ऐसी हकीकत पैदा हो गई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि फर्स्ट क्लास इर्रिगेशन हो और उस में लोगों का सहयोग हो। मैं समझता हूं कि कंस्ट्रक्शन स्टेज से मेंटेनेन्स तक अगर लोग कोआपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमरा बहुत फायदा होने वाला है।

†**उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा का कार्यक्रम जानने की इच्छा प्रकट की थी। प्रधान मंत्री से पूछ लिया गया है। वह ३.४५ पर बहस प्रारंभ करेंगे और केवल १५ मिनट लेंगे। विरोधी पक्ष के सदस्य ४ बजे चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं।**

†**डा० अचमम्बा** (विजय वाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई और बिजली प्रगति के लिये अत्यावश्यक वस्तुयें हैं। सिंचाई के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें एक राज्य के हित को नहीं वरन् समस्त देश के हित को सामने रखना चाहिये क्योंकि नदियां किसी एक राज्य में होकर ही नहीं बहती हैं। मैं समझती हूं कि नदी विकास बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिये जो समस्त देश के हित की दृष्टि से परियोजनायें बनायें और उन का क्रियान्वयन करें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता नदी घाटी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना कठिन होगा। उदाहरण के लिये नर्मदा को ले लीजिये जो गुजरात और मध्य प्रदेश में हो कर बहती है। उस की घाटी बहुत उपजाऊ है परन्तु उसके पानी का सिंचाई के लिये उपयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई बोर्ड होता तो वह उसके लिये योजना बनाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर नागार्जुन सागर एक बड़ी परियोजना है। उस से २१,००० क्यूजेक पानी सिंचाई के लिये मिलेगा। परन्तु हम देखते हैं कि उस के निर्माण-कार्य की गति बहुत मन्द है। हमारी जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। इसलिये हमें सिंचाई परियोजनाओं की गति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

फिर गोदावरी पर १९५१ के पूर्व उत्तर गोदावरी नहर परियोजना प्रारंभ की गई थी। अब हमें दक्षिण गोदावरी नहर परियोजना प्रारंभ करनी चाहिये और अन्य राज्यों के विवाद के कारण उसे रोकना नहीं चाहिये। उस में व्यय भी अधिक नहीं होगा और लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। खेद है कि इन तथाकथित विवादों के कारण इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजना को रोका जा रहा है।

फिर कृष्णा पर जो श्रीसलेम परियोजना है उस स्थान पर बहुत सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। चूंकि श्रीसलेम आन्ध्र के मध्य में है इसलिये चारों ओर बिजली का संभरण किया जा सकता है। आन्ध्र के आकार को देखते हुए वहां बिजली की मात्रा बहुत कम उपलब्ध है। इसलिये पानी को तनिक भी बरबाद नहीं होने देना चाहिये और विवाद के निर्णय के लिये प्रतीक्षा किये बिना योजना प्रारंभ कर देनी चाहिये।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुये]

इन विकासबोर्डों के न होने से केवल आन्ध्रप्रदेश की ही नहीं वरन् समस्त देश की परियोजनाओं की हानि हो रही है। महाराष्ट्र की पूर्णा परियोजना बहुत साधारण है फिर भी उस में बहुत समय लग रहा है। हमारी परियोजनाओं में समय अधिक लगने का कारण यह है कि हम केवल धन के बारे में सोचते हैं समय पर ध्यान नहीं देते। परन्तु विलम्ब होने से परियोजना का व्यय बढ़ जाता है।

दक्षिण गोदावरी नहर परियोजना, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, बहुत सस्ती और साधारण परियोजना है। उसके सम्बन्ध में देर कर के हम उस के व्यय को बढ़ा रहे हैं। जब भी कभी कुछ कहा जाता है तो यह उत्तर मिलता है कि राज्य पूरा आवण्टन खर्च नहीं कर सका। यह ठीक नहीं है और कार्य शीघ्रतापूर्वक होना चाहिये। हम नदी विवाद बोर्ड नहीं चाहते हैं वरन् नदी विकास बोर्ड चाहते हैं जो समस्त देश की नदियों के बारे में विचार करके योजनायें तैयार करे।

गोदावरी में बहुत अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। उसके केवल ५ प्रतिशत पानी का उपयोग किया जा रहा है और शेष ९५ प्रतिशत समुद्र में बेकार चला जाता है। हमारे पास भूमि भी बहुत है। यदि उस पानी को काम में लाया जाये तो बहुत पैदावार हो सकती है। इसलिये इस प्रकार के बोर्डों का निर्माण किया जाना चाहिये और पानी के उपयोग की योजनायें प्रारंभ की जानी चाहिये।

†**श्री हाथी**: बोर्डों के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। मैंने सात बोर्डों का उल्लेख किया है। कृष्णा और गोदावरी के लिये बोर्ड बना ही हुआ है। उनका विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे समस्त बेसिन के विकास के लिये हैं।

†**डा० अचमम्बा**: मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने इन बोर्डों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। मुझे आशा है कि बिना राजनैतिक भेदभाव के समस्त जल संसाधनों के उपयोग का प्रयत्न किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की खर्च की मांगों के सम्बन्ध में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातों की चर्चा की है। मैं इस अवसर पर देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण लाखों आदमी बेघरबार हो जाते हैं और प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचता है, उसकी ओर माननीय मंत्री और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन में बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की चर्चा की गई है कि इस बाढ़ को रोकने के लिये एक बोर्ड की स्थापना हुई और उसने उसकी सहायता के लिये विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना की, इस की और कुछ कामों की चर्चा की गई है और इस चर्चा में बतलाया गया है कि लगभग ३००० मील तक नदियों के तटों को ऊंचा किया गया और कई हजार गांवों को ऊंचा किया गया। इन तमाम प्रयत्नों और उपायों के बावजूद भी बाढ़ का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष न केवल बड़ी नदियों में अपितु जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी भीषण बाढ़ आई। मैं किसी अन्य प्रदेश का जिक्र नहीं करना चाहता। अपने उत्तर प्रदेश की बाबत में बतलाना चाहता हूं कि वहां पर अभी पिछले वर्ष इतनी भीषण बाढ़ आई और वह केवल बड़ी नदियों तक ही सीमित नहीं थी अपितु छोटी छोटी नदियों में भी बाढ़ आई जिससे कि प्रदेश के कई जिलों और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की लखनऊ नगरी में भीषण बाढ़ आई और उसके कारण जो अपार क्षति हुई वह सारे देश को पता है। छोटी नदियों मसलन ईसन, कालिन्द्री, रिंद, पांडव, उत्तरी और दक्षिणी नोन और सेंगुर आदि में बड़ी भीषण बाढ़ आई और उसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचा। अब उसके लिये प्रान्तीय सरकार ने या हमारे केन्द्रीय मंत्री महोदय ने हवाई जहाज पर बैठ कर उसका सर्वे कर लिया तो उससे कोई बाढ़ें रुकने वाली नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी भीषण समस्या है जिस पर कि केन्द्रीय सरकार को विशेष करके गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस मामले में वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं। अभी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सन् १९५४ से लेकर बाढ़ सम्बन्धी चीजों को रोकने के लिये ३ करोड़ रुपये से ज्यादा आपने ऋण के रूप में दिया है। लेकिन आप देखें कि जो अपार क्षति होती है वह पैसा उसमें कहां तक खर्च होता है और क्या उससे काम होता है? इस को देखने से मालूम होगा कि बाढ़ सम्बन्धी समस्त योजनायें असफल हो जाती हैं। इसके बारे में आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मैं ने उस रिपोर्ट में पढ़ा है कि आप नदियों के तट को ऊंचा करते जाते हैं लेकिन आपकी जो नदियां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बहती हैं उनकी सतह नीची होती जाती है। अब खाली नदियों के तटों को ऊंचा करने से पानी का जो बहाव है वह रुक नहीं सकता है और वह तब तक नहीं रुक सकता है जब तक कि आप नदियों की तह को खोदेंगे नहीं और उनको गहरा नहीं करेंगे। नदियों की सतहों को गहरा करने के लिये कोई सुझाव नहीं रक्खा गया है। अब नदियां धीरे धीरे उभरती जा रही हैं और जब तक कि आप उनकी तह को खोद कर गहरा नहीं करेंगे तब तक खाली उनके तटों को ऊंचा करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है।

जिलों में जो आपकी छोटी छोटी नदियां बहती हैं उन के बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है। आवश्यकता इसबात की है कि उन छोटी छोटी नदियों के बारे में भी आप सर्वेक्षण करायें क्योंकि इनमें आये साल बाढ़ें आती रहती हैं और उनके फलस्वरूप धन जन की बड़ी हानि होती है। हजारों गांव जलप्लावित हो जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपये का जो नुक्सान हुआ है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। यह बड़ा आवश्यक है कि इन छोटी छोटी नदियों के वास्ते भी कोई बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई जाये।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से बड़ी बड़ी बांध की योजनायें चलाई जाती हैं । उन बांध की योजनाओं से आपकी नहरें निकलती हैं और उनसे आपने अभी तक पानी दिया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों की ओर से बहुत जमाने से जो नहरें चली आ रही हैं वही आपके सिंचाई के साधन मात्र हैं । जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है मैं भी कहना चाहूंगा कि आपको अपनी योजना में इस बात को देखना चाहिये कि सारे देश में अभी भी कितनी भूमि असिंचित पड़ी हुई है और उसके लिये क्या क्या योजनायें बनानी हैं । लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप में इस प्रतिवेदन में कोई जिक्र नहीं किया गया है । मैं चाहूंगा कि उस को भी ध्यान में लिया जाये ।

अब एक तरफ तो आप बांध बनाते जाते हैं, नहरों को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ जहां नहरें बनी हुई हैं वहां पर किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है। खास तौर पर हमारे माननीय मंत्री को उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा अनुभव है कि जहां पर आपकी नहरें हैं वहां किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि किसानों को जो खाद्य उत्पादन में बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको जो उत्साह मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका हमारे अन्न के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सिंचाई का रेट इतना बढ़ा रक्खा है कि कृषक उनसे लाभ नहीं उठा पाते हैं और उसका उनकी उत्पादन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बाबत में आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को सन् १९५४ में सिंचाई की दरों में ३ आने प्रति रुपये की छूट दी थी लेकिन वह अब छूट उन्होंने वापस कर ली है। अब इसके लिए हमारे केन्द्रीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह हमारा काम नहीं है यह तो राज्य सरकारों का अपना विषय है लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि चाहे वह राज्य सरकारों का विषय हो अथवा केन्द्रीय सरकार का विषय हो, राज्य सरकार की योजना हो अथवा वह केन्द्रीय सरकार की योजना हो, यह देखना आपका फर्ज हो जाता है कि जिस किसान को आप अधिक अन्न उपजाओ के वास्ते प्रोत्साहन देना चाहते हैं उसको इनसे लाभ हो रहा है कि नहीं और आज किसान क्यों असन्तुष्ट और नाराज है इसके बारे में उन्हें देखना चाहिए। जाहिर है कि यदि कोई राज्य सरकार अपने राजस्व की आय को बढ़ाने के लिए दी गई किसानों की राहत को छीन ले तो उनमें इसको लेकर भारी असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है । जाहिर है कि सिंचाई का रेट बढ़ जाने से उत्पादन में धक्का लगता है। किसानों में ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए उत्साह नहीं होता। अब अगर राज्य सरकार को अपनी राजस्व आय में सचमुच कमी अनुभव होती हो तो फिर केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि जितना घाटा उसको पड़ रहा है उसको उतना अनुदान देकर उसकी पूर्ति कर दे लेकिन यह सिंचाई का रेट किसी भी दशा में नहीं बढ़ना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को अपने वहां सिंचाई का रेट बढ़ाना नहीं चाहिए वरना उसका खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

भाखड़ा नांगल बांध से जो नहरें निकाली हैं और जिन जिन क्षेत्रों में से होकर यह गयी हैं उन उन क्षेत्रों में आपने विकास कर के नाम पर करोड़ों रुपये का टैक्स किसानों पर लगा रक्खा है। अब किसानों पर यह बोझा लादने के लिए तर्क यह दिया जाता है कि जहां बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, चूंकि पैसे का अभाव है इसलिए हम जिन क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहे हैं वहां के किसानों से यह विकास कर ले रहे हैं और वह इसलिए ले रहे हैं कि किसान आगे बढ़ें। मैं तो कहूंगा कि यह उनका तर्क थोथा है। आखिरकार अंग्रेजों के जमाने में भी नहरें

[श्री जगदीश अवस्थी]

खुदती थीं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस तरह का विकास कर वहां के किसानों से वसूल किया? अब अगर अंग्रेज लोग इस वास्ते किसानों से पैसा नहीं ले सकते थे तो फिर यह सरकार जोकि जनता की सरकार होने का दावा करती है और रात दिन विकास का काम करने का दावा कर रही है वह कैसे किसानों से यह पैसा ले सकती है? आज हालत यह है कि गरीबी निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। किसानों के पास पैसा नहीं है। उनमें देने की क्षमता नहीं है। आप विकास कर के नाम पर करोड़ों रुपये लेते जा रहे हैं। यह बड़ी दूषित और घातक नीति है और इसको त्याग देना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं सिंचाई के बारे में आपसे यह कहना चाहूंगा कि आपको लघु सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है कि अब समय आ गया है जब आपको खास तौर पर छोटी मोटी योजनाओं पर, मध्य श्रेणी की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आपके यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह विषय तो प्रान्तीय सरकारों का है और उसमें केन्द्रीय सरकार दखल नहीं दे सकती है। केन्द्रीय सरकार को विशेष करके लघु सिंचाई योजनाओं पर अपना ध्यान देना चाहिए।

इसी के साथ साथ मैं जल निकास की व्यवस्था के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि बरसात का पानी आकर रुक जाता है और जिसके कि कारण खेती को नुकसान पहुंचता है। हजारों एकड़ भूमि जलप्लावित हो जाती है और आने जाने के साधन रुक जाया करते हैं। उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो धन दिया है वह इतना कम है कि सरकार इस तृतीय पंचवर्षीय योजना मे जिन जिलों में पैसा देना चाहती है, वह नहीं दे पा रही है। इस सम्बन्ध में में केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर जिले में जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और प्रमुख जिला है, पिछले दस वर्षों में कोई जल-निकास योजना लागू नहीं की गई है। हर वर्ष हजारों एकड़ भूमि में पानी भर जाता है और तबाही मच जाती है, लेकिन फिर भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैंने सुना है कि प्रान्तीय सरकार करीब डेढ़ लाख रुपया उस जिले को देने वाली है। वहां की ९६ जल-निकास योजनायें है। इस बात की आवश्यकता है कि वहां के लिये अधिक पैसा दिया जाये और जल-निकास योजना को विकसित किया जाये।

वहां जो नहरें बनी हुई हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि उनके किनारे नोना ऊपर आ जाता है जिससे अच्छी भूमि खराब हो जाती है और उत्पादन के योग्य नहीं रहती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी नहरों का सर्वेक्षण करायें, जो कि बहुत जरूरी है, और इस सम्बन्ध में आवश्यक पग उठाने की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं विद्युत् के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहां रिहंद और माताटीला डैम, ये दो योजनायें हैं। रिहंद डैम के विषय में यहां कई बार चर्चा हो चुकी है कि वहां से जो बिजली दी जा रही है, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उसका बड़ा हिस्सा मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को कम मिल रहा है। माताटीला बान्ध अविकसित दशा में पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि सरकार को इन दोनों बांधों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि सारे देश

में जो विद्युत् शक्ति का उत्पादन हो रहा है, उसके वितरण में प्राथमिकता बड़े बड़े उद्योगों को दी गई है और ग्रामों की बहुत उपेक्षा की गई है, जहां उद्योग-धंधे खुल सकते हैं और ट्यूबवैल लग सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश की जन संख्या का अधिक भाग गांवों में बसता है, इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वहां विद्युत् शक्ति पहुंचाई जाये और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को विकसित किया जाये, ताकि देश खाद्य के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में एक साथ प्रगति कर सके।

श्री रंगाराव (करीम नगर) : मि० स्पीकर, सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं इब्तदाअन इर्रिगेशन मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इंदस वाटर का जो झगड़ा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में पिछले दस साल से चल रहा था, उसका तसफिया कराया और हमारे एक बहुत बड़े इलाके राजस्थान की सैराबी के काम का आगाज किया।

मुल्क की जरई और सनअती तरक्की की जरूरत के मद्देनजर इस मंत्रालय को जिस कद्र भी अहमियत दी जाये, उसके लिये जितनी भी रकम मन्जूर की जाये, वह कम है, क्योंकि गल्ले के ज्यादा पैदा करने का इन्हसार पानी मुहैया करने पर है। इसमें कोई शक नहीं कि खाद और अच्छे तुख्म की जरूरत है, लेकिन खाद और अच्छा तुख्म भी, तावक्तकि पानी काफी और वरवक्त न हो, अपना फायदा नहीं बता सकते। इस तरह सनअत की तरक्की पावर के बगैर नहीं हो सकती है।

इस मंत्रालय ने बहुत काबिल इंजीनयरों को सी० पी० डब्ल्यू० डी० में ला कर उनके फ़न्नी मशविरे से काबिल-सतायश काम किया है।

इस सिलसिले में इस मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ने से जाहिर होता है कि इस मंत्रालय न कितना काम किया है, कितने बड़े-बड़े प्राजेक्ट्स् बनाए हैं और कितना रक़बा सैराबी में लाया है। इसका नतीजा यह है कि जहां सदियों से बनाए हुए प्राजेक्ट्स से सिर्फ २२ मिलियन एकड़ जमीन सैराब होती थी, वहां सिर्फ दस साल में १४ मिलियन एकड़ जमीन की सैराबी का पोटेंशियल तैयार किया। इस पर यह तनकीद की जाती है कि इतना रक़बा सैराबी ही कहां आया। इसकी ज़िम्मादारी इस मंत्रालय पर डालना गलती है, क्योंकि इस मंत्रालय ने अब प्राजेक्ट्स के साथ साथ कैनाल्ज़ बनाने का प्रोग्राम भी लिया है।

इस रिपोर्ट को पढ़ने से ज़ाहिर है कि यह मंत्रालय न सिर्फ प्राजेक्ट्स के प्लान की तनकीह और उनको पास करने का काम करता है, बलिक वह हर वक्त प्राजेक्ट्स की तनकीह और हर मुनासिब मौका पर उनकी लागत में किफ़ायत करने का भी मशविरा देता रहता है। उसने बड़ी-बड़ी मशीनों को आइडल न रहने दे कर बलिहाज़ जरूरत एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो इन्तज़ाम किया है, उससे काम में बहुत सहूलियत होती है और साथ ही फारेन एक्सचेंज की बहुत बचत होती है।

इस में कोई शक नहीं कि हमारे देश में काफ़ी काबल सिविल इंजीनियर्स हैं और उन का काम भी काबिले-सताइश रहा है। उस ने बड़े बड़े प्राजेक्टस के प्लान तैयार किये और बनाए, लेकिन इलैक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्लान्ट्स के इरैक्शन और बड़ी बड़ी स्कीमें बनाने के मामले में गैर-मुमालिक के इंजीनियरों के मोहताज रहे। इस कमी को दूर करने के लिये आर्गनाइजेशन की मंजूरी और उन लोगों को बाहर भेज कर उन को ट्रेनिंग देने का जो फैसला किया गया है, वह काबिले-मुबारकबाद है। मुल्क की बढ़ती हुई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमेशा बाहर के इंजीनियर्स के मोहताज रहना गलत है। इस तरीके से काफ़ी फारेन एक्सचेंज की बचत होगी।

[श्री रंगाराव]

इस अहम और भारी काम को देख कर जहां एक तरफ बहुत खुशी होती है, वहां दूसरी तरफ मेरे इलाके और खसूसन मेरी कांस्टीट्युएन्सी की तरफ जो इनडिफरेंस बरती जा रही है, उस की बहुत बड़ी शिकायत है । आंध्र गवर्नमेंट ने एक छोटी सी स्कीम भेजी है, जिस का नाम पोचमपाड मीडियम साइज प्राजेक्ट है । उस को भेजे हुए दो साल का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक उस की मन्जूरी नहीं दी गई है । चूंकि मैं ने इस सिलसिले में इंनडिफरेंस का इल्ज़ाम लगाया है, इसलिये इस बात को तफसील से बयान करना लाजिमी हो जाता है ।

तेलंगाना मुआशी तौर पर एक पस्त इलाका है । चुनांचे स्टेट्स री-आर्गनाइजेशन कमीशन ने इस इलाके को पांच साल तक एक अलाहिदा स्टेट रहने और इस अरसे में इस को काफी तरक्की दे कर उस के बाद आन्ध्र प्रदेश बनाने की राय दी थी, लेकिन हुकूमत और इस आनरेबल हाउस ने इस इलाका की तरक्की में मदद देने का वादा कर के उसी वक्त आन्ध्र प्रदेश बनाने का तसफ़िया किया और उस इलाका के लोगों को यह यकीन दिलाया कि एक रिजनल कमेटी बनाई जायगी और उस कमेटी को तेलंगाना की तरक्की के मुताल्लिक सोचने और काम करने के अख्तियारात देने का फैसला किया । लेकिन इस वादा की पाबन्दी कितनी की जा रही है और इस कमेटी को कितनी इज्ज़त दी जा रही है, यह देखने से अफसोस होता है ।

इस रिजनल कमेटी ने इस इलाके की तरक्की के लिये गोदावरी प्राजेक्ट जल्द अज जल्द बनाने के बारे में रेज़ोल्यूशन पास किया । इस पर आन्ध्र गवर्नमेंट ने काफी हमदर्दी से गौर किया, लेकिन उस ने इस प्राजेक्ट के लिये रुपया न होने से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा रकम का मुतालबा करना नामुनासिब समझ कर एक मीडियम-साइज प्राजेक्ट का प्लान बना कर भेजा । लेकिन इस मंत्रालय की इनडिफरेंस और इस हुकूमत की वादा भूलने की बात को देखिए कि वह इस प्लान की जांच करने और उसे पास करने में लेतो-लाल करता रहा और बाद में यह जवाब दिया कि यह सैकंड प्लान में शरीक नहीं है, इसलिये इस की जांच नहीं की गई और मन्जूरी नहीं दी गई । मैं अपने आन्ध्रा भाइयों का मशकूर हूं कि उन्होंने भी इस की अहमियत पर जोर दिया और हाउस में बोलने, मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन के पास आने में साथ दिया । लेकिन कुछ हासिल न हो सका । आखिर मजबूरन हमारे महबूब लीडर के पास नुमायंदगी की गई, तो उन्होंने हमदर्दी से बात सुनी और इस की अहमियत को समझ कर इस के मुताल्लिक तसफिया करने की प्लानिंग कमीशन को सिफारिश फरमाई । इस सब का नतीजा क्या हुआ ? सिर्फ प्लान की जांच की गई और उस को टैक्निकली मन्जूर किया गया ।

अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि प्लानिंग कमीशन न मालूम क्यों हम से नाराज़ है । उस ने ख्वाह-म-ख्वाह इस में ऐसी पेचीदगी पैदा की कि इस को कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया । चुनांचे उन्होंने बम्बई, मैसूर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ऐतराज़ का सवाल उठाया । मैं प्लानिंग कमीशन और मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की कौन सी नदी इस पोचमपाड के साइट के अपर बेसिन में है, जो उन को एतराज़ हो ।

अब बम्बई और मैसूर का सवाल रह जाता है । आप से मखफी नहीं है कि १९५१ के प्लानिंग कमीशन के एवार्ड के लिहाज से इस प्राजेक्ट को पानी मिल सकता है । अगर यह भी एतराज हो कि स्टेटस री-आर्गनाइजेशन की बिना पर हैदराबाद के पांच अजला बम्बई और तीन अजला मैसूर रियासत में गये हैं और री-एलोकेशन की जरूरत है, तो आप जरा इधर भी ध्यान दीजिए कि जी० एन० सी० प्राजेक्ट की मन्जूरी पहले प्लान में हो चुकी है और आज हम को जी० एम० सी० के लिये इस से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पोचमपाड साइट पर टोटल डिपेंडेबल यील्ड ५६० टी० एम० सी० है । इस में से बम्बई और मैसूर के जो प्राजेक्ट शुरू किये गये हैं और आयन्दा बनाने का इमकान उन्होंने जाहिर किया है, उस के लिहाज से उन को २६० टी० एम० सी० की जरूरत है । फिर भी ३०० टी० एम० सी० बच रहता है । ऐसी सूरत में सिर्फ ६६ टी० एम० सी० के प्राजेक्ट की इजाजत देने में क्या अम्र माना है ?

आप यह फरमाते हैं कि मुतसला स्टेटस में खुशहमी हो, दोस्ती के लिये पहले पानी का तस्फिया होना अच्छा है । हम भी किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी का हक लेना नहीं चाहते । हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं । लेकिन इस दो साल में जिस तरह काम हुआ है वह देख कर मायूसी होती है । इस प्लान को भेजे हुए दो साल का अर्सा हुआ । एक साल तक इस को टेकनिकल जांच में रखा । मुसलसल तवज्जह दिलाने पर जांच हुई और जब यह टेकनिकली कामयाब साबित हुई तो अब पानी के तस्फिए का सवाल आया । आप के सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने फरवरी, १९६० में रिआर्गेनाइजेशन के लिहाज से किस स्टेट को क्या पानी मिलना है इस का हिसाब कर दिया और स्टेटस को इत्तला किया, जिस को अब १४ माह का अर्सा हुआ । इस के बाद आप ने जुमला स्टेटस को इत्तला दी कि दूसरे और तीसरे प्लान की प्रोजेक्टस को इस अलाटमेंट के लिहाज से जांचा जायेगा । इस को लिखे हुए भी दस माह का अर्सा हुआ । इस के बाद स्टेटस मिनिस्टर्स की कांफरेंस बुलाए हुए भी छः माह का अर्सा हुआ । इस अर्से के बाद भी तस्फिया नहीं हुआ तो कब तस्फिया होगा । और तीसरे प्लान में कब शरीक हो सकता है, समझ से बाहर है ।

खुसूसन स्टेटस मिनिस्टर्स की कांफरेंस में गवर्नमेंट की बात सुन कर ताज्जुब होता कि कृष्णा नदी से उन को ज्यादा पानी की जरूरत है । आंध्र को कम पड़ता है तो गोदावरी का पानी कृष्णा के डेल्टा में दे दिया जाय । जब गोदावरी में तेलंगाना के लिये ६६ टी० एम० सी० पानी नहीं मिल सकता है तो कृष्णा डेल्टा को पानी कहां से बचेगा ? गरज यह सब देखने के बाद मालूम होता है कि सिवा हमारी स्कीम को डाले रखने के और कोई मतलब नहीं है ।

मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह इलतजा करता हूं कि हम को किसी स्टेट से लड़ना नहीं है । बाद में भी जो तस्फिया होगा, ठीक है, लेकिन इस के साथ साथ यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि कई साल हम को टी० एम० सी० ६६ से ज्यादा पानी मिल सकता है । इस लिये आप मेहरबानी फरमा कर इस को कृष्णा वाटर के साथ न मिलायें और फौरी इस स्कीम की मंजूरी दें और तीसरे प्लान में शरीक करें । मुमकिन है कि आप यह

[श्री रंगाराव]

सब सुन कर फरमायेंगे कि रुपयों की गुंजाइश नहीं है । इस किस्म का ऐतराज करना रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के उसूल को अपनाये हुए तेलंगाना को जल्द अज अल्द आंध्र के साथ लाने के वादे के खिलाफ है जो हुकूमत के लिये शायाने शान नहीं है । इस सिलसिले में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि तेलंगाना की फी एकड़ आमदमी ६५ रु० और पर कैपिटा इनकम १०० रु० से ज्यादा नहीं है, जब हिन्दुस्तान की औसत आमदनी २७० रु० है और यह पांच साल में ३०० रु० के ऊपर होगी तो आप मुलाहजा फरमाइये कि फी कस आमदनी में कितना फर्क होगा । और यह भी बयान करना बेमहल न होगा कि तेलंगाना का बजट खसारा न होने के बावजूद गुजिश्ता पांच साल में तेलंगाना को डेवेलप कराने की उम्मीद दिला कर जमीन पर जायद महसूल आयद और वसूल किये गये हैं, और यह जायद वसूलशुदा रकम ९ करोड़ रु० तेलंगाना पर खर्च नहीं हुए । इसलिये आप का फर्ज है कि प्रोजेक्ट को मंजूर करें और तीसरे प्लान में शरीक कर के कुछ रकम मुहैया करें और स्टेट गवर्नमेंट को यह मशवरा दें कि वह इस प्रोजेट को तीसरे प्लान में मुकम्मिल करे ।

पावर के मुताल्लिक दो बातें बोल कर मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूं । तैलंगाना में पावर कम है और ११००० मवाजात से मिनजुम्ला सिर्फ ५०० मवाजात को एलेक्ट्रिसिटी दी गई है । एलेक्ट्रिसिटी के बढ़ाने की सख्त जरूरत है । यह सुन कर खुशी हुई कि रामगुंडम थर्मल पावर के एक्स्टेंशन की स्कीम मंजूर की गई है । लेकिन इस सिलसिले में मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पास जैनरेटर्स के लिहाज से ब्यालर्स नहीं हैं । इस तरफ स्टेट गवर्नमेंट ने दो साल काब्ल तवज्जह दिलाई और चन्द लाख रुपये फारेन एक्सचेन्ज के बारे में पूछा । आप ने कोशिश कर के इस को नहीं दिलाया । अब आप तवज्जह फरमा कर तीसरे प्लान के पहले साल इस को मुहैया फरमाइये वर्ना तीसरे प्लान के खत्म होने पर अगर दिलायेंगे तो आइंदा पांच साल तक रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के लिये एलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : माननीय मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद के हल का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि वह बहुत बढ़ गया है । आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों ने इसका विशेष रूप से निर्देश किया है । मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नदी के बेसिन के समस्त प्रदेशों के साथ न्याय किया जाना चाहिए । मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मंत्रालय ने देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है । देश पर सब से अधिक प्रभाव यही मंत्रालय डाल सका है । अनेक पूर्ववक्ता यह स्वीकार कर चुके हैं और श्री रंगा ने भी यह माना है कि वह सरकार का एक उज्जवल पक्ष है । उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय को एक वृहद योजना बनानी चाहिए । मैं भी इस संबंध में उनसे सहमत हूं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक विद्युत परियोजनायें क्रियान्वित की गई हैं । परन्तु खेद है कि कर्नाटक में सिचाई और विद्युत के संबंध में समुचित विकास नहीं हुआ है । यह बात इसलिए और भी अधिक खेदजनक है कि भूतपूर्व मैसूर राज्य ने इस मामले में सब से पहले कदम उठाया था और १९०२ में शिवसमुद्रम परियोजना बनाई थी । फिर आज ऐसी स्थिति क्यों है ? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री तीसरी योजना में कर्नाटक की भालप्रभा, कप्पादगुदा, उत्तरी कृष्णा और हरनीज परियोजनाओं पर ध्यान देंगे । विद्युत परियोजना के संबंध में शरवती परियोजना भी उल्लेखनीय है जिससे लगभग १० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी । चूंकि मैसूर तथा अन्य राज्यों में बजली की बहुत कमी है इसलिए इस परियोजना को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आचार ने मुझ से कहा था कि काली नदी और बनपाली परियोजनाओं से हमें काफी बिजली मिल सकती है, इसकी उन परियोजनाओं की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में नदियों के जल के बारे में ऐसे विवाद पैदा होते हैं। ऐसे विवादों को इस ढंग से हल किया जाना चाहिये कि परियोजनाओं की प्रगति पर कोई कुप्रभाव न पड़ सके । इन विवादों से चार राज्य सम्बन्धित हैं--उड़ीसा, आन्ध्र, मैसूर और महाराष्ट्र । इसलिये इनके हल की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

कहा गया है कि इन के बारे में १९५१ में एक करार हुआ था । मैं पूछ ता हूं कि क्या यह करार कुछ सिद्धान्तों के आधार पर हुआ था ? १९५१ का सम्मेलन कुछ परियोजनाओं के बारे में तय करने के लिये ही था, नदियों का जल विभिन्न राज्यों में बांटने के लिये नहीं । उस सम्मेलन में जल के बंटवारे के सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया गया था ।

और फिर यह भी है कि मैसूर सरकार उस करार से सहमत नहीं हुई थी ।

उस सम्मेलन में श्री एन० वि० गाडगिल ने बम्बई राज्य के पूना, शोलापुर, बीजापुर, इत्यादि जिलों के पिछड़ेपन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था । उन्होंने कहा था कि इनके विकास के लिये बिजली और सिंचाई बहुत जरूरी है । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी उस करार को स्वीकार नहीं किया था ।

हम तो केवल इतना चाहते हैं कि कृष्णा नदी के जल में से हमें उचित हिस्सा दिया जाये । हम किसी परियोजना की प्रगति में बाधा नहीं डालना चाहते ।

इस मामले में पूरा न्याय किया जाना चाहिये ।

श्री सभापति महोदय   श्री विश्वनाथ राय ।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, आपको धन्यवाद है इस बात के लिए कि वर्षों बाद पहली बार मुझे इस डिमांड पर बोलने का अवसर मिला है ।

भारत आज भी कृषिप्रधान देश है । यहां की कुल जनता में से ७५ प्रतिशत से भी अधिक लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं । हमारी जनसंख्या तो बढ़ कर पौने ४४ करोड़ तक पहुंच गयी है । अन्न की समस्या अब भी जटिल है यद्यपि देखने के लिए साल डेढ़ साल से सुधार मालूम हो रहा है । इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए जहां अन्य बहुत सी बातें हैं वहां उन में से विशेष बात यह है कि देश में सिंचाई की सुविधाए तेजी से बढ़ायी जाए । वह भी इस तरह से नहीं जिस तरह से और प्लान का काम चलता है । यह जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है उसको हल करने वाली जो सब से प्रमुख सुविधा है उस पर हमारी योजना कमीशन का उतना ध्यान नहीं जाता है जितना व्यवसाय और उद्योग धन्धों को बढ़ाने पर जाता है । देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग धन्धों को तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन इस समय जो हम को करोड़ों रुपये का अन्न हर साल बाहर से मंगाना पड़ता है उसको रोकने के लिए और अन्न के मामले में आत्म निर्भर होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में जो नदियों के रूप में इतने प्राकृतिक साधन हैं उनके पानी का पूरा पूरा उपयोग किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ राय]

कुछ वर्ष पहले इस बात पर सरकार का ध्यान गया था कि इस देश के अन्दर जो इतनी नदियां हैं उनसे लाभ उठाने के लिए हम को योजनाएं बनानी चाहिए और उन योजनाओं के अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेनिन जहां तक उत्तर भारत की बात है, विशेषता जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है वहां अभी तक यह नहीं मालूम होता है कि नदियों के पानी के उपयोग के बारे में कोई योजना बनी भी है या नहीं। हमारे प्रदेश में, और केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं, बिहार और बंगाल में बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके नाम सारे देश में प्रसिद्ध हैं लेकिन इन का नियंत्रण न होने से बाढ़ के कारण इस प्रदेश को बड़ी हानि होती है। इन नदियों में एक नदी घाघरा है, जो कि एक बड़ी नदी है लेकिन इसके जल का उपयोग करने का अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। यह नदी इतनी बड़ी है कि गोदावरी या कृष्णा आदि से इसके अन्दर कहीं अधिक जल है। यह उत्तर प्रदेश के ६ जिलों में से और बिहार के एक जिले में से हो कर बहती है। इसके कारण एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ कृषि की पैदावार की हानी होती है। हमें तो यह जान पड़ता है कि जो नदियों के बारे में योजना की बात थी वह जहां की तहां रह गई और उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया।

अगर सारे देश की नदियों से विद्युत शक्ति प्राप्त की जाए तो यह अन्दाजा है कि ४५० लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन सारे देश की बात को छोड़ अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ जायें तो देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है और दूसरी योजना के अन्त में भी जो अन्दाजा है उसके अनुसार देश में उत्तर प्रदेश तीसरे चौथे नम्बर पर रहेगा। दूसरी योजना के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में ४२३—०, बिहार में ६४१—५, महाराष्ट्र में ७८८—५ मैगावाट बिजली पैदा करने की शक्ति होगी जब कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ४२३—० ही पैदा होगी।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में विद्युत शक्ति के साथ साथ सिंचाई की सुविधाओं की भी कमी है। सिंचाई की जो सुविधाएं और साधन हमारे पास हैं उनका पूरा उपयोग भी नहीं हो रहा है।

गंडक योजना के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह भारत की अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं में सब से कम खर्च वाली है। इस गंडक योजना से ३४ से ३८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। उससे काफी मात्रा में बिजली उत्पन्न होगी और बिहार और उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा। लेकिन यह खेद का विषय है कि उस योजना की तरफ अभी तक, उपेक्षा तो नहीं कह सकता लेकिन उस के बारे में सक्रियता नहीं रही है। अवश्य ही नैपाल सरकार से समझौता होने में देर होने के कारण इतनी देरी हुई है लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि समझौता होने के बाद भी उधर काम धीरे धीरे चल रहा है और अब तक जो कंसट्रक्शन की बात है वह शुरू नहीं हुआ है न जाने काम कब होगा इस साल होगा या अगले साल। बहरहाल जब भी हो उसके होने से केवल सिंचाई की ही व्यवस्था नहीं होगी अपितु विद्युत का उत्पादन भी होगा। गांवों को हम बिजली सुलभ कर सकेंगे। गांवो के अलावा जो चीनी के हमारे बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं, वे आत्म निर्भर हो जायेंगे और आत्मनिर्भर होने के अलावा वह विदेशों में अपनी चीनी का निर्यात करने के योग्य बन सकते हैं। जिन जिलों के आस पास से इस योजना द्वारा नहर या बिजली की लाइन जायेगी, वह इलाका ऐसा है जिसमें कुल भारत की लगभग आधी चीनी मिलें हैं और जहां कि चीनी का उत्पादन ५० प्रतिशत: से भी कुछ अधिक होता है। हमारी समस्या यह है कि भारत में निर्मित चीनी चूंकि महंगी पड़ती है इसलिए अपनी चीनी हम विदेशों में भेज नहीं

†मूल अंग्रेजी में

सकते। इसलिए हमारे दो करोड़ किसान की जो गन्ने की खेती करते हैं,समस्या आजकल बहुत कठिन और जटिल हो गई है क्योंकि उनकी यह समस्या है कि अपनी चीनी को कैसे खपाया जाय। यह योजना पूरी होने से उनकी यह समस्या सुलझ सकती है और वह उद्योग आत्मनिर्भर हो सकता है। बिजली तथा सिंचाई के साधन गांवो में अधिक प्राप्त कर वे हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। उसके द्वारा जो उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की घनी आबादी तथा गरीबी की जटिल समस्या मौजूद है उसको हम हल कर सकते हैं। अतः इस गंडक योजना के सम्बन्ध में मैं सरकार से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि उसके प्रति वह उतनी ही सक्रिय हो और उतनी ही जागरूक हो जितनी कि वह राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में है।

राजस्थान कैनाल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पहले ६६ करोड़ रुपये से ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना थी वहां उसके लिए अब २०० करोड़ रुपये की मांग हो रही है। २०० करोड़ रुपया हो तो राजस्थान की वह कैनाल योजना पूरी तरह सफल होगी। उसके मकाबले में हमारे यहां गंडक योजना द्वारा ५२ करोड़ रुपये से ३८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। आप अब स्वयं अंदाजा कर सकते हैं कि राजस्थान कैनाल की तुलना में इस गंडक योजना को क्या महत्व दिया जा रहा है।

हमारी नदियों के जल का जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, आपकी ही रिपोर्ट के अनुसार केवल २६ प्रतिशत उपयोग हम इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर पायेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में ३५.६ प्रतिशतः पानी का उपयोग हो सकेगा। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि नदियों के सम्बन्ध में वह विशेष ध्यान दे—जो ईश्वरीय या प्राकृतिक साधन भारत को मिले हुए हैं उनका पूरा पूरा उपयोग करे। ऐसा करने से अन्न की हमारी राष्ट्रीय समस्या हल हो सकती है। भारत में जिस लोकतंत्रीय समाजवादी ढांचे को स्थापित करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं उस में बिजली और सिंचाई योजना हमारी बड़ी सहायता करेंगी। हम अपनी नदियों का सदुपयोग करके गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में जो योजनाएं चल रही हैं जाहिर है कि हम उन से सिंचाई के सम्बंध में आगे बढ़े हैं। लेकिन एक बात अवश्य है। कई जगह देखा गया कि योजनाएं आपकी चलीं, छोटे मोटे ट्यूबवैल्स लगाते गये और नहरें भी बनाते गये लेकिन ट्यूबवैल्स की नालियां को खेतों में पानी पहुंचाने का साधन हैं, अधूरी रह गयीं। यह प्लानिंग में एक त्रुटि है कि नालियां और चैनल्स नहीं बन पाती हैं और इसलिए उनका पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरीके से जो आपके आंकड़े होते हैं जो आपका एस्टिमेट होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। ट्यूबवैल्स बनते जरूर हैं लेकिन उनसे ऐक्चुएल इर्रीगेशन नहीं हो पाता है। उसकी प्लानिंग में डिफैक्ट होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कोई प्रोजेक्ट हो, ट्यूबवैल हो जब उसका काम शुरू हो तो उस के साथही साथ चैनेल्स और डिस्ट्रिब्यूटरीज वगैरह की भी कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए जो आप सिंचाई की तृतीय योजना शुरू कर रहे हैं उसमें इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखें। ऐसा करने से आप अपनी सिंचाई की योजना से उतना लाभ उठा सकेंगे जितना आप किताबों में तैयार करते हैं अन्यथा आपकी योजनाएं ज्यों की त्यों ही रहेंगी और १०० प्रतिशतः लाभ होने के स्थान पर केवल ४० या ५० प्रतिशत लाभ ही हो पायेगा। हमारी पिछली सिंचाई योजनाओं में हमें पूरी कामयाबी नहीं मिली उस से हमें सबक लेना चाहिए और इस बार किसी तरह की लापरवाही नहीं बर्त्तनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ राय]

अन्त में मैं रिहैन्ड डैम की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह योजना आज से १०–११ वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज भी वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। यह रिहैन्ड डैम की योजना थोड़ा ही आगे बढ़ी है। अब सुना है कि उसमें कुछ और देर हो रही है करीब साल भर की देर हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि इस योजना में इतनी देरी क्यों की जा रही है? मैं चाहता हूं कि इस योजना को पूरा करके आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों की गरीबी दूर करने का अवश्य प्रयत्न करें।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व उत्तर प्रदेश के भाई बोले हैं और मैं भी इस अवसर पर कुछ उत्तर प्रदेश तथा गोरखपुर के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश जन संख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम है जब कि उसका भूभाग भारत के कुल भूभाग का १०वां हिस्सा है। जनसंख्या की दृष्टि से कुल भारतवर्ष की आबादी का छटवां हिस्सा है। इस सदन में इसका कई बार जिक्र आया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल घनी आबादी और कमी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की औसत आबादी ६५० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है जब कि पूर्वी क्षेत्रों की आबादी हजार व्यक्ति प्रति वर्ग मील से ऊपर है। गोरखपुर और पूर्वांचल में औसत आबादी १००० व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। कुल उत्तर प्रदेश की आबादी की एक-तिहाई आबादी उधर है। इन इलाकों में हर साल राप्ती और घाघरा में बाढ़ें आया करती हैं जिनके कि कारण बहुत तबाही होती है। दूसरे इलाकों में तो बाढ़ कभी कभी ही आती है लेकिन वहां पर तो हर साल बाढ़ें आती रहती हैं। उसके लिए कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। उसके लिए अगली पंचवर्षीय योजना में १७ करोड़ रुपये का आयोजन है। यह १७ करोड़ रुपया बिजली और सिंचाई दोनों के वास्ते है। अब कितना भाग एक में जायगा और कितना भाग दूसरे में जायगा यह तो बाद को मालूम होगा लेकिन इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं।

हमारे देश में अभी भी खाद्य की समस्या जटिल बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अभी कल एक अखबार में यह खबर निकली थी कि वहां पर खाद्यान्न की पैदावार लक्ष्य से कम हुई है। लक्ष्य में यह कमी काश्तकारों की खामी के कारण नहीं रही है बल्कि इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे वहां पानी की दर लगाती है वह अधिक है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इन दो हिस्सों में पानी की दर अलग अलग है। अब उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो कि सब से कमी का क्षेत्र है और गरीबी का क्षेत्र है वहां सिंचाई की दर ऊंची है और पश्चिमी हिस्सा जो कि धनी क्षेत्र है वहां पानी की दर अपेक्षाकृत नीची है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही सरकार की तरफ से जो दर है बिजली और नहरी पानी की उस में अन्तर है। उस में अब तक कोई रेशनलाइजेशन नहीं हुआ। आप के प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि कृषि और छोटे छोटे उद्योगों के लिये बिजली की दर बहुत कम है और उनके रैशनलाइजेशन के प्रश्न पर मंत्रालय विचार कर रहा है।

अभी तीन या चार रोज हुए इसी सदन में डिप्टी मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि रैशनलाइजेशन शायद चौथे प्लान में हो तो हो। अभी दक्षिण में ग्रिड सिस्टम करके उसे शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंत्री महोदय जब बिजली का बिल लाये थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर जगह ग्रिड सिस्टम कर के एक रेट पर बिजली देंगे। अभी मध्य प्रदेश की कुछ बिजली की चम्बल योजनायें निकली

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं । उन के लिये अखबार में निकला है कि वहां पर बिजली का रेट क्या होगा । उन की बिजली का रेट होने जा रहा है ११.५ नये पैसे छोटे उद्योगों और कृषि के लिये और ६ से ११ नये पैसे वाटर पम्प्स वगैरह के लिये । लेकिन हमारे यहां पूर्वी अंचल में बिजली का जो रेट है वह खेती के लिये साढे तीन आना है । वह कब कम होगा ? आज जब हमारी अन्न की पैदावार कम हो रही है तब हम से साढ़े तीन आना यूनिट बिजली का चार्ज हो रहा है । अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाहर से बिजली बहुत कम जाती है । लेकिन आप ने कुछ पम्प्स वगैरह लगा कर बिजली का रेट साढ़े तीन आना कर दिया है जब कि छोटे-छोटे कार्यों के लिये और पम्प्स के लिये २३ नये पैसे है, और उसके पड़ौस में ही मध्य प्रदेश में इस के लिये ६ से ११ नये पैसे का रेट है । हमारे उत्तर प्रदेश में न जाने रैशनलाइशजेन कब होगा । वहां इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता है । और चीजों को छोड़ कर मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इस बारे में घोषणा करें कि आप की जो योजना है उत्तर प्रदेश के बारे में कब प्रारम्भ होगी : बड़ी खुशी की बात है, और मैं आपको इसके लिये मुबारकबाद देता हूं, कि जैसा आप के प्रतिवेदन से मालूम होता है सन् १९४७ में आप की रिहन्द योजना प्रारम्भ हुई थी और जून के महीने में उस से कुछ बिजली बनाई जा रही है । वहां पर काम शुरू कर दिया गया है और अगले दिसम्बर तक शायद वहां पर ५०० हाइडल प्लान्ट लग जायेंगे और ढाई लाख किलोवाट बिजली देने लगेंगे । माननीय मंत्री जी को शायद मालम होगा कि जब यह योजना रिहन्द डैम की शुरू हुई थी तो वह केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के उत्थान के लिये प्रारम्भ की गई थी, लेकिन बीच में आप आ धमके और एक बहुत बड़े कारखाने में अल्यूमिनियम बनाने के लिये उस से बिजली ली जा रही है । कहा गया था कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिये मोगलसराय में एक थर्मल प्लान्ट बनेगा । लेकिन इस प्रतिवेदन में उसका कोई जिक्र नहीं है । आप ने अभी कहा है कि बिजली आप औरों को भी देंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश को देंगे, और वह जून तक मिलेगी । लेकिन उसका रेट क्या होगा, उस का भार लोगों पर कितना पड़ेगा, यह हमें मालूम नहीं । वह ७ या ८ नये पैसे रहेगा या साढ़े तीन आना, जो कि हम आज दे रहे हैं, वही रहेगा । अगर वह साढ़े तीन आना रहेगा तो न वह हमें पानी दे सकेगा खेती के लिये और न हम कोई रोजगार ही कर सकेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि, जैसा आप कह रहे हैं जून तक बिजली मिलने वाली है, उसके पहले रेट की घोषणा हो ताकि लोग बिजली ले सकें । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो हमारा दूर्वी अंचल है वह बाढ से हमेशा पीड़ित रहता है । उस में अगर आप बिजली दे सकें तो हम पम्पिग सेट वगैरह लगा कर बाढ़ आने के पहले फसल पैदा कर सकते हैं । लेकिन वह तभी हो सकता है जब बिजली सुलभ मिले और सस्ती मिले साथ ही हमको उस के बारे में मालूम हो जाय । अगर जून से बिजली मिलने वाली है तो अभी से एलान हो जाय तो अच्छा होगा । यहां मैंने नहीं देखा कि बिजली के प्रसार के लिये कुछ हो रहा हो । अभी आप की रिपोर्ट में एक जगह है कि लकड़ी के खम्बों पर बिजली फैलाने की आपकी योजना है, लेकिन जब हम आपके डिपार्टमेंट से कहते हैं कि बिजली फैलाने के लिये लकड़ी के खम्बे लग सकते हैं तो वह कहता है कि नहीं, १५००० लाइनें फैलाने के लिये हमें चाहिये कि हम लोहे के खम्बे बनायें । लकड़ी के खम्बों के बारे में जो प्रतिवेदन में दिया हुआ है अगर सही मानों में उस पर अमल करना है तो आप को ऐलान करना चाहिये कि हम लकड़ी के खम्बे दे रहे हैं । गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जो जिलें हैं वहां पर साखू की लकड़ी काफी मिलती है । साखू के बारे में कहावत है :

हजार बरस खड़ा, हजार बरस पड़ा ।

इस कार्य के लिये हम साखू की लकड़ी लगा सकते हैं । इस लिये मैं चाहता हूं कि जो कुछ आपने रिपोर्ट में लिखा है उसे सक्रिय रूप में करें, वह कागज में ही न रहे क्योंकि हमें बिजली की जरूरत

[श्री सिंहासन सिंह]

है, और अपने ट्यूब वेल वगैरह लगाने के लिये हम आसानी से उस को पाना चाहते हैं। बिजली आप देवें और खम्बे हम देते हैं। लोहे के खम्बों की इतनी प्राहिबिटिव कास्ट होती है कि कोई उस को लगा नहीं सकता।

अब मैं कुछ गंडक प्रोजेक्ट के बारे में भी कहना चाहता हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप ने उसे लिया, लेकिन उसके अन्दर आप केवल १८००० किलोवाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं रिपोर्ट में लिखते हैं कि बिजली फैलाई जायेगी नेपाल में। बिजली नेपाल में फैलाई जायें, लेकिन यहा १८००० किलोवाट ही नहीं, हम उससे कई लाख किलोवाट बिजली बना सकते हैं। इतनी बड़ी नदी है, अगर आप इस को बांध रहे हैं तो क्यों नहीं बिहार और उत्तर प्रदेश को बिजली देते, जिसमें यह लगाया जा रहा है। १८००० किलोवाट बिजली जो आप बना रहे हैं वह आप नेपाल को दे देंगे। नेपाल को दीजिये, ठीक है, उस में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन वह बिजली हमें भी मिलनी चाहिये। रिहन्द डैम से बिजली लाने के बजाय अगर यहां से आप दे सकें तो अच्छा होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं राप्ती और घाघरा के बारे में। यह दो नदियां रिपोर्ट में कहां है? फ्लड कंट्रोल वाले आदमी भी यहां बैठे होंगे, उन से पूछिये। फ्लड के बारे में उत्तर प्रदेश में कई बार कहा गया कि फ्लड्स को रोका नहीं जा सकता जब तक उद्गम पर रोक न हो। उद्गम वह स्थान है जहां से नदी निकलती है। इन नदियों का उद्गम नेपाल में है और हमारे यहां हर साल बाढ़ आती है। जैसे गडक के बारे में आयोजन कर के आप ने इतना किया अगर उसी तरह से आप यहां करें तो मैं अनुरोध करके कहना चाहता हूं कि शायद नेपाल गवर्नमेंट को इस में कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप राप्ती और घाघरा पर बांध बांधें। अगर आप घाघरा पर बांध बना दें, तो उस से आप कई गुना बिजली पैदा कर सकते हैं और उस से बाढ़ का मसला भी हल हो सकता है। नदियों के किनारे बांध बनाने से कोई मसला हल नहीं हो सकता। हमारे मंत्री महोदय शायद इस के बारे में कुछ बतलायेंगे। आप ने एक कमेटी बाढ़ों के आयोजन के लिये सन् १९३८ में बिठलाई थी। उस ने सन् १९४७ में अपनी रिपोर्ट दी कि नदियों के किनारे बांध बांधने से कोई मसला हल नहीं होता। जांच रिपोर्ट आई कि बांध बनने से कोई मसला हल नहीं होता लेकिन उस के बाद बांध बनना शुरू हो गया।

एक बात और है कि गांवों को ऊचा किया जा रहा है। ७,००० गांवों को ऊचा करने की बात है। इस के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। जितने गांवों को ऊंचा करने की बात कही जाती है, अगर उन को जाकर देखा जाय तो आप को पता चलेगा कि गांव ऊंचे नहीं किये गये हैं, घर ऊंचे किये गये हैं। यह काम आयोजन से नहीं हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज आप इतने गांवों को ऊंचा करना चाहते हैं लेकिन कई गांवों में तो मिट्टी भी नहीं पड़ी। बिल पास हो गया और रुपया चला गया। यह हमारे गांवों की हालत है। कई घर ऊंचे हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

श्री अब्दुल लतीफ (बिजनौर) : आबादी भी बढ़ गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह** : यह आप करें, लेकिन इस के लिये योजना बनाये और गांव को समूल ऊंचा करें, एक ढंग से ऊंचा करें। आप ने कुछ मकानों को ऊचा किया, मगर नतीजा क्या हुआ है ? पानी घुस जाता है बीच से। अभी राप्ती की बाढ़ में कई घर गिर गये। ऊंचे से पानी गिरा और घरों के नीचे होने के कारण वे नष्ट हो गये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

आप गांवों को ऊंचा करके चारों तरफ उस के तालाब बनायें तब आपका काम चल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप जो काम करें उसे योजना से करें। इधर उधर कहां कहीं जमीन को ऊंचा कर देने से काम नहीं चलेगा।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने परसों और आज इस ऐवान में जो मुबाहिसा मेरी मिनिस्ट्री के मुताल्लिक हुआ उसको सुना। जो उसका असर मेरे दिमाग पर हुआ मैं पहले उसको गुजारिश कर देना चाहता हूं। मेरे दिमाग पर यह असर हुआ कि मेम्बरान को, जिसको कि अंग्रेजी में एप्रीशिएशन कहते हैं, पसीन्दगी है उस काम की जो काम कि यह मिनिस्ट्री इस मुल्क के अन्दर कर रही है। मैं उसके लि े मशकूर भी हूं और मेरे भाई ने परसों शुक्रिया भी अदा किया था मगर इसी के साथ-साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो कुछ इस मिनिस्ट्री में हो रहा है, मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह उसी हद तक रहे बल्कि मैं तो चाहता हूं कि वह उससे और आगे बढ़े और अधिक तरक्की हो। मैं तो चाहूंगा कि उससे भी ज्यादा काम हो और उसके जरिए से जितनी खिदमात इस वक्त हो रही हैं उसी वक्त के अन्दर और ज्यादा खिदमात इस मुल्क की इस मिनिस्ट्री के जरिए से हों। जो खिदमात उसके सुपुर्द हैं वह वाकई मानों में ऐसी हैं कि वह जिन्दगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इंसान का उनसे वास्ता है और अगर वह काम इस मुल्क के अन्दर या किसी जगह भी बिगड़ जाये तो वहां की सोसाइटी का अपनी उसी हालत में रहना किसी तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता है। इस अहमियत को इस मिनिस्ट्री को समझना है और इसको समझ कर इंसानियत की खिदमत करनी है। अपने मुल्क की खिदमत अपना फर्ज समझ कर करते हैं, नौकर की हैसियत से नहीं करते हैं। इस मुल्क की खिदमत एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से करते हैं एक नौकर की हैसियत से नहीं करते हैं। मैं खुशी के साथ अर्ज करूंगा कि मुझ को अपने तजुर्बे से यह साबित हुआ कि मेरे भाई जो कि इस मिनिस्ट्री के अन्दर खिदमत कर रहे हैं उनमें इसी किस्म का अहसास मौजूद है और मैं उस अहसास में और तरक्की चाहता हूं और यह चाहूंगा कि अब से ज्यादा जल्दी और अब से ज्यादा अच्छा काम हो।

अब इसी के साथ यह भी है कि सब तरफ से जिस वक्त तकरीरें होती हैं तो उनको सुन कर नतीजा जो दिमाग निकालता है वह यह निकालता है कि शायद यहां कुछ हो ही नहीं रहा है। यहां के मुबाहिसे का जो नतीजा निकलेगा वह यही निकलेगा कि शायद यहां कुछ काम नहीं हो रहा है मैं यह सोचता हूं कि हर इंसान अगर और कहीं का नहीं तो खुद अपने घर का तो तजुर्बा रखता ही है और वह अपने मन में सोचे कि वह अपने घर के लिये क्या करता है। मैं और आप सोचें इस बात को कि हम अपने घरों के वास्ते क्या करते हैं। कितनी आपसे गफलतें होती हैं और कितनी आप में कमजोरियां होती हैं ? कितनी फरमाइशें आपके दामादों, बीवियों और बेटे बेटियों की होती हैं और उनमें से कितनी को आप पूरा कर देते हैं और कितनी को पूरा नहीं कर सकते हैं ? मै समझता हूं कि उससे आप बखूबी अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब एक घर के बारे में यह हालत है तो यह तो पूरे हिन्दुस्तान के घर का इन्तजाम जिनके सुपुर्द है उनके इन्तजाम में अगर कोई कमी रहती है तो वह कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिये। अब जिनके कि सुपुर्द पुरे हिन्दुस्तान का इन्तजाम है वह भी तो

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम[

हमारे जैसे इंसान ही हैं कोई सुपर ह्यमन थोड़े ही हैं कि पलक झपकाते सब काम हो जाय। उनमें भी हमेशा इंसानी कमजोरियां पाई जायेंगी। मै यह नहीं कहता कि मुझ को उससे बरी होना चाहिये या मेरे ऊपर ऐतराज नहीं होना चाहिये। मैं तो अपने ऊपर नुक्ताचीनी सुन कर खुश होता हूं और मैं तो उसको इस नजर से सुनता हूं कि मैं उससे सबक हासिल करूं और उसके जरिये से जो कुछ खिदमात मै अपने मुल्क की कर सकता हू वह अंजाम दूं। लेकिन मैं एक तबदीली चाहता हूं इस प्वाएंट आफ व्यू में जिस प्वाएंट आफ व्यू से यहां पर बहस मुबाहिसा किया जाता है। हमें यह समझ कर बहस करनी चाहिए कि क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए बातें कही जायं और नुक्ताचीनी की जाय।

अभी मेरे भाई श्री सिंहासन उत्तर प्रदेश के मुताल्लिक फरमा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश का हूं और उस खिदमत का भी कसूरवार हूं जो कि मैंने सन् १९३७ से लेकर सन् १९५८ की फरवरी तक इस काम के मुताल्लिक की हो। उन सब का मैं जिम्मेदार हूं और जितना इल्जाम उसके मुताल्लिक किसी को दिया जा सकता है, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि मैं खुशी के साथ उन तमाम इल्जामों को ओढ़ने के वास्ते तैयार हूं। मुझे उस में कोई ऐतराज नहीं है। मैं यह भी अर्ज करूं कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा उस प्वाएंट आफ व्यू से और उस मुतमये नजर से मुझ को बिल्कुल इत्तिफाक है। मै चाहता हूं कि कल का होता हुआ आज हो जाय। मेरे दिल में भी यह ख्वाहिश होती है कि मैं कल के बजाय उस काम को आज कर सकूं। यह तो एक नेचुरल फितरती बात है। इंसान की नेचर है कि वह अपने लिए जल्द से जल्द बेहतरी चाहता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इंसान के काबू के बाहर की होती हैं। वह पैदा होती हैं और वह रास्ते में तमाम रुकावटें पैदा करती हैं। किसी चीज में देर करती हैं तो किसी चीज को नामुमकिन बना देती हैं। हम को इस जिन्दगी के अन्दर बराबर इसका तजुर्बा होता है।

अब रिहैण्ड डैम के बारे में यह फरमाया कि उसकी बिजली क्यों बनी। गांव वालों को देने के लिए वह बनाई गई और वह बिजली मिल गई एक बड़ी फैक्टरी को.......

एक माननीय सदस्य : बिड़ला को दी गई।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : चलिए बिड़ला ही सही। खैर कोई भी हो इससे कोई सरोकार नहीं आखिर सब हिन्दुस्तानी हैं और बराबर हैं और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपने दोस्त को यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं उस काम को देख कर आया हूं और मैं उनको कहना चाहता हूं कि उस रकबे में जिस रकबे में रिहैण्ड डैम की बिजली आने वाली थी जो अभी तक आई नहीं है, जब भी वह आयेगी तो गांवों को बिजली देने का पूरा-पूरा ख्याल रक्खा जायेगा। मेरे दोस्त को मालूम है कि वहां उत्तर प्रदेश में मैं कै पावर स्टेशन्स बनवा कर आया हूं। सुहावल में पावार स्टेशन का एक्सटेंशन किया उसको डबल किया, मऊ में पावर स्टेशन बनाया और गोरखपुर में पावर स्टेशन बनाया। उस एरिया में अगर मेरा हाफिजा गलती नहीं करता तो मैंने करीब ३००० ट्यूबवैल्स वहां पर लगाये हुए हैं। यह भी कसूर मुझसे हुआ था। ३००० ट्यबवैल्स को चलाने के वास्ते बिजली वहां दी गई। वहां के गांवों में बिजली दी। मैं यह नहीं कहता कि हर एक गांव में बिजली पहुंच गयी है लेकिन यह वाकया है कि बिजली गांवों में भी पहुंची और शहरों में भी पहुंची और उसके जरिये से ट्यूबवैल्स भी चले। अब रिहैण्ड डैम बन जायेगा। इस रिहैण्ड डैम की बिजली के लिए यह कहना कि वह सारी बिजली किसी बड़ी कम्पनी को दे दी गई है सही नहीं है। ढाई लाख किलोवाट बिजली

†मूल अंग्रेजी में

का वहां पर जेनरेशन होगा अब उसमें से ५० या ६० हजार किलोवाट बिजली किसी बड़ी कम्पनी को दे भी दी गई तो भी उसका बहुत सा हिस्सा अभी बाकी रहता है और वह उस एरिया में तकसीम होगा वह बाकी तमाम बिजली आखिर उन्हीं गांवों को तो जायगी। अब मैं यह कहूं कि मैं उस बिजली को आन्ध्र प्रदेश में या और कहीं भेज दूं तो यह तो होने वाला नहीं है। इसलिए इसमें घबड़ाने की कोई बात नहीं है वह बाकी तमाम बिजली उन्हीं को मिलने वाली है। उसमें कोई बेसब्री हो, यह ठीक नहीं है। या ग़लत खबरों की बिना पर तबियतों में ग़लतफ़हमियां हों, तो उन ग़लतफ़हमियों को जगह नहीं देनी चाहिये। यह बात मुल्क के लिये बड़ी खतरनाक है। जब एक एम० एल० ए० या एक एम० पी० की जबान से, या मेरी ज़बान से---मैं भी एक एम० पी० हूं---लोग मायूसी की बातें सुनेंगे, तो देश में डीजेनीरेशन पैदा होगा, महज़ इसलिये कि इब्राहीम ने, या किसी और एम० पी० ने, इसके मुताल्लिक कोई बात कह दी। इसलिये उसको उठाना नहीं चाहिये, उसमें जाना नहीं चाहिये। वह मुल्क के लिये खतरनाक है। रिहण्द डैम से यू० पी० की जो खिदमत होनी है, वह ज़रूर होगी। उससे जो मक़सूद था, वह पूरा होगा। इसमें कोई खतरा नहीं है।

हमारे एक भाई ने कहा कि तखमीने बदलते रहते हैं---शुरू में जो तखमीना बनाते हैं, अगले स्टेज पर चल कर वह ग़लत हो जाता है और उससे अगले स्टेज पर और ग़लत हो जाता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। यह वाकै हैं। मैं मानता हूं इस बात को और यह भी बतलाता हूं कि यह बात जा नहीं सकती है, यह बात रहेगी। अगर सही रास्ता तखमीनों के मुताल्लिक रखना है, तो यह बात जा नहीं सकती यह शिकायत है कि भाखड़ा डैम का इतना तखमीना था पहले, फिर वह बदल गया, फिर और ज्यादा हो गया और अब १७५ करोड़ रुपया हो गया। सही है, हो गया। लेकिन जब हम आगे को चलते हैं, तो कुछ तबदीलियां लाज़िमी हैं। एक बात और है। एक नज़र से, एक एरिया के तमाम हालात के मुताबिक, उसके मुताल्लिक जो तजुर्बा हुआ हो, उसको मद्देनज़र रख कर एक बिजली के पावर हाउस का एक अन्दाज़ा लगाया गया और सब कुछ उस वक्त तय कर दिया गया, लेकिन जब नई बातें शुरू होंगी, नए हालात पैदा होंगे, नई ज़रूरतें पैदा होंगी, तो फिर उस लिहाज़ से काम करना होगा। इंजीनियरों ने भाखरा डैम के बारे में एक इब्तदाई तखमीना बनाया, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर उसमें तबदीली करनी पड़ी। उसके मुताल्लिक मेरे पास एक-एक साल की पूरी तफ़सील है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं उस को पढ़ता नहीं हूं। जिस साहब को देखना हो, वह मेरे पास आकर देख लें। उस में इतनी माकूल वजह दी हुई है हर साल के मुताल्लिक कि क्यों इस साल बढ़ोतरी हुई है।

एक दोस्त ने फ़रमाया कि कैनाल वाटर ट्रीटी के मुताबिक ट्रांजीशन पीरियड में जो पानी दिया जा रहा है, उसकी वजह से पंजाब को पानी नहीं मिला। लेकिन मुझे उल्टी खबर है। बड़े ताज्जुब की बात है कि उल्टी खबर है कि इस साल ज्यादा मिला है बनिस्बत पहले के। मेरे पास इसके बारे में फ़िगर्ज मौजूद हैं, तफ़सील मौजूद है। मालूम नहीं कहां से यह खबर आ गई। इस साल ऐसा नहीं हुआ है और अगले साल भी नहीं होने वाला है। उसका कोई वजूद नहीं है।

मैं थोड़ी सी बात कृष्णा गोदावरी के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं। कृष्णा और गोदावरी दो दरियाओं के नाम हैं और उनके पानी में कुछ स्टेट्स इन्ट्रेस्टिड हैं, जो उनसे पानी लेने वाली हैं। एक दफ़ा १९५१ में यहां एक कमेटी में कुछ तय हुआ था। उसमें कुछ स्टेट्स थीं और कुछ नहीं थीं उसने जो फ़ैसला हुआ था, यह तय हुआ कि वह कायम रहे और उस पर अमल हो। जो स्टेट्स उनमें

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

नहीं थीं, जिनको कुछ नुकसान रहा है, उन्होंने उसको दूसरी नजर से देखा है। एक मीटिंग हुई। यह मेरा कुसूर था। मैंने मीटिंग की थी। कुसूर मैंने इसलिये अर्ज़ किया कि मैं चाहता था कुछ और, हुआ कुछ और। मैंने यह समझ कर मीटिंग बुलाई थी कि मामला तय हो जायगा, लेकिन उल्टा हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर जब एक तरफ ध्यान देते हैं, तो दूसरी तरफ वालों को शिकायत होती है। अगर वह मेरी तरफ देखते रहें, तो ठीक होगा।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम: बहुत मुनासिब है। उस कमेटी में तो कुछ फ़ैसला नहीं हुआ। उसके बाद हमको यह ख्याल हुआ कि हम अलाहिदा-अलाहिदा गुफ्तगू करें। चुनांचे मैं, डिप्टी मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब सब जगह गये और वहां हमने गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के नतीजे में सब ने हमको इजाज़त दी है कि हम इस सिलसिले में तजवीज़ करें और उसको बैठ कर आपस में तय कर लें। यह तय हो गया है। मेरे ख्याल में इस स्टेज पर और ज्यादा कहना कोई मुनासिब बात नहीं होगी। इसलिये मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मुझको बहुत उम्मीद पैदा हो गई है कि वह मामला बिल्कुल आपस में सुलझा लिया जायेगा, तय हो जायगा।

एक किस्सा दिल्ली का भी सुना। पंजाब में ड्रेन नम्बर ८ की जानिब रोहतक में फ्लड आया था और रोहतक वालों को बड़ी तकलीफ हुई। तो रोहतक को बचाने के लिय पंजाब अपनी तरफ से काम कर के एक ड्रेन बना रहा है। उस ड्रेन के मुताल्लिक दिल्ली के आदमियों को कुछ यह ख्याल हुआ कि उस मुकाम से---उस मुकाम को मैं यहां तो नहीं समझा सकता, नक्शे पर समझा सकता हूं---कहीं दिल्ली में पानी का पैसेज किया जाय, तो दिल्ली को डुबोने का मौका हो जायगा। यह बात गलत है। वह साहब एम० पी० भी हैं। उन्होंने मुझसे फ़रमाया था। मैं और डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां उस एरिया को देखने गये और फिर चंडीगढ़ में दोनों तरफ़ के इंजीनियर्ज के साथ और हमारे प्लानिंग कमिशन के मेम्बर, खोसला साहब, को शरीक करके मीटिंग हुई। उन्होंने नकशे में एक जगह बताई थी कि दोनों तरफ के इंजीनियर उसको देख लें। वहां और खुदाई हो जायगी। तो दिल्ली महफ़ज़ हो जायगी। इसके मुताल्लिक यह तय हुआ, और होना ही चाहिये, और जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात पर अपनी पूरी हमदर्दी जाहिर की, कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे दिल्ली को किसी किस्म का नुक़सान पहुंचे, और साथियों को भी न हो, लिहाजा इसका इन्तजाम हो रहा है कि दिल्ली इससे बची रहे और उसे किसी किस्म की तकलीफ न हो।

राजस्थान कैनाल की लाइनिंग और नेवीगेशन का सवाल उठा। जहां तक उसकी लाइनिंग का ताल्लुक है, लाइनिंग उसकी शुरू भी हो गई है और हो रही है, लेकिन जहां तक नैवीगेशन का ताल्लुक है, उसकी निस्बत अभी कोई मुस्तकिल राय नहीं करार पाई गई है कि वाकई उसमें नैवीगेशन किया जायेगा। शायद बेहतर हो कि मैं इसकी तफसील न करूं क्योंकि अभी यह मसला ज़ेरे गौर है, जिसे कहते हैं कि अन्डर कंसिडरेशन है। इसके बाद मुमकिन है कि इस फैसले पर पहुंचा जाय कि किया जाय, और मुमकिन है कि इस फैसले पर पहुंचा जाय कि न किया जाय। इसके बारे में कुछ कहना अभी कब्ल अज वक्त है। जो सवाल यहां उठा उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, वह जेरे गौर है आज तक उस पर गौर हो रहा है, और अब वह फैसला हो जायगा तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

डी० वी० सी० के हेडक्वार्टर्स की माईथान को कलकत्ता से शिफ्टिंग के बारे में भी कहा गया । उसकी निस्बत मैंने अपने भाई की तकरीर में सुना कि वह एक गलत काम है कि उसे वहां से उठा कर भेज दिया जाय दूसरी जगह । डी० वी० सी० के सभी दफ्तर कलकत्ता में वाकय हैं सिवाय उन छोटे तदफ्तरों के जिनकी उसी जगह पर जरूरत है । उनका सेंट्रल आफिस कलकता में है । अब खयाल यह हो रहा है कि कलकत्ते से उसे उठा कर माईथान मुकाम को भेज दिया जाय, जो कि बिहार में एक जगह है । उसके मुताल्लिक मेरे भाई फरमाते थे कि क्या वजह है इसकी और इससे कुछ फायदा नहीं । उनका कहना था कि इससे सिवा नुकसान के और कुछ नहीं होगा । मैं यहां पर उस वक्त था नहीं, जिस वक्त वे यह फरमा रहे थे । लेकिन जिस वक्त मैंने उसे देखा तो मुझे मालूम हुआ कि फायदा तो उससे बहुत है, और वह फायदा क्या है, वह मैं अर्ज करूं । शायद इस वक्त ४०,००० रु० या कुछ ऐसी ही रकम है जो कि सालाना किराये के सिलसिले में दी जा रही है, उन इमारतों के लिये जिनमें वह है । उस के अलावा जितने सरकारी मुलाजिम वहां पर जाते हैं, पोस्ट होते हैं, उनको उनकी तनख्वाह के अलावा ऊपर से भत्ता दिया जाता है, वह भी खर्च होता है । तो यह ७ लाख रु० का सालाना खर्च महज दफ्तर के ऊपर होता है, इस वजह से कि इमारत अपनी नहीं है । इसलिये इमारत दूसरी जगह बना कर उसको वहां ले जाना, इसमें मैंने समझा कि कोई नामाकूल बात नहीं है । लेकिन मैं अपने भाई को यह मौका देता हूं कि अगर वह चाहे तो मुझसे इस बात पर कोई गुफ्तगू कर लें । मैं जाती तौर पर इसे फिर से समझने और अपनी राय बदलने के लिये भी तैयार हूं । मैं चाहूंगा कि मैं इसको समझूं जरूर ।

अब एक सवाल यहां यह हुआ था उस रोज, कि कलकत्ते में जो पावर हाउस है कलकत्ता एलेक्ट्रिक सप्लाई का, उसमें कुछ खराबी आ गई । उसकी वजह से उसका जेनरेशन कम हो गया । जिस वक्त इसकी निस्बत सवाल उठा था उस वक्त कुछ मैंने अर्ज किया था । लेकिन उसकी निस्बत इस वक्त फिर कहा गया कि वहां कुछ नहीं हुआ । लेकिन मेरी जो इत्तला है वह यह है कि वहां पर बहुत कुछ किया गया । मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि चाहे पावर हाउस को नुकसान हुआ हो, लेकिन किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है । जितनी बिजली बिजली जलाने वालों को मिल रही थी, उतनी उनको मिल रही है ।

एक माननीय सदस्य : मगर इंडस्ट्रीज को ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इंडस्ट्रीज का जिक्र नहीं है ।

श्री महम्मद इलियास (हावड़ा) : बहुत इंडस्ट्रीज को शाम को ५ से १० बजे तक सप्लाई बन्द हो गई या कम कर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सी मिलों को अपनी शिफ्ट बन्द कर देनी पड़ी ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज तो कर रहा हूं कि मेरे पास इस तरह की इत्तला नहीं है, और मेरी इत्तला का जो सोर्स हो सकता है वह सोर्स टेकनीकली और किसी की इत्तला के मुकाबले में मेरे नजदीक ज्यादा काबिले एतबार हो सकता है । यह मत समझिये कि यह मैं कोई आप के खिलाफ कह रहा हूं । यह मेरा मतलब नहीं है । बल्कि मतलब यह है कि गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट को सब खबर है । गवर्नमेंट को सरकारी मुलाजिम खबर देते हैं जाकर । उनके पास से सारी खबर आती है । दूसरी बात यह है कि उस दिन मैंने बताया था कि डी० वी० सी० उनको अपने यहां से बिजली देता है और जो कमी थी उस वक्त के लिये वह तीन चार दिन के अन्दर बिजली दे रहा है उसी पावर हाउस को । इस तरीके से मेरे नजदीक वहां की पबलिक को किसी किस्म की तकलीफ हो नहीं रही है । और जो शार्टेज होगी वह पूरी करनी है डी० वी० सी० से । वहां से बिजली जा रही है और आगे भी जायेगी, इसलिये इसके लिये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ।

[हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इस के बाद मैं कुछ रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। गांवों को जो बिजली जाती है उस के मुताल्लिक मैं कुछ बतलाऊं आप को उस के पहले मैं बिजली की कीमत के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं। एक बात साफ है और उसमें कोई एख्तलाफ नहीं हो सकता है कि जैसे पानी की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, वैसे ही बिजली की जरूरत है। वैसी ही बिजली की जरूरत आज सोसायटी के अन्दर पैदा हो गई है, और जिनको जरूरियात जिन्दगी कहा जाता है, जो कि अनअवायडेबल हैं, उन में से यह एक चीज बन गई है। उसका होना हमारे दर्म्यान बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ यह भी कि वह कम से कम कीमत में सबको मिलनी चाहिये। मैं इसका तरफदार हूं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो मेरे भाई तशरीफ रखते हैं उनको मालूम है सब कुछ। एग्रिकल्चर के लिये यू० पी० में जो बिजली देनी है उसकी वह कीमत पूछ रहे थे। कीमत तो मेरे पास लिखी हुई भी होगी। लेकिन मैं एक खास बात उसकी निस्बत अर्ज करूं कि एग्रिकल्चर को कम कीमत पर बिजली देने की वजह से यू० पी० हर साल २ करोड़ रुपये का टोटा उठाता है। अगर उन लोगों से पूरी कीमत वसूल की जाय तो २ करोड़ रुपया, जो हमने टैक्स लगाये हैं वो न लगाना पड़ता या २ करोड़ रु० और किसी काम आता। पोजीशन तो यह है कि बिजली की कीमत कम हो, लेकिन कैसे कम हो ? इसका एक सवाल है। आजकल हिन्दुस्तान में दो सप्लायर्स हैं। एक तरफ तो खुद गवर्नमेंट है और एक तरफ लाइसेंसीज हैं। लाइसेंसी जो होगा जाहिर है कि वह अपनी रोजी कमाने के वास्ते बिजली बनायेगा। अब उसके लिए हम यह वैरी रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वह इतनी दर पर ही बिजली बेचे तो यह उसके साथ सही मायनों में इंसाफ नहीं होगा। अलबत्ता हमारा ध्यान इस बात के लिय है कि बिजली सस्ती लोगों को मिले और इसके लिये जो कानून इस वक्त बिजली का रायज है उसके अन्दर हमने बिजली बेचने वालों पर कंट्रोल लगाया हुआ है। उसके अन्दर लाइसैंसी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शामिल हैं और हमने बंदिश लगाई हुई है कि वह इससे ज्यादा कीमत बिजली की नहीं ले सकेंगे। हमने बिजली के बेचने में उनका मुनाफा मुकर्रर कर दिया है। उस एक्ट के अन्दर बमुजिब बिजली का रेट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई शख्स इस किस्म की दरख्वास्त दे कि उसे मंहगी दर पर बिजली मिली है तो सरकार उसकी दरख्वास्त पर सुनवाई करके जरूरी कदम उठा सकती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इस किस्म की दरख्वास्त दीं और मैंने उसके ऊपर एक कमेटी बैठाई और उसको जांच करवाया। यह सारी मिनिस्ट्री उसकी कीमत कंट्रोल करने के लिए आप के यहां मौजूद है। फिर भी एक बात माननी पड़गी और वह यह कि बिजली बनाई जाये और उसके ऊपर कुछ और वसूल किया जाये बतौर मुनाफे के क्योंकि आखिर बिजली से रोजी भी तो उन्हें कमानी है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और लाइसैंसी को रखेंगे तो उनके लिये यह करना जरूरी होगा। अब मेरी समझ में तो बिजली की दर में कमी करना मुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिये फर्ज कीजिये कि अगर मुमकिन हो तो आप मुझको हटादें लाइसैंसी को भी मौकूफ करें और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपने कायम कर रखा है उसको भी मौकूफ कर दें और डायरेक्ट यह बिजली का काम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले तो भी एग्रिकल्चर और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के वास्ते जब तक सबसिडी नहीं की जायगी उस वक्त तक बिजली की कीमत कभी घट नहीं सकती है आज भी हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बमुकाबले डोमेस्टिक यूज के और बड़ी इंडस्ट्रीज के, बिजली की दर कम है गो ज्यादा है और मैं उसे मानता हूं कि जो कम है वह भी ज्यादा है और उसको और भी घटाया जाना चाहिये। अब यह बिजली की दर घटाना मुश्किल है। मुश्किल यह है कि मैं उसके वास्ते सबसिडी दूं और एक अरब रुपया हर साल हिन्दुस्तान में बिजली चलाने के वास्ते बांटं और फिर वह तमाम रुपया मैं अपने

मुल्क वालों से टैक्सों की शक्ल में वसूल करूं क्योंकि ऐसी तो चीज है नहीं कि हाफिज इब्राहीम का घर भरा पड़ा है जहां से कि रुपया मिल जायेगा। अब मैं उसके वास्ते अगर कोई टैक्सेशन के प्रपोजल ले कर आऊं तो क्या मुझे कोई उसको लगाने देगा ?

एक माननीय सदस्य : टैक्स मत लगाओ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब टैक्स भी मत लगाओ और वह बिजली भी सस्ती दे दो तो यह तो जभी मुमकिन था जबकि यहां मुल्क में बादशाहत होती। वह बादशाहत के पुराने खयालात अभी तक लोगों के दिलों से गये नहीं हैं। वह बादशाहत के खयालात अभी तक यहां के इंसानो में से गये नहीं हैं। एक लोकतंत्री गवर्नमेंट का तसव्वुर उनके नजदीक नहीं है। अब आज बादशाहत तो हमारे यहां है नहीं हमारे यहां तो लोक राज है। लेकिन इससे यह मतलब हरगिज न लगाया जाय कि मैं बिजली की दर घटाना नहीं चाहता। मैं खुद इस कोशिश में हूं और तलाश में हूं कि बिजली सस्ती मिल सके और इस काम को करने के वास्ते एक कमेटी मैंने बिठाई है। उस में पालियामेंट के मेम्बर्स भी हैं . . .

एक माननीय सदस्य : थोड़े हैं।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अब ज्यादा आदमी इकट्ठा करने से काम हमेशा खराब हो जाता है भले ही आप इसको सही समझें या गलत लेकिन है यह हकीकत। हमने अपनी समझ से ढूंढ ढूंढ कर आदमी उसमें रखे हैं। दो तो मेम्बर हैं। एक मैं खुद हूं और एक मेरे डिप्टी मिनिस्टर उस में हैं। इसके अलावा पावर से ताल्लुक रखने वाले हमारे अफसरान और सेक्रेटरी साहब उस कमेटी में हैं। हम सब मिल कर उस काम को इस वक्त कर रहे हैं और इस तलाश में हैं। हम वाकई इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। शायद यह मकसद पूरा हो जाय और हम इस कमेटी के जरिये समूचे देश में बिजली की रेट्स के बारे में जो एक युनिफार्मिटी पैदा करना चाहते हैं उसमें हम कामयाब हो जायें। आज उत्तर प्रदेश में एक कीमत है, बिहार में दूसरी कीमत है, बंगाल में कुछ कीमत है और पंजाब में जुदा ही कीमत है। हम इन रेटस में एक युनिफार्मिटी लाना चाहते हैं। मौजूदा हालात ऐसे हैं जिन में यह युनिफार्मिटी पैदा नहीं हो सकती है। मेरे दोस्त एक ग्रिड सिस्टम का जिक्र कर रहे थे तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हम यह ग्रिड सिस्टम जारी कर रहे हैं। चूंकि आपने उसकी तजवीज यहां सुन ली है इसलिए मैं उसको अर्ज नहीं करता हूं। उससे एक फायदा अल्टीमेटली हो जाने की उम्मीद है कि उसके करने के बाद एक युनिफामिटी पैदा हो जायेगी। इससे बिजली की कीमत में युनिफार्मिटी पैदा हो सकती है। आज वह युनिफार्मिटी मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर बिजली की मुख्तलिफ कीमतें हैं। लेकिन कमेटी इसकी तलाश में है और इस बात की कोशिश कर रही है कि एग्रीकलचर और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के वास्ते बिजली की दर सस्ती की जा सके। कमेटी अपना काम कर रही है और जो नतीजा होगा वह मैं हाउस के सामने पेश करूंगा और हाउस को मैं बतलाऊंगा कि उसके मुताल्लिक क्या कुछ हो सकता है।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे यहां हो रहा है। एक बात मैं पहले कहे देता हूं कि जिस रफ्तार से वह काम हो रहा है, मालूम नहीं मेरे बाद कितनी नसलें इंसानों की गुजरेंगी जब कभी आगे चल कर हिन्दुस्तान के सब गावों में बिजली आयेगी। जहां तक उसकी रफ्तार का ताल्लुक है मैं खुद मानता हूं कि वह तेज नहीं है . . .

श्री त्यागी (देहरादून): यही अफसोस है। यह तो बिजली की रफ्तार से चलनी चाहिए थी।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : लेकिन बिजली की रफ्तार पर चलने के वास्ते जो कुछ करना चाहिए वह मेरे भाई करते नहीं हैं। मुझे बिजली की रफ्तार पर चलवा दो फिर देखना कि मैं क्या करके दिखाता हूं। मैं तो बाजीगर हूं।

पहले प्लान में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की कमी थी। पहले प्लान के शुरू में हमारे यहां हिन्दुस्तान में २९३१ गांवों में बिजली थी। पहले प्लान के खात्मे पर और जब दूसरा प्लान शुरू हुआ तो ८४८८ गांवों में बिजली हो गई। सेकेंड के दौरान में हमने देखा कि १७१८२ गांवों में बिजली लग गई जब कि सेकेंड प्लान का टार्गेट १५०४६ ही था। जिस हिसाब से यह काम हो रहा है और रिसोर्सेज की एवेलेबिलिटी को देखते हुए मैं इस रफ्तार को कम नहीं समझता और बुरी नहीं समझता। मगर मैं यह नहीं चाहता कि रफ्तार वही कायम रहे। मैं रफ्तार में तेजी देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों ही काम हों। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ज्यादा रुपया लगे। उसी के साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि यह एग्रीकल्चर और स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज के वास्ते बिजली के रेट में कमी हो। यह दोनों काम साथ साथ होने चाहिएं और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा)** : क्या दामोदर घाटी निगम अधिनियम को संशोधित और निगम को पुनर्गठित किया जायेगा ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम**: मैं इसी प्रश्न पर नहीं, और भी जो प्रश्न माननीय सदस्य उठाना चाहें, उसके बारे में उनसे बातचीत करने, उनकी बात सुनने और उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटोती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२२,०३,०००
६५	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . .	१,४६,८७,०००
६६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . .	२,२८,७३,०००
१२७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३,०६,८५,०००
१२८	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	११,२६,७५,०००

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६	आदिमजाति क्षेत्र	६,८७,३३,०००
१७	नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र	३,४१,५३,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	११,२२,७७,०००
१९	पांडिचेरी राज्य	३,९५,८०,०००
२०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२,६६,८६,०००
११३	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	८०,९६,०००

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की ओर से ये मांगें सभा के सामने रखता हूं । अभी मैं उनके बारे में कुछ शुरुआती बातें ही कहूंगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ताल्लुक भारत और बाहरी दुनिया के सम्बन्धों से है । इसलिये उसे संसार की कई समस्याओं से ताल्लुक रखना पड़ता है, और यह भी एक ऐसे ज़माने में जब कि संसार बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है । ऐसे हालात में इस मंत्रालय को रोज़ाना के प्रशासन के अलावा, नई-नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है । माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये, तभी वे हमारी कठिनाइयों को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । मैं यह नहीं कहता कि इसकी वजह से हमारी गलतियों को नजरअन्दाज़ कर दिया जाये, पर हां इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिये ।

इस मंत्रालय का काम भी दिन-दिन बढ़ता जा रहा है । इसके कई कारण हैं । एक कारण यह भी है नये-नये देश आज़ाद होते जा रहे हैं । हमें वहां अपने प्रतिनिधि भेजने और उनके प्रतिनिधियों को अपने यहां रखने की समस्याओं पर विचार करना पड़ता है । अफ्रीका के नये आज़ाद देशों के बारे में यह समस्या हमारे सामने है । संसार की परिस्थिति की पेचीदगी की वजह से यह समस्या भी पेचीदा बन गई है ।

आज संसार की सब से बड़ी समस्या निःशस्त्रीकरण की है । उसका सीधा असर तो हम पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन समूचे संसार पर उसका जबर्दस्त असर पड़ता है, इसीलिये हम पर भी उसका असर पड़ता है । इसलिये कि अपने देश को कुछ खास कारणों से एक बड़ा अहम पार्ट अदा करना पड़ता है संसार की समस्याओं के बारे में उनको हल करने के बारे में ।

इसलिये माननीय सदस्यों को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बारे में कुछ कहते समय, एक मोटे तौर पर उसकी नीति की चर्चा करते समय, उसकी सफलताओं और असफलताओं का लेखा-जोखा करते समय, उसके काम को ध्यान में रखना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हो सकता है कि मेरा ख्याल कुछ एकतरफ़ा हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद इस मंत्रालय की नीति एक मोटे तौर पर काफी सही रही है। पहले जो हमारी नुक्ताचीनी करते थे, अब वे भी इस बात को मानने लगे हैं। हम ने जब फौजी गुटों से अलग रहने की नीति दुनिया के सामने रखनी शुरू की थी, तब शायद ही कोई दूसरा देश उस तरीके से सोचता था। आज २० से भी ज्यादा बड़े देश ऐसे हैं जो फौजी गुटों में शामिल होते हुए भी हमारे देश की फौजी गुटों से अलग रहने की नीति की अहमियत समझने लगे हैं।

मिसाल के लिये लाओस को देखिये। उस देश की समस्या यही है कि लाओस सरकार पर दो मुख्तलिफ फौजी गुट अपना-अपना दबाव डालते रहे हैं। नतीजा यह है कि उसकी समस्या ज्यादा पेचीदा हो गई है। और अब सिर्फ लाओस के नेता ही नहीं, दोनों फौजी गुटों के नेता भी यह मानने लगे हैं कि लाओस का भविष्य फौजी गुटों से अलग, तटस्थ रहने में ही सुरक्षित है। और इसीलिये अब उस समस्या के हल होने के कुछ आसार दिखने लगे हैं। इसीलिये मैं ने कहा है कि अब आम तौर पर सभी देश, फौजी गुटों की नीति पर चलने वाले देश भी, हमारी नीति को पसन्द करने लगे हैं, इसकी अहमियत समझने लगे हैं। हमारे देश के लिये तो वह खास तौर पर मौजूं है।

माननीय सदस्यों को इस मंत्रालय के बारे में पहले दो-तीन बातें समझ लेनी चाहियें। पहली तो यह कि संसार तेजी से बदल रहा है, और उससे इतिहास बनता जा रहा है, ऐसा इतिहास जो आज घटित हो रहा है और बाद में लिखा जायेगा। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का ताल्लुक उसी से है। नयी नयी ताकतें पैदा हो रही हैं, और उनकी वजह से नये नये मसले, नयी-नयी समस्यायें पैदा हो रही हैं। ऐसे हालात में कोई भी बिलकुल ठीक ठीक नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। कौन जानता था कि अफ्रीका की तस्वीर आज ऐसी होगी? कोई नहीं जानता कि एटमी हथियारों का विकास हमें किस दिशा में ले जायेगा--युद्ध की तरफ या शान्ति की। इसलिये पूरे यक़ीन के साथ कुछ कह सकना मुश्किल है।

हर देश का भविष्य उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी योग्यता के साथ साथ, शेष संसार की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिये हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम अपनी ताकत बढ़ायें, अपने देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत करें और लोगों के रहन-सहन की दशा और अच्छी बनायें, जिससे कि हम पूरे भरोसे के साथ अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। काफी हद तक इसका दारोमदार हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर है। लेकिन एक हद तक इस बात पर भी कि हम बाहरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुक किस तरह के बनाते हैं। दूसरे देशों के साथ बैरभाव होने से आगे बढ़ने में रुकावट आती है। और आज इस वक्त, हम कह सकते हैं कि संसार के अधिकतर देशों की मैत्री और सद्भावना हमारे साथ है और यह हमारा सौभाग्य है संसार के दो सबसे बड़े देश--अमरीका और सोवियत यूनियन की मैत्री और सद्भावना हमारे साथ है। खास तौर से तब, जबकि इन दोनों के ताल्लुकात कोई खास दोस्ताना नहीं रहे हैं। वे अपने अपने फौजी-गुटों के नेता हैं।

इसलिये उन दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। उन दोनों देशों के हर काम की ताईद किये बिना, उनके साथ मैत्री बनायें रखना एक बड़ी बात है। इसीलिये कि वे दोनों हमारी नीति की अहमियत महसूस करते हैं। वे हमारी नीति मानें या न मानें, लेकिन उस पर पूरी तरह गौर जरूर करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात सिर्फ दो देशों---चीन और पाकिस्तान---पर पूरी-पूरी लागू नहीं होती । बाकी सभी देशों पर लागू होती है । लेकिन पाकिस्तान की जनता के साथ भी हमारी उतनी कटुता नहीं रही । उसमें काफी कमी हो गई है । हां, सरकारी स्तर पर कुछ समस्याओं को लेकर जब-तब टकराव पैदा हो जाता है ।

चीन और हमारे देश के बीच खाई चौड़ी हो गई है । हम सभी को चीन का रवैया बहुत बुरा लगा है । इस पर भी हमारी कोशिश यही रही है कि कोई ऐसा कदम न उठाया जाय जिससे कि बात हाथ से निकल जाय । हमें मौजूदा हालात के साथ आगे आने वाले वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है और भारत और चीन जैसे इतने बड़े बड़े दो पड़ौसी देशों के आपसी ताल्लुकात तो इन दोनों ही नहीं समूचे संसार के लिये बड़ी अहमियत रखते हैं ।

इसलिये हमने अपनी बेहद नाराजगी को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया है । हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि और ज्यादा पेचीदगी पैदा हो जाय । हमारा नजरिया यही रहा है कि यदि कोई मुसीबत आ ही जाय, तो हम उसका सामना करने के लिये अपने को तैयार करते चलें ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि हमने ज्यादा कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की । उनको मेरा यही जवाब है कि कड़ी कार्यवाही तभी की जाती है जब और कोई चारा न रहे । कड़ी कार्यवाही की बात भी तभी की जानी चाहिये जब वह की जा सकती हो । समझदारी इसी में है ।

इस के बारे में हमने दूसरी तरह की कार्यवाही की है । और जो भी किया है वह इसी नजरिये से कि संसार के सामने हमारी बात की, हमारे रुख की पुख्तगी साबित हो---संसार के सभी लोग समझ लें कि हमारी बात सही है । इसी नजरिये से यह मामला उन अधिकारियों को सौंपा गया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है । उस रिपोर्ट को सदस्यों में बांटा जा चुका है । हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं होने दी है । जिससे हमारी स्थिति कमजोर हो जाय । स्थिति को ज्यों की त्यों बनाये रखना, एक जगह जम कर खड़े होना, खुद एक मजबूती की बात है । बिना ताकत और मजबूती के एक जगह जम कर खड़ा नहीं रहा जा सकता । और एक जगह अपना पैर जमा देने का और उसे जमाये रखने का भी असर होता है, नतीजा निकलता है । कमजोर आदमी तो जमकर खड़ा नहीं रह सकता । यह सोचना गलत है कि सिर्फ जंग के जरिये ही समस्याएं हल की जा सकती हैं । और यह भी बिल्कुल नामुमकिन नहीं कि शायद किसी दिन चीन सरकार भी हमारी बात को सही समझने लगे । इसीलिये हमारी सारी कोशिश यही रही है कि चीन सरकार महसूस कर ले कि उसने ग़लती की है और उसे अपनी फौजें हटा लेनी चाहियें ।

हमारे अधिकारियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा और उनकी मेहनत और लगन की दाद दी होगी, खास तौर से रिपोर्ट के उस भाग की जिसमें पूरा इतिहास पेश किया गया है ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : दाद तो बहुत पहले भी दी जा सकती थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभी लोग माननीय सदस्य जितने काबिल नहीं हैं । इतिहास के जानकार लोगों ने भी उस रिपोर्ट के लिये उन अधिकारियों की तारीफ की है । उन्होंने रिपोर्ट में इतिहास को पेश करने के तरीके की तारीफ की है । और इस बात की भी कि उसमें इतना ज्यादा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वक्त नहीं लगा मैं इस पर कोई बहस खड़ी नहीं करना चाहता। इस काम के लिये बहुत अनुसन्धान अपेक्षित था। निस्सन्देह इसे पहले होना चाहिये था पर हमने जो कुछ किया है वह भी वर्षों के परिश्रम के बाद ही किया है। अतः पहले भी काम होता रहा है पर रफ्तार बाद ही में तेज हुई है। किन्तु जब से हमारा ऐतिहासिक विभाग बना है तभी से टिप्पण तैयार किये जा रहे थे और बहुत कुछ काम किया गया था। किन्तु इस घटना के बाद तेजी से काम शुरू किया गया।

मैं सभा से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर बड़ी व्यापक दृष्टि से ध्यान दिया जाय क्योंकि यह संसार सदा युद्ध के निकट आ रहा है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अतः इसी संदर्भ में इन चीजों पर विचार करना चाहिये---पाकिस्तान की समस्या यद्यपि कुछ हद तक भिन्न प्रकार की है तथापि बनी तो रही है। इसी प्रकार हमारा कांगो, लाओस आदि में दखल भी नयी चीज नहीं--सब पुरानी बातें हैं। इस दुनिया में हर समय नयी बातें पैदा होती हैं।

बड़ी ताकतें, अमेरिका और रूस भी सदा यही सोचा करते हैं कि वह एक मामले में क्या कार्यवाही करें। बड़ी से बड़ी ताकत भी आज अपनी बात नहीं मनवा सकती उन्हें भी हालात के अनुसार चलना पड़ता है। और यदि किसी दिन हमारी यह स्थिति हो कि हमारे देश की बात सभी मानें या हमारा आदेश चले तो यह संसार के लिये दुर्दिन होगा।

अब कुछ लोग यह महसूस करने लगे हैं कि हम अपनी नीति को बदलने लगे हैं। यदि वे सूक्ष्म दृष्टि से सारी स्थिति का अवलोकन करें तो पता चलेगा कि परिवर्तन केवल हमारी नीति में ही नहीं---थोड़ा थोड़ा हर देश में हो रहा है। किन्तु हमारी बुनियादी नीति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हैं। अन्य देशों की नीतियों में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो हमें उनके निकट ले आए हैं।

आप अमेरिका की नीति ही को देखें। नये प्रशासन के बाद से वहां की नीतियों में काफी परिवर्तन हुआ है और उसके कारण हम और भी निकट हो गये हैं।

यदि भलाई होती हो तो नीति बदलने में खराबी नहीं। किन्तु अन्य देश हमारी नीति को ठीक समझने लगे हैं।

इस समय इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता कि वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में हम इस बदलती दुनिया की गतिशीलता का अनुसरण ठीक तरह से कर रहे हैं। भविष्य का दिग्दर्शन कराने के लिये हमें भूत से अधिक सहायता नहीं मिलती। मन्त्रालय के जिम्मे कितने ही नये काम हैं। अनेक काम ऐसे हैं जिनका वैसे उससे कोई सम्बन्ध नहीं पर हम उनका काम भी करते रहेंगे। मेरा अनुमान है कि यह सभा इन्हीं व्यापक नीतियों का समर्थन करेगी जिनसे हमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई है।

सब बातें हमारी इच्छानुसार नहीं हो सकतीं और इसी कारण खेद करने से भी कुछ नहीं बन सकता। यह बात किसी उन्नत राष्ट्र को शोभा नहीं देती। यह अपरिपक्वता की बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम गलतियां नहीं करते। पर हमें खुशी होगी जो हमारी गलतियां हमें बताई जायेंगी।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इन मांगों का समर्थन किया जाय।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकास्सीवें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सभा में २९ मार्च, १९६१ को उपस्थापित किया गया था।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकास्सीवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो सभा में २९ मार्च, १९६१ को उपस्थापित किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिए देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री प्रकाशवीर शास्त्री के संकल्प पर चर्चा करेगी।

†**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक): इसके लिये समय बढ़ाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभी की यह राय है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये एक घंटा ज्यादा बैठा जाये। अब श्री सम्पत अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री सम्पत (नामक्कल) तमिल भाषा में बोलने लगे।**

†**अध्यक्ष महोदय** : कल माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोले थे, आज भी उसी भाषा में बोलें। प्रादेशिक भाषणों में भाषण देने से पूर्व उन्हें भाषण का सारांश अंग्रेजी या हिन्दी में भेजना चाहिए। यदि वह सारांश बाद में देना चाहें तो वह तमिल में भी बोल सकते हैं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है..........

* * *

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं। संसद का सदस्य बनने के लिये यह जरूरी नहीं कि हिन्दी या अंग्रेजी ही आनी चाहिये। यदि कोई सदस्य प्रादेशिक भाषा में बोले तो उसका सारांश उसे हिन्दी या अंग्रेजी में देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी एक भाषा में ठीक तरह बोल न सके तो वह उस भाषा में बोल सकता है जिसमें वह अपने को व्यक्त कर सकता है। यदि मैंने किसी सदस्य को अंग्रेजी या हिन्दी में ठीक बोलते सुना है तो उसे मैं आसानी से ऐसी अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री खाडिल कर** * * *

---

†मूल अंग्रेजी में

*** अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द निकाल दिये गये।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : यह तमिल भाषा का अपमान है अतः इन शब्दों को निकाल देना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। हर भाषा बराबर है। क्या माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस लेते हैं ।

†**श्री खाडिलकर** : जी हां ।

†**श्री सम्पत** : श्रीमान्, मैं तमिल में इस कारण बोल रहा हूं क्योंकि यहां के लोग खुद हिन्दी में बोलते हैं और अहिन्दी भाषियों की उन्हें परवाह नहीं रहती। अभी भी वे बड़े उत्तेजित हो गये थे।

१९३८ में तमिलनाड के स्वतन्त्र राज्य की मांग की गयी थी। तब से लेकर अब तक उन लोगों की आशंकाओं को दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। हिन्दीवादी और भी खराबी करते जा रहे हैं। किन्तु हिन्दी वालों के प्रभुत्व की कोशिश असफल होकर रहेगी। जैसे जैसे उत्तर के हिन्दी वालों की उग्रता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दक्षिण भारत में इसका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। यदि माननीय प्रस्तावक को तमिल भाषा के शानदार अतीत का ज्ञान होता तो वह कदापि ऐसा संकल्प न रखते ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। चूंकि मैं इस प्रस्ताव का मूल प्रस्तावक हूं इसलिये अन्त में मुझे जवाब देना होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसका अनुवाद कर दिया जाय क्योंकि उन्होंने मेरा नाम भी लिया है। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसे समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्य से कहा है कि वे जल्दी से जल्दी अपने भाषण की समरी भेज दें। उसे मैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री को पास कर दूंगा। उसे देख कर वह जवाब दे सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : श्रीमान् * * *

†**अध्यक्ष महोदय** : इन शब्दों को त्यागी जी को वापिस लेना चाहिये और क्षमा याचना करनी चाहिए ।

†**श्री त्यागी** : मैं क्षमा चाहता हूं ।

†**श्री आचार** : हिन्दी के बारे में हमें भी वैसी ही कठिनाई होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हिन्दी राज्यभाषा है । परन्तु हम हिन्दी के अनुवाद को भी साथ साथ देने की व्यवस्था करने वाले हैं। ईश्वर ने चाहा अगली लोक-सभा से ऐसा हो जायगा।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : माननीय प्रस्तावक ने इस संकल्प को इस उद्देश्य से रखा है कि इससे देश में एकता पैदा होगी। परन्तु मुझे खतरा है कि इसका असर उलटा होगा। विरोधी दलों को आंदोलन करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही ; इस कारण इसी बात को लेकर विरोध शुरू हो जायगा। इस लिए हमें इस दृष्टिकोण से इसका प्रभाव देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि हिन्दी की चीजें अन्य भाषाओं की लिपियों में छपें तो हिन्दी का प्रचार ज्यादा हो और उससे फायदा हो। इस प्रकार नागरी लिपि ही को सब भाषाओं की लिपि बनाना तो ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्ष के आदेशानुसार ये शब्द निकाल दिये गये ।

तमिल भाषा की अपनी लिपि बड़ी सूक्ष्म है। उसकी परम्परा है। ऐसी परम्परा को नष्ट करने का फायदा क्या है। भाषा के मामले में हमें तनिक ध्यान से काम लेना चाहिए। लोगों को भड़काना आसान है पर सही ढंग पर कार्यवाही करना आसान नहीं है।

इसी प्रकार की कोशिशों का एक फल यह हुआ है कि तमिल भाषी लोग अपनी भाषा से संस्कृत के शब्दों को भी चुन चुन कर निकालते जा रहे हैं। यह इसी बात का फल है कि इधर जो कुछ हो रहा है उधर उसका विरोध चल रहा है।

इसलिए हमें ज्यादा विरोध पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस संकल्प को स्वीकार न किया जाय।

†श्री अ० चं० गुह (बसिरहाट): यद्यपि संकल्प का उद्देश्य सराहनीय है तथापि विभिन्न राज्यों की जनता की प्रवृत्ति को देखते हुए इस समय यह संकल्प उचित प्रतीत नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि यदि एक ही लिपि अपनाना उचित हो तो ऐसी लिपि अपनायी जाय जो वैज्ञानिक दृष्टि से उचित हो। नागरी लिपि इतनी ज्यादा वैज्ञानिक नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय: नागरी लिपि अच्छी है या बुरी यह प्रश्न नहीं है।

†श्री अ० चं० गुह: यह ठीक है कि नागरी लिपि संविधान ने स्वीकार की है परन्तु संविधान में भी अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। देवनागरी भी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का संशोधित रूप है।

लिपि के प्रश्न पर विचार करते समय हमें विदेशों की स्थिति को भी समझना चाहिए। जर्मन भाषा पहले गॉथिक लिपि में लिखी जाती थी किन्तु अब रोमन लिपि उन्होंने स्वीकार कर ली है। खैर हमें लिपि के सम्बन्ध में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा था कि नागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है। मैं समझता हूं कि उनका आशय भारतीय उच्चारण से था। लिपि का उससे कोई संबंध नहीं है। इस लिए एक वैज्ञानिक लिपि के विकास की खातिर हमें मिलकर प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक बंगाली लिपि का सम्बन्ध है वह पूर्वी बंगाल में भी इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए वास्तव में लिपि का सवाल उठाने का यह अवसर नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय प्रस्तावक संकल्प को वापिस ले लें। आगे चलकर जब कभी देश को इस चीज़ का महत्व ज्ञात होगा तो स्वाभाविक रूप से ही एक लिपि का विकास हो जायगा।

श्री सिंहासन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए माननीय सदस्य, श्री सम्पत, अपनी भाषा में बोले और इस पर हाउस में कुछ आवाज़ें उठीं। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है—और आप ने भी सही राय दी है—कि जो माननीय सदस्य यहां पर अपनी भाषा में बोलना चाहें, उन को ऐसा करने का मौका मिलना चाहिए। जब हम में से कुछ माननीय सदस्य हिन्दी में बोलते हैं, तो दक्षिण के भाई हिन्दी अच्छी तरह न जानने पर भी उस को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार यदि यहां पर दक्षिणी भाषाओं में भाषण सुनने का हम लोगों को मौका मिलेगा, तो हम उस को समझने का प्रयत्न करेंगे और फिर उन को सीखने और पढ़ने की रुचि भी पैदा होगी। सदन में यह दूसरा या तीसरा अवसर है कि माननीय सदस्यों ने दक्षिणी भाषाओं में अपने विचार प्रकट किये हैं। अगर माननीय सदस्य की भाषा को देवनागरी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

स्क्रिप्ट में लिख दिया जाता, तो यह तो ठीक है कि हम उस को समझ न पाते, लेकिन उस को पढ़ अवश्य लेते। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक दफ़ा वर्धा में गया था। वहां पर जर्मनी का एक लीडर आया हुआ था, जो अंधा हो गया था और पढ़ नहीं सकता था। उस को रोमन स्क्रिप्ट में कुछ पढ़ने को दिया गया, जिस की भाषा तो जर्मन थी, लेकिन लिखा हुआ रोमन स्क्रिप्ट में था। मैं ने उस को कहा कि मैं आप की हैल्प कर सकता हूं। मेरे शब्दों का उच्चरण ठीक न रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ पाया और इस तरह उस की मदद कर सका एक कामन स्क्रिप्ट होने के कारण।

मैं अधिक न कह कर शास्त्री जी से यह कहूंगा कि अभी इस प्रस्ताव को लाने का समय नहीं था। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिन्दी को राष्ट्र की भाषा माना जा चुका है। हिन्दी का प्रचार हो रहा है। पंद्रह बरसों में हिन्दी राज-भाषा होने वाली थी, लेकिन वह अवधि अब आगे बढ़ गई है फिर भी हिन्दी का प्रचार धीरे धीरे हो रहा है। मैं अपने दक्षिण और उत्तर के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आज अंग्रेज़ी में दक्षिण वाले हम को हराते हैं, लेकिन एक दिन आयगा कि हिन्दी में भी वे हम को हरायेंगे। दक्षिण के भाई साहित्यिक हिन्दी पढ़ते हैं, जब कि उत्तर भारत के हिन्दी भाषी लोग हिन्दी नहीं पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि यह तो हमारी मातृ-भाषा है, इसको क्या पढ़ना है? इस का परिणाम यह होगा कि लेखन में दस वर्ष बाद हम उन की समता नहीं कर सकेंगे।

श्री थानू पिल्ले ने जो कहा है, मैं उस को मानता हूं। इस में हम को घबराना नहीं है। हिन्दी यथासमय स्वतः ही सारे देश की भाषा बन जायगी। मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हिन्दी के बारे में सक्रिय काम करें और प्रचार के सम्बन्ध में घबरायें नहीं, वह धीरे धीरे बढ़ेगा।

पंजाब का हिन्दी आंदोलन हिन्दी के लिये खतरनाक सिद्ध हुआ। दक्षिण में हिन्दी के प्रति विरोध न होता, अगर पंजाब में हिन्दी आन्दोलन शुरू न होता। पंजाब में हिन्दी और गुरुमुखी का झगड़ा हो रहा है, लेकिन वहां के लोग न हिन्दी का प्रयोग करते हैं और न गुरुमुखी का, बल्कि वहां के दोनों वर्ग उर्दू का प्रयोग करते हैं और झगड़ा करते हैं हिन्दी और गुरुमुखी के बारे में। आवश्यकता इस बात की है कि वे हिन्दी और गुरुमुखी दोनों पढ़ें।

भारत की जितनी भाषायें हैं, उन के अक्षर और उच्चारण लगभग एक ही हैं। तामिल डिफ़रेंट हो सकती है। अ, आ, इ, ई और क, ख, ग, घ एक ही हैं। जब दक्षिण वाले हिन्दी पढ़ने लगेंगे और कुल कारोबार हिन्दी में करने लगेंगे, तो गवर्नमेंट को इस विषय में कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हिन्दी स्वतः ही सारे देश की भाषा हो जायगी। हम ने अंग्रेज़ी को प्रेम से नहीं अपनाया उस को इसलिये अपनाया कि अंग्रेज़ों ने उस को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया था। वैसे ही हिन्दी भी धीरे धीरे स्थान लेती जायगी। शास्त्री जी ने जो सुझाव रखा है, उस में जल्दी नहीं करनी चाहिए। उस से दक्षिण में विरोध का भाव उत्पन्न होता है और वह हिन्दी के प्रचार में घातक होगा। हिन्दी का प्रचार करने वाले, हिन्दी के हितैषी, हम लोग, उन के ही अन्दर इतनी जोर के साथ भावना उठने दें कि वे स्वयम् हिन्दी को अपनायें। "धर्मयुग" में मैंने एक लेख पढ़ा। एक दक्षिण के भाई थे वे हिन्दी के बड़े विरोधी थे। उनके यहां उत्तर प्रदेश के एक भाई मिलने वाले गये। उस समय दक्षिण के भाई घर से बाहर थे। उन के घर में एक हिन्दी का शिक्षक लड़के को हिन्दी पढ़ा रहा था। जब वे लौट कर आये तो उस भाई ने पूछा

कि आप तो हिन्दी के इतने विरोधी हैं और उस के विरुद्ध प्रचार करते हैं, परन्तु घर पर आप ने लड़के को पढ़ाने के लिये हिन्दी का शिक्षक रक्खा है। उस मद्रासी भाई ने जवाब दिया कि मैं हिन्दी का विरोधी हूं, चूंकि नेता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हिन्दी का भविष्य भारत में उज्जवल है इसलिये पिता होने के नाते पुत्र को हिन्दी पढ़ाता हूं। तो अच्छे पिता होने के नाते पुत्र को हिन्दी पढ़ता हूं और लीडर होने के नाते हिन्दी का विरोधी हूं। आज ऐसी धारणा हो रही है। इसलिये मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी लीडरी को कुछ कम करें दूसरी तरफ लीडरी न पैदा होने दें हिन्दी के विरोध में, ताकि हिन्दी आप से आप प्रचलित हो सके और देवनागरी लिपि हो जाने में हमें कोई दिक्कत न हो सके।

†श्री खाडिलकर : मेरा विचार है कि हमें देश में एक सामान्य लिपि बनानी चाहिये। हमारे देश में देवनागरी लिपि ही एक एसी लिपि है, जो कि बोलने तथा लिखने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। जर्मन शिक्षाविदों की भी यही राय है। उनकी यह राय शताब्दियों के अध्ययन के बाद बनी है। मेरी एक शिकायत है कि न तो सरकार ने ही और न हिन्दी विद्वानों ने ही इस लिपि के लिये कोई रचनात्मक कार्य किया है। अतः मेरा निवेदन है कि देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिये रचनात्मक कदम उठाये जाने चाहिये। एक उपाय यह भी हो सकता है कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों को इस लिपि में प्रकाशित किया जाय। स्टेशनों के नाम भी हिन्दी में लिखे जाने चाहिये। मेरा विचार है इस सकल्प का उद्देश्य यह है कि देश की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिये एक सामान्य लिपि तैयार की जानी चाहिये। हमारे देश में आज जो भाषा सम्बन्धी रुकावटें हैं उनको देवनागरी लिपि अपनाकर दूर किया जाना चाहिये। हमें मानना होगा कि देश की एकता के लिये एक सामान्य लिपि का होना परम आवश्यक है, अतः इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये जाने चाहिये। देवनागरी लिपि इस प्रयोजन के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है, यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में इस सदन में एक गलतफहमी पैदा हो गयी है। कुछ दक्षिण के भाइयों को ऐसा लगा है कि देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उसका सम्बन्ध हिन्दी भाषा से विशेष रूप से है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शास्त्री जी का प्रस्ताव तो केवल इतना है कि देश में एक समान वातावरण पैदा करने के लिये और एकता पैदा करने के लिये देश के सभी भाषाओं की एक सामान्य लिपि हो और वह लिपि नागरी हो। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अन्य लिपियां समाप्त कर दी जायें। उनका विचार यह है और मैं उनसे इसमें पूरी तरह सहमत हू कि नागरी लिपि के समूचे देश के लिए एक सामान्य लिपि होने से देश की एकता मजबूत होगी।

जहां तक देवनागरी लिपि का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि न केवल इस देश के समस्त भाषाकारों ने बल्कि विश्व जितने भी भाषाकार हैं और जो भाषा के विशषज्ञ हैं उन्होंने आज से बहुत वर्ष के पहले इस बात को सिद्ध कर दिया है कि देवनागरी लिपि अन्य सब लिपियों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है और अधिक सरल है। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब से यह देश आजाद हुआ तब से जैसा कि हमारे श्री सिंहासन सिंह ने कहा था और ठीक ही कहा था कि भाषा और लिपि का प्रश्न जटिल नहीं है लेकिन अपने राजनैतिक स्वार्थों और विशेष स्वार्थों के कारण उसको जटिल बना दिया गया है। जब कभी सदन में इस प्रकार की कोई चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदीश अवस्थी]

होती है तो फिर यह उत्तर भारत और दक्षिणभारत का सवाल इसमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि लिपि का मामला ऐसा होता है, देवनागरी लिपि का जहां तक सम्बन्ध है उसमें कभी किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा झगड़ा यदि कोई है तो वह हिन्दी और देवनागरी लिपि या दूसरी प्रान्तीय भाषाओं और लिपियों का नहीं है बल्कि वास्तविक झगड़ा तो इस देश के अन्दर विदेशी भाषा अंग्रेजी और रोमन लिपि से है। श्री सिंहासन सिंह ने ठीक ही कहा है कि इस देश के अन्दर भाषा का प्रश्न इसलिए मौजूद है क्योंकि नेता लोग उसको बनाय रखना चाहते हैं। इस देश के अन्दर सब से बड़ी भाषा के झगड़ की जिम्मेदार यह सरकार है जो कि आज तक अंग्रेजी और रोमन लिपि को अपने गले में आभूषण बना कर पहने हुए हैं और जब तक यह सरकार अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि रूपी आभूषण अपने गले से उतार कर नहीं फकेंगी तब तक इस देश के अन्दर हिन्दी भाषा या अन्य देशी भाषाएं और देवनागरी लिपि तथा अन्य लिपियां उन्नतिशील नहीं हो सकतीं। वास्तविकता तो यह है कि देवनागरी लिपि का संस्कृत, बंगला, मराठी और दक्षिण की कुछ भाषाओं से बहुत ही सम्बन्ध है। अगर यह देवनागरी लिपि को सब के लिये एक सामान्य माध्यम लिपि स्वीकार कर लिया जाय तो इसका सब से बड़ा लाभ यह होगा कि आज दक्षिण भारत की वह भाषायें जिनको कि उत्तर भारत के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझने लग जायेंगे। अगर नागरी लिपि में उनका प्रकाशन प्रारम्भ हो जाय, उनका साहित्य प्रकाशन प्रारम्भ हो जाय तो आज उत्तर भारत में दक्षिण भाषियो के प्रति जो थोड़ी सी गलतफहमी है वह दूर हो जायगी। इसी के साथ साथ हिन्दी के सम्बन्ध में और दूसरी बातों के सम्बन्ध में जो दक्षिण में गलतफहमी है वह भी दूर हो जायगी। मैं समझता हूं कि इस देवनागरी को समान रूप से एक सामान्य लिपि स्वीकार करने में देश की एकता तो बढ़ेगी ही परन्तु सब से बड़ी बात यह है कि आज भाषाओं में जो थोड़ा सा विरोध पैदा रहो गया है, एक कृत्रिम विरोध उनमें परस्पर बढ़ता जा रहा है वह भी नष्ट हो जायेगा। मैं समझता हू कि शास्त्री जी का प्रस्ताव सर्वथा दोषरहित है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

अब देवनागरी लिपि में इतनी विशेषता है कि मैं निवेदन करू कि राज्य सभा के सदस्य श्री सत्याचरण शास्त्री पानी के जहाज से जर्मनी जा रहे थे। वह जर्मन भाषा नहीं जानते थे। उसी जहाज में उनके साथ एक जर्मन मित्र बैठे हुए थे। उन्होंने शास्त्री जी से पूछा कि आपकी नागरी लिपि की क्या विशेषता है तो शास्त्री जी ने उन्हें बतलाया कि इसकी विशषता यह है कि हालांकि मैं जर्मन भाषा बिलकुल नहीं जानता हूं लेकिन आप जर्मनी में बोलिये और मैं उसको अपनी नागरी लिपि में लिख लूंगा। वह जर्मन मित्र जर्मन भाषा में बोले और शास्त्री जी नागरी लिपि में उसको लिखते गये और बाद में शास्त्री जी ने उसे पढ़ कर सुना दिया और जर्मन मित्र को एसा मालूम पड़ा कि मानो शास्त्री जी जर्मन भाषा जानते हों। इसलिये मैं समझता हू कि हिन्दी और नागरी लिपि को लेकर कुछ हमारे दक्षिण के भाइयों में जो गलतफहमी फल रही है वह दूर होनी चाहिये और नागरी लिपि को सब देशी भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि स्वीकार करने में देर न की जाय।

श्री शंकर देव (गुलबगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री प्रकाशवीर शास्त्री की इसके पीछ जो स्प्रिट है उसका मैं बहुत आदर करता हूं। मेरी भाषा कर्नाटकी है और हिन्दी के प्रति मेरे मन में जितना प्रेम और आदर है उससे अधिक अपनी मातृभाषा के प्रति मेरे दिल में प्रेम है। लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसको कि प्रत्येक भारतीय को स्वीकार करना चाहिये और अपनाना चाहिये।

हिन्दी भाषा और जो उसकी नागरी लिपि है वह तमाम संस्कृत है, संस्कृत ही उसका मूल स्रोत है। अब संस्कृत का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस देश के अन्दर शायद ही कोई एसा व्यक्ति मिलेगा जो कि संस्कृत को अपनी भाषा मानने से इन्कार करेगा और उसे आदर की दृष्टि से न देखता हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देवनागरी लिपि संस्कृत लिपि ही है और हर एक भाषाभाषी को चाहिए कि वह उसे सहर्ष स्वीकार करे।

नागरी को एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार करने से बहुत सुविधायें होने वाली हैं। आपके टाइपराइटर्स में, छपाई में इन सब में बड़ी सुविधा हो जायगी। यह सब सुविधायें तो हो जायेंगी लेकिन एक चीज जो इसके अन्दर यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि को अगर हम सामान्य लिपि स्वीकार करते हैं तो हम एक दूसरे से अधिक निकट आयेंगे लेकिन ज्योंही यह प्रस्ताव यहां पर रक्खा गया हमने इस हाउस के अन्दर ऐसा रिएक्शन देखा, ऐसी प्रतिक्रिया देखी कि सब लोग हिन्दी और देवनागरी के विरोध में बोलने लगे और हमने देखा कि एक माननीय सदस्य जो हमेशा आज के पहले इस सदन में अंग्रेजी में बोला करते थे उन्होंने अपनी मातृभाषा में बोलने का राइट एसैंट किया और उसको हमें मंजूर करना पड़ा। इस प्रस्ताव को अगर आप स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा और मुमकिन है कि देवनागरी लिपि का सब भाषाओं के लिए सामान्य माध्यम तो स्वीकार होना दूर रहा हिन्दी भाषा का भी नेशनल लैंग्वेज बनना मुश्किल हो जायगा। इस-लिए मैं इसके अन्दर एक प्रैक्टिकल प्रपोजीशन देना चाहता हूं और वह यह है कि शास्त्री जी अपने उत्तर के अन्दर यह चीज कर दें और अपने प्रस्ताव में यह तबदीली कर दें कि देवनागरी लिपि को सारी भाषाओं की एक सामान्य लिपि न बना कर यह कर दें कि उत्तर भारत के निवासियों को जिनकी कि हिन्दी भाषा अग्र भाषा है उनके वास्ते दक्षिणी भाषाओं में से कोई एक भाषा पढ़ना कम्पलसरी कर दिया जाय। शास्त्री जी अगर इस तरह का प्रस्ताव लायें तो वे समस्त लोगों और प्रान्तों को निकट लाने में समर्थ हो सकेंगे। उनको एकता लाने के लिए इस तरह का रेजोल्यूशन लाना चाहिए था। आज तक जितने भी लोगों ने राष्ट्रपति से लगा कर प्राइम मिनिस्टर और जितने भी लोगों ने इसके बारे में कहा है वह उन्होने केवल अपील ही की है कि उत्तर भारत के निवासियों को दक्षिण भारत की कोई न कोई भाषा सीखनी चाहिए। अब अपील से कुछ नहीं बनता है। यह उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वे चाहें तो कोई दक्षिणी भाषा सीखें अथवा न सीखें। मेरा कहना यह है कि यह चीज कम्पलसरी कर दी जाय और शास्त्री जी अगर देश में एकता चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। उत्तर भारत के निवासियों को दक्षिण भारत की भाषाओं को प्रेमपूवक सीखना चाहिए।

शास्त्री जी के रेजोल्यूशन में जो संकेत है वैसा कदम उठाने के लिए अभी उचित समय नहीं है। अभी ऐसा करने से देश का वातावरण बिगड़ जायगा। अभी हाल में मद्रास और केरल के अन्दर चुनाव होने वाले हैं और इसलिये आपको इसके बारे में सावधानी से काम लेना होगा अन्यथा दक्षिण भारत के लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस रेज़ोल्यूशन का रीएक्शन यह होगा कि अब जब कि हिन्दी के बारे में पन्द्रह वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया गया है, हिन्दी के लोग लिपि के नाम से इनडायरेक्टली हम पर हिन्दी लादना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जहां तक शास्त्री जी के प्रस्ताव का संबंध है,मैं उसकी स्पिरिट का आदर करता हूं। यह स्पिरिट उनकी ही नहीं, सारे देश की स्पिरिट है। संस्कृत की भाषा, लिपि, कल्चर और साहित्य का दक्षिण का हर एक व्यक्ति आदर करता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इसके बजाय यह

[श्री शंकर देव]

रेजोल्यूशन लाया जाता कि हिन्दी भाषा बोलने वालों को दक्षिण भाषाओं में से किसी न किसी एक भाषा को सीखना चाहिए और उसको कम्पलसरी कर देना चाहिए, तो अच्छा होता। ऐसे रेजोल्यूशन से हमारा देश एक होता और बहुत सुन्दर साइकालोजिकल प्रभाव पड़ता।

अन्त में मैं उनसे अपील करता हूं कि वह एक रेजोल्यूशन को जल्दी से जल्दी विदड्रा कर लें, क्योंकि इसका रीएक्शन ज्यादा होता जा रहा है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : हमें इस प्रश्न पर यथासम्भव निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिये ताकि हम यह जान सकें कि देश के हित को सर्वाधिक किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

जहां तक कि देश में एक सामान्य लिपि बनाने की बात है सभी इस बात से सहमत हैं कि भारत की संस्कृति एक है। जहां तक कि लिपि की बात है राजभाषा आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और उसकी यह राय थी कि प्रादेशिक भाषाओं में लिखने के लिये देवनागरी लिपि के एक वैकल्पिक लिगि के रूप में प्रयोग के हेतु उचित समय पर श्री गणेश किया जाये और देवनागरी को अप्रत्यक्ष रूप से भी राष्ट्र पर थोपने का कोई प्रयत्न न किया जाये। इस आयोग ने लिपि के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठ भूगि का अध्ययन करते हुए बताया था कि एक समय था जब कि हमारे यहां एक ही लिपि थी और उसका नाम था ब्राह्मी लिपि। और इस लिपि का प्रयोग उत्तर और दक्षिण में समान रूप से होता था। जो बाद में चल कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये विभिन्न रुपों में बदल गई।

हमारे देश में संस्कृत तथा हिन्दी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसके अलावा मराठी, बंगाली तथा गुजराती आदि भी लगभग थोड़े से परिवर्तन के साथ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अतः हमारा पहिला प्रयत्न होना चाहिये कि उत्तर तथा दक्षिण की उन सभी भाषाओं को जो संस्कृत तथा हिन्दी से मिलती जुलती हैं मिलाना चाहिये तथा उनके लिये एक ऐसी लिपि तैयार की जाय जिनसे उन सबका काम चल सके। सन् १९०४ से लेकर उतर तथा दक्षिण के भाषायी नेताओं ने **एक लिपि प्रचार** प्रारम्भ किया है अर्थात् एक लिपि बनाने के लिये प्रचार शुरू किया है। इस सिलसिले में दो व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं। एक बंगाली सज्जन थे। जिनका नाम शरद्चन्द्र मित्र हैं और दूसरे हैं कृष्णास्वामी अय्यर। श्री कृष्णास्वामी अय्यर ने काफी खोज के बाद बताया कि सन् १९१० में हमारे देश में २० लिपियां थीं और १४७ भाषाएं बोली जाती थीं। हो सकता है कि अब इनकी संख्या में वृद्धि हो गई हो क्योंकि बोलियों की संख्या बढ़ गई है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां एक सामान्य लिपि हो।

महात्मा गांधी भी हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के पक्ष में थे लेकिन साथ ही उन्होंने भी यह कहा था कि यदि आवश्यकता पड़े तो अन्य दूसरी लिपियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक लेख में उन्होंने कहा है कि देवनागरी एक सामान्य लिपि है और इसे आवश्यक लिपि समझा जाना चाहिये। श्री जवाहरलाल नेहरू का भी ऐसा ही मत है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या देवनागरी लिपि को राष्ट्र की लिपि बनाया जाये। इन सम्बन्ध में उनकी राय थी इसकी शुरूआत यथासमय उचित समय पर की जाये। लिपि उसी प्रकार है जिस प्रकार आत्मा के लिये शरीर। अतः आप लिपि को जनता की भावना जगाये बिना अपने आप नहीं बदल सकते। यह काम धीरे धीरे ही हो सकता है।

यदि इस लिपि को अप्रत्यक्ष रूप से थोपा भी गया तो इस कुछ भ्रान्ति ही उत्पन्न होगी। मैं जानता हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य तो यह नहीं है लेकिन कुछ भाषणों से ऐसा प्रकट होता है कि इस संल्कल्प का उद्देश्य यह है कि अन्ततोगत्वा सभी प्रादेशिक भाषायें समाप्त हो जायें और केवल एक लिपि देवनागरी ही रहे। इसलिये भाषा आयोग ने कहा है कि इस बारे में हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा।

लिपि के बारे में एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इसके पीछे एक भावना होती है। अतः हमें इस बारे में भी बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक समय आयेगा जब कि लिपि के बारे में गैर हिन्दी वालों की ओर से ही एक ऐसी बात उठेगी जिसके बारे में कोई भ्रान्ति न होगी जिसके बारे में कोई विरोध न होगा और हमारे देश में एक सामान्य लिपि बन जायेगी।

पंजाब में गुरुमुखी भाषा है जो बड़ी पवित्र मानी जाती है। दक्षिण में तामिल भाषा है जो संस्कृत भाषा की भगिनी समझी जाती है। संस्कृत ने तामिल से बहुत कुछ लिया और तामिल ने संस्कृत से। उदाहरण के लिये द्रविड़ शब्द ही लीजिए यह शब्द संस्कृत में तामिल से आया है। दक्षिण की अन्य भाषाओं ने भी संस्कृत के भांडार को भरा है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि देवनागरी लिपि के बारे में पंजाब तथा दक्षिण का गहरा विरोध है हमें सावधानी से काम लेना होगा।

संस्कृत आयोग ने भी कहा था कि लिपि के सम्बन्ध में, यहां तक कि संस्कृत भाषा के लिये काम में लाई जाने वाली लिपि के बारे में भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिये। वेद तथा अन्य ग्रन्थ दक्षिण भारत की लिपि में लिखे गये हैं। इसीलिये संस्कृत आयोग ने काफी सोच विचार के बाद अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस विषय में सावधानी के साथ काम करने की नीति पर जोर दिया है। हमारे देश का ढांचा लोकतन्त्रीय है अतः हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे कि सन्देह की गुंजाइश रहे अथवा लिपि को थोपने की बात उठे।

माननीय प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि उनके संकल्प का उद्देश्य बिल्कुल भी यह नहीं है कि अन्य प्रादेशिक भाषायें समाप्त हो जायें। वे भी चलती रहेंगी। लेकिन यह बात ठीक है कि अन्य भाषाओं एवं लिपियों का तब तक चलता रहना ठीक है जब तक कि लोगों की इच्छा उन्हें रखने की रहे और लोगों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं से जानकारी बढ़ाने की बात बनी रहे। इस दिशा में साहित्य अकादमी का काम सराहनीय है। मेरा अपना भी मत है कि यदि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के अच्छे साहित्य को देवनागरी लिपि, अथवा किसी भी सामान्य लिपि में लिखा जाये तो बड़ा लाभदायक होगा क्योंकि सभी भाषाओं के जानने वाले उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है एक तो वह यह है कि भारत की संस्कृति एक है। आप भारत के किसी भी कोने में क्यों न चले जायें सभी जगह की संस्कृति एक ही है। अगर देवनागरी सामान्य लिपि बन जाती है तो यह आसान होगा कि सभी भाषाओं का समावेश उसमें हो सके।

[श्री दातार]

तामिल बड़ी प्राचीन एवं महान् भाषा है। इसका साहित्य सभी प्रकार के विषयों से ओतप्रोत हैं और सभी भाषाओं के जानकार इस बात से सहमत हैं और इसकी महत्ता को स्वीकार भी करते हैं। अतः यह अच्छा होगा कि सरकार अपनी ओर से कोई बात लागू न करे बल्कि जनता की ओर से ही यह बात उठे। मेरा अपना विचार है कि हिन्दी में वह क्षमता है जो उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है और इसका भविष्य हमारे राष्ट्र में उज्जवल है। आशा है कि एक दिन अहिन्दी भाषी ही लोग कहेंगे कि राष्ट्र के वृहत्तर हित और ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये कोई सामान्य लिपि रहे तो अच्छा है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य भले ही कुछ क्यों न हो लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस संकल्प का समर्थन करना उचित नहीं होगा। अच्छा तो यही होगा कि एक दिन उत्तर तथा दक्षिण भारत के सभी लोग इस निष्कर्ष पर आयें कि देश के लिये एक सामान्य लिपि हो। इसी में भला है क्योंकि उस समय इस बारे में कोई भ्रान्ति न होगी।

प्रधान मंत्री ने रोमन लिपि के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था :

> "कि तुर्की तथा मध्य एशिया में भले ही इसे सफलता मिली हो लेकिन मैं जानता हूं कि भारत की वर्तमान स्थिति में इसे यहां अपनाना ठीक न होगा। राष्ट्रीय, धार्मिक, हिन्दू, मुसलमान, नयी और पुरानी विचारधारा के सभी व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध होगा।"

लिपि के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा था :

> "हमें कोई सामान्य लिपि अपनानी होगी जो संस्कृत, हिन्दी, बंगाली और मराठी के अत्यन्त निकट हो। इन भाषाओं की लिपियों का उद्गम सामान्य है और वे एक दूसरे से अधिक अलग अलग नहीं है। अतः कोई सामान्य लिपि बनाना कठिन नहीं होगा। इससे ये चारों भगिनी भाषायें एक दूसरे के और भी निकट आ जायेंगी।"

मेरा विचार है कि कन्नड और तेलगू की लिपियां एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। अगर थोड़ी हेर फेर करने के बाद हम इन लिपियों के लिये कोई सामान्य लिपि भी अपना सके तो हम एक सामान्य लिपि बनाने में समर्थ हो सकेंगे और इस लिपि के साथ सभी की सदभावनाएं होंगी।

अतः मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प पर जोर न दें क्योंकि जल्दी तथा देर से वह समय आयेगा जबकि उनके इस उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी जिस उद्देश्य से कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है; क्योंकि आज इस संकल्प को इस समय पारित करना ठीक न होगा क्योंकि इससे लोगों में मतभेद बढ़ेगा और भ्रान्ति उत्पन्न होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सम्पत के कथन का आशय यह है कि १९३८ में कांग्रेस मंत्रि-मंडल के अवसर पर श्री राजा जी ने हिन्दी को मद्रास के स्कूलों में एक अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया था, इसीलिये पृथक द्रविड़ राज्य का आन्दोलन आरम्भ किया गया। तब से अब तक इस भावना को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है कि हिन्दी उन पर लादी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : इसके उत्तर के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि १९३७ में कांग्रेस सरकारों ने किसी राज्य पर इस प्रकार हिन्दी थोपने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने हिन्दी को केवल माध्यमिक स्तर तक लागू किया था और उसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। मैं श्री सम्पत को यह बताना चाहता हूं कि दक्षिण में हिन्दी जानने वाले युवकों की संख्या काफी है। इससे उत्तर और दक्षिण के सम्पर्क घनिष्ट हुए हैं।

†श्री सम्पत : मद्रास मंत्रिमंडल ने हिन्दी को हाई स्कूल स्तर तक अनिवार्य बना दिया था, तथापि हमारे आन्दोलन के कारण अन्त में उन्हें यह योजना रद्द कर देनी पड़ी।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को उपस्थित करने के पश्चात् इस सदन में जो भाषण हुए हैं, उनमें तीन प्रकार की सम्मतियां व्यक्त की गई हैं। एक सदस्य वे थे, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस प्रकार के सम्बन्ध में अपनी सम्मति अनुकूल व्यक्त की। दूसरे कुछ सदस्य इस प्रकार के थे, जिन्होंने यह कहा कि यह प्रस्ताव ठीक है, इसके पीछे भावना भी ठीक है, परन्तु उसके लिये अभी समय उपयुक्त नहीं है। तीसरे प्रकार के सदस्य वे थे, जिन्होंने अपने विचारों को प्रकट करते हुए यह कहा कि इस प्रकार से सब भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि स्वीकार करने में उनकी असहमति है। जहां तक पहले बन्धुओं का सम्बन्ध है, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन और स्वागत किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जिन सदस्यों ने यह कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय अभी उपयुक्त नहीं है, उन को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। परन्तु उन बन्धुओं को भी, जिन्होंने इस प्रस्ताव से अपनी असहमति व्यक्त की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिये कि उन्होंने देश के सामने एक प्रश्न-वाचक चिन्ह उपस्थित किया है कि भाषा और लिपि के सम्बन्ध में हम और थोड़ा गहराई में जायें और इस सम्बन्ध में कुछ अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये हम निर्णय लें।

जहां तक श्री सम्पत के विचारों, जिनकी व्याख्या अध्यक्ष ने कर के सुनाई, और श्री थानू पिल्ले के इस मत का प्रश्न है कि हर एक भाषा के साथ उसकी अपनी लिपि होती है उसके साथ कुछ आत्मीयता होती है, जिसके कारण कोई अपनी लिपि को छोड़ना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि अगर वे मेरे प्रस्ताव की भाषा को पढ़ लेते, तो उनको इसका विरोध करने की आवश्यकता न होती। मेरे प्रस्ताव में यह लिखा है कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिये एक सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार किया जाये। मैंने अपने शब्दों की व्याख्या करते हुए बड़े विस्तार के साथ कहा था कि मेरा यह अभिप्राय कदापि कदापि नहीं है कि जिन भाषाओं की अपनी लिपियां हों, उन को समाप्त करके उनके स्थान पर देवनागरी लिपि को स्थापित किया जाये। उनकी वह लिपि सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि उसका अध्ययन करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और उसके पीछे एक इतिहास है। मेरा अभिप्राय तो यह है कि भारतवर्ष की जितनी भाषायें हैं, उनमें उनका अपना साहित्य है, विचार-धारा है, परम्परा है, लेकिन वे छोटे-छोटे क्षेत्रों में जो सिमट कर रह गई हैं, वे वहां से निकलें। कर्नाटक के साहित्य और परम्पराओं को बंगाल वाले जानें। बंगाल की परम्पराओं और इतिहास को तामिलनाड वाले जानें। तामिलनाड के इतिहास

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

और साहित्य को मालाबार वाले जानें। इन तमाम बातों को दृष्टि में रखते हुए मैंने कहा था कि इन भाषाओं की एक सामान्य लिपि होनी चाहिए। एक प्रान्त के व्यक्तियों को दूसरे प्रान्त के साहित्य को पढ़ने में एक सामान्य लिपि बहुत सहायक होगी।

मेरे मित्र, श्री शंकर देव ने, जो कर्नाटक के हैं, कहा कि आप अगर इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय यह कहते कि प्रत्येक उत्तर भारतीय के लिये दक्षिण भारतीय भाषाओं में से एक भाषा को पढ़ना आवश्यक होगा, तो अच्छा होता। मैं अपने मित्र के विचारों का स्वागत करता हूं, बल्कि मैं तो उससे भी दो पग आगे जा कर कहना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव में तो यही भाव है कि वह कहते हैं कि दक्षिण भारत की एक भाषा को पढ़ना आवश्यक हो, किन्तु मैं कहता हूं कि दक्षिण की सब भाषाओं को उत्तर भारत के लोग सीखें। लेकिन उनके मार्ग में लिपि की कठिनाई होती है, जिसे हर एक आदमी बिदक जाता है। यदि लिपि की वह दीवार बीच में से हट जाये, तो हर एक व्यक्ति को दूसरे की भाषा को सीखने में सुगमता होगी। मुझे ज्ञात है कि सभी भारतीय भाषाओं की अपनी-अपनी महान् परम्परा है, साहित्य है, इतिहास है। मैं जानता हूं कि तामिल, मराठी, बंगाली, तेलगू आदि भाषाओं के पास बहुत बड़ा साहित्य का भंडार है, किन्तु इन भंडारों से दूसरे लोग अपरिचित हैं। केवल उन्हीं क्षेत्रों के लोग उनसे परिचित न रहें, इसलिये मैंने चाहा था कि उनके बीच में स्थित लिपि की भित्ति को हटा दिया जाये।

अभी जब मेरे मित्र, श्री थानू, पिल्ले, इस प्रस्ताव पर, बोल रहे थे, तो आपने कहा था कि यह प्रश्न भाषा का नहीं है, लिपि का है। मुझे थोड़ा कष्ट हुआ कि ऐसे भी कुछ छोटे हृदय के व्यक्ति हैं जिन के मन में भाषा की आड़ में जो राजनैतिक गुबार भरा हुआ है, उन्होंने उसको लिपि जैसे साधारण प्रश्न पर निकालना चाहा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा के सम्बन्ध में मेरा कदापि कोई अभिप्राय यहां नया विवाद छेड़ने का नहीं है मैं पवित्रता के साथ कहना चाहता हूं कि संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, उन सबकी अभिवृद्धि हो। पर उनको एक दूसरे के निकट लाने के लिये ही मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था।

यह भी कहा गया है कि लिपि के बदल जाने से भाषा की आत्मा समाप्त हो जायगी। मैं नहीं समझता कि तुर्की की भाषा जो रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो उसकी आत्मा कहा समाप्त हो गई कैसे उसकी स्पिरिट खत्म हो गई।

इंदोनेशिया की भाषा अगर रोमन लिपि में लिखी जाती है तो क्या इंदोनेशिया की भाषा की आत्मा समाप्त हो गई ? भाषा के साथ उस का अपना गौरव-पूर्ण साहित्य होता है, हर भाषा का अपना इतिहास होता है, लेकिन लिपि के परिवर्तन से, जिसमें कि दूसरों को भी अन्य भाषाओं की जानकारी मिले, वह भाषा अपनी परम्परा और आत्मा को समाप्त कर बैठेगी, इस प्रकार की बात मेरी समझ में नहीं आती।

हां, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, वह यह कि पिछली बार जब इस सदन में इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई थी तो उस चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बात सही है, लेकिन इसके लिये देव नागरी लिपि ही हो, इसकी आवश्यकता क्या है ? मैं थोड़ा

सा समय लेकर अपनी बात को शीघ्र समाप्त कर दूंगा। सब इस बात को भली प्रकार से समझ सकें इसके लिये मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा।

मैं मलयालम भाषा से बिल्कुल परिचित नहीं। लेकिन मेरे हाथ में 'देव नागर' नाम की पुस्तिका है यह संसद् की हिन्दी परिषद् की ओर से प्रकाशित होती है जिसमें भारत की सभी भाषाओं को देव नागरी लिपि में लिखा जाता है। मलयालम के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं वल्लतोल। वल्लतोल की कविता को देव नागरी में लिखा गया है तब मैं देखता हूं कि उस भाषा को मैं कितनी सुगमता से पढ़ सकता हूं। वल्लतोल कहते हैं :

"निरुद्ध चैतन्यमपौरुषत्तिल्

चुरुण्ट कूतोल्ल सगर्म्यर वीणड्ं।

गुरु प्रदत्ताक्षर विवनेटी

तिरुरणं नां विधि दुविलखं।।"

अब यह वल्लतोल की भाषा है, लेकिन देव नागरी लिपि में लिखी होने की वजह से आप देखें कि यह कितनी अधिक संस्कृत के निकट है। इस कविता का अर्थ यह है :

"मेरे भाइयो, फिर से हम निरुद्ध चैतन्य न बनें, अपने अपौरुष में न डूब जायें। गुरुजनों द्वारा दी जाने वाली विद्या को सीख कर दुर्विधि के लिखे हुए लेख को सुधारें। !"

इसी प्रकार से उड़ीसा में जो भाषा बोली जाती है उसको उड़िया कहते हैं। हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र महन्ती हैं, उन्होंने उड़िया भाषा में एक यात्रा लेख लिखा है भले ही वह उड़िया भाषा में हो लेकिन मैं देवनागरी में उसे बड़ी सुगमता से पढ़ सकता हूं। उन्होंने अपनी रेल यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है :

"अस्वस्ति कर, विरक्ति कर, उत्पीड़क यात्रा। दिल्ली मेल रगोटिये संकीर्ण प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेंट। गति र वेग रे, वर्थटा केते वेले नाचु थिला, केते वेले दोहलु थिला, आउ केते वेले बा थरु थिला। ऊपर बर्थ रे मारवाड़ी भद्र लोक या ि निद रे घुंघड़ि मारिलेणि आ:....पु:.....लुहा धारण। उपरे लुहा र चक्र घषि होइ सष्टि करिछि यात्रा र संगीत.....झनात..... झनात झन्।"

अब यह उड़िया भाषा है लेकिन देवनागरी में लिखी होने के कारण मैं इसका अभिप्राय थोड़ा समझ लेता हूं। स तरह से उड़िया भाषा भी संस्कृत के कितने निकट हो गई है। इसी प्रकार से और भारतीय भाषायें हैं जिनके साहित्य संस्कृत के निकट पंजाबी भी आती है तेलगू है। मुझे एक जगह आंध्र में जाने का अवसर मिला। मुझे पानी पीने की आवश्यकता थी। मैंने सोचा कि जब यह मेरी भाषा नहीं समझते तो मैं उनकी भाषा को क्यों न सीख लूं। मैंने आंध्र प्रांत के लोगों से कहा। उन्होंने कहा आप दो एक वाक्य याद कर लीजिये।

"सल्लटि मञ्चि नीरू कावाले"

मैंने उसको याद किया। लेकिन फिर जब मैंने उस वाक्य पर ध्यान दिया तो मु े पता लगा कि यह भाषा भी कितनी निकट है संस्कृत के।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

सल्लटि का अर्थ है शीतल, मञ्चि का अर्थ है मंजु और नीर का अर्थ है नीर। आप इन शब्दों की तुलना संस्कृत से कीजिये। मैंने इस अभिप्राय को लेकर इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है कि भारतीय भाषाओं में जितना सामीप्य हो उतना ही अच्छा है। लिपि यदि एक हो जाय तो वह बीच की दीवार हट जायेगी और वह हमारे हाथों में देश की एकता को सुरक्षित रखेगी क्योंकि भाषावार प्रांत बनने से देश की अखंडता जब खंडित होती चली जा रही है तब मेरा यह प्रस्ताव देश की एकता को पुष्ट करेगा।

अन्त में मैं अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। जिस राज भाषा कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से उद्धरण दिये और जिसने बड़े चिन्तन के पश्चात् वर्षों के, देश की राज भाषा के संबंध में अपना निर्णय लिया, उस राज भाषा कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिपि के संबंध में लिखा है कि तिलक महाराज की सम्मति क्या थी, गांधी जी की सम्मति क्या थी, पंडित नेहरू की सम्मति क्या है, राष्ट्रपति जी की सम्मति क्या है, और उन सब सम्मतियों को देते हुए अपनी सिफारिश में लिखा है :—

"इन सब बातों पर विचार करने के बाद हम संघीय भाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक रूप से देव नागरी में लिखे जाने की सिफारिश करते हैं।"

यह राज भाषा कमिशन की अपनी रिपोर्ट है, जिन्होंने बड़े चिन्तन के बाद अपनी सम्मति दी है। तो मेरा अपना अभिप्राय यह है, जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, अभी इसके लिये समय उपयुक्त नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि अपना प्रस्ताव उपस्थित करके कोई इस प्रकार का विवाद देश में उत्पन्न करूं जिसका प्रभाव देश की अखंडता पर जाकर पड़े। अगर इसके लिये अभी समय नहीं आया है, तो मैं सन्तुष्ट हूं इस बात से कि मेरा यह प्रस्ताव, यदि आज नहीं तो २५ वर्ष पश्चात् या ५० वर्ष पश्चात् जब देश की अखंडता पर विचार किया जायेगा तब यह सारी संसद् की कार्रवाई इस मामले में एक कड़ी का काम करेगी कि संसद् में भी कभी इस प्रकार का गम्भीर विचार हुआ था, लेकिन चूंकि वह समय उपयुक्त नहीं था लोगों के दिलों में राजनैतिक विष भरा हुआ था, इसलिये राष्ट्र की एकता की कड़ी को मजबूत करने के लिये इस प्रस्ताव को उस समय स्वीकार नहीं किया जा सका। लेकिन गृह-कार्य मंत्री ने मेरी भावना और प्रस्ताव के अभिमत का स्वागत किया है इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और इस प्रस्ताव को लेकर देश में कोई विवाद उत्पन्न न हो जाय इसलिये मैं उसको वापस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस संकल्प पर दो स्थानापन्न प्रस्ताव आये हैं। श्री न० रा० मुनिस्वामी इस समय अनुपस्थित हैं। अतः मैं दोनों स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४ और ६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रश्न पर पहिली पंचवर्षीय योजना के समय से ही चर्चा की जाती रही है। इसके विरोध में मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया था कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़े हैं अतः यह आवश्यक है कि इस प्रश्न पर पुर्नविचार कर लिया जाये।

वस्तुतः इस संबंध में कोयला खान जांच समिति ने यह कहा था कि इस प्रश्न पर अगले दस वर्ष तक विचार न किया जाय क्योंकि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। तथापि इस बीच कोयला उद्योग का वैज्ञानिकन किया जा सकता है। यद्यपि हमने इस बीच परिरक्षण विधि तथा कोयला वाले क्षेत्र अर्जन विधि पारित की है तथापि किसी भी साधन का सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला है।

इसके वि ोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता था कि हमें तत्काल अधिक कोयले का उत्पादन करना है। यदि सारे कोयला क्षेत्र सरकार ले लेगी तो उसके लिये विशेषतः छोटे कोयला क्षेत्रों का संचालन करना संभव नहीं होगा। तथापि अब जबकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सरका ी क्षेत्र में सन्तोषजनक गति से कार्य करना आरम्भ किया है तब इस प्रकार की आपत्ति में कोई बल नहीं रहता है।

कोयला उद्योग बहुत महत्वपू ं उद्योग है क्योंकि यह सभी उद्योगों का आधार है, अतः कोयला उत्पादन या उसकी कीमतों के संबंध में कोई ेसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि हमारी योजना की प्रगति को बाधा पहुंचे।

कोयले के राष्ट्रीयकरण की इस कारण भी आवश्यकता है कि हमारे देश को ८५ प्रतिशत शक्ति केवल कोयले से प्राप्त होती है और कुल कोयले का एक तिहाई रेलवे के द्वारा जो कि एक सरका ी उपक्रम है, उपयोग किया जाता है।

कोयला उद्योग में हम केवल लाभ को ही दृष्टि में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इस पर अन्य उद्योग कायम हैं अतः कभी-कभी लाभ न होने पर भी उसे चलाये रखना पड़ता है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में यह संभव नहीं है, इसलि े यह और भी आवश्यक है कि सरकार इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करे।

इसके अतिरिक्त बढ़िया कोयले के परिरक्षण का भी सवाल पैदा होता है। अनुमान है कि हमारे देश में बढ़िया कोयले के निक्षेप १३० करोड़ टन हैं। इसमें से तीन चौथाई कोयला गैर-सरकारी क्षेत्र में निकाला जाता है। इसी प्रकार बढ़िया प्रकार का कोयला जिससे कोक नहीं बन सकता है वह केवल ३१५ क ोड़ टन है। अतः हमें देश के भविष्य को देखते हुये इस कोयले के परिरक्षण का भी प्रयत्न करना है। अतः देश के हित को देखते हु े भी कोयले को सरकारी क्षेत्र में लिया जाना चाहिये।

कोयला खानों में श्रमिकों की दशा बहुत बुरी है उनकी दशा को देखते हुये भी हमें कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की ओर ध्यान देना चाहिये।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने जिनकी अपनी ाने हैं उन्होंने यह तर्क रखा है कि सरकार को केवल नये कोयला क्षेत्र लेने चाहियें। पुराने कोयला क्षेत्र काफी अच्छी तरह चल रहे हैं अतः उन पर हस्त-क्षेप न किया जाय। इस क्षे में कुछ विदेशी कम्पनियां भी का ं कर रही हैं जैसे बर्ड एंड कम्पनी

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

एन्ड्रूज यूल्स और इक्वीटेबल कोल । इन कम्पनियों ने बहुत लाभ अर्जित किया है । जब इस संबंध में माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि लाभ की मात्रा बहुत कम है । यदि उन्हें १० या ११ प्रतिशत लाभांश मिल रहा है तो वह बहुत अधिक नहीं है । तथापि उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह एक सामरिक उद्योग है और इस पर देश के कई अन्य उद्योग आश्रित हैं अतः इस पर लाभ की छूट देना उचित नहीं है ।

इसके अतिरिक्त कोयला खान श्रमिकों ने मजूरी बढ़ाने, सुरक्षा के साधनों तथा कोयला जमा करने इत्यादि सभी बातों में विलम्ब किया है । यद्यपि कई सरकारी समितियों ने यह कहा है कि कोयला जमा करने के तरीकों से कोयले का उत्पादन बढ़ सकता है तथापि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । अतः कोयले का उत्पादन कोयले की कीमत तथा श्रमिकों की अवस्था का विचार करते हुये हमें कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये ।

कोयले के संबंध में बृहत् योजना बनाने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय पैमाने पर कोयले की खोज और उसके उत्पादन का कार्य किया जाय । यह तभी संभव है कि जब हम कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करें । तथापि गैर-सरकारी कोयलाखानों के इतिहास से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि जब कभी मांग बढ़ी तो कई खानों की स्थापना हो गयी । मन्दी आने पर कई छोटी खानों को बन्द होना पड़ा । अतः राष्ट्रीयकरण के द्वारा हम कई छोटी-मोटी खानों का एकीकरण करने में भी सफल होंगे ।

अब मैं अधिक उत्पादन और अधिक परिरक्षण का प्रश्न लेती हूं । छोटी-छोटी खानों को न केवल लाभकारी ढंग से चलाना कठिन होता है अपितु उसमें सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती है। खान मालिक सुरक्षा उपबन्धों की अवहेलना करते हैं जिसके परिणामस्वरूप न केवल दुर्घटनायें होती हैं अपितु कई खानों को वर्षों के लिये बन्द कर देना होता है । अभी हाल पोरवेलिया कोयला क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी । १९५९ में बोवरा कोयला क्षेत्र में दुर्घटना हुई । यद्यपि यह कहा जाता है कि हमारे देश में अपेक्षाकृत दुर्घटनायें कम होती हैं तथापि यदि हम प्रति टन उत्पादित कोयले के ऊपर दुर्घटनाओं की संख्या लगायें तो वह अन्य देशों की अपेक्षा अधिक हैं ।

कोयले के संबंध में न केवल कम कीमत का ही प्रश्न महत्वपूर्ण है अपितु देश के लिये एक रूप कीमत का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है । इससे प्रादेशिक विषमता दूर होगी, तथापि कोयला उद्योग की वर्तमान दशा में ऐसा नहीं किया जा सकता है । इसके लिये सारे उद्योग पर नियंत्रण करना होगा ।

कोयला खान मालिक न केवल मजूरी के मामले में उदासीन हैं अपितु वे आवास सुविधायें देने के मामले में भी उदासीन हैं इसका यह परिणाम है कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि में आवास सुविधाओं के ५ करोड़ रुपये पड़े हुये हैं तथापि अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है ।

जहां तक श्रमिक व्यवस्था का संबंध है जो कर्मचारी श्रमिकों के कल्याण के लिये रखे जाते हैं वे ही खान मालिकों के प्रभाव में आकर उनके हितों के प्रति उदासीन बन जाते हैं ।

यद्यपि स्वयं सरकारी क्षेत्र में भी श्रमिकों की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है तथापि अपेक्षाकृत रूप में तो भी अच्छी है । क्योंकि कम से कम वहां श्रम कल्याण विधियों की वह उपेक्षा नहीं की जायेगी जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में की जाती है ।

कोयला क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण का एक और महत्वपूर्ण संस्था द्वारा विरोध किया गया है, वह विश्व बैंक है। विश्व बैंक मिशन ने अभी हाल हमारे देश का दौरा किया और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण रखने की सरकार की नीति से इस उद्योग में पूंजी को वह प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिये था, अतः उन्होंने सिफारिश की है कि गैर-सरकारी कोयला खानों को प्रोत्साहित किया जाय। नये कोयला खानों को पट्टे पर देने के संबंध में जो प्रतिबन्ध हैं वह हटा दिया जाय तथा उसकी कीमत इस प्रकार स्थिर की जाय कि पूंजी को प्रोत्साहन मिले।

स संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अन्य कई देशों को भी कोयला खानों की प्रगति के लिये यही मार्ग अपनाना पड़ा। ब्रिटेन ने १९४७ में अपने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। फ्रांस और इटली में भी इनका राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।

अतः अब यह सिद्धांत का प्रश्न नहीं रह गया है। यह केवल व्यवहारिकता का प्रश्न है। मेरा सुझाव है कि देश के आयोजित विकास को ध्यान में रख कर कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प स्तुत हुआ :

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज) : कोयला देश के बुनियादी उद्योगों में से एक है। यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता के १३ वर्ष के पश्चात् भी इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। यह दुख का विषय है कि हमारे देश में कोयले का वार्षिक उत्पादन केवल ५ करोड़ टन है जब कि चीन में कोयले का उत्पादन उनके कथनानुसार ३० करोड़ टन हो गया है। हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना कोयले का उत्पादन १० करोड़ टन तक पहुंचेगा।

मैंने अभी हाल गोरखपुर श्रमिकों की दशा देखने के सिलसिले में कोयला खानों का दौरा किया है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि हमारे कोयला खान में पुराने तरीकों का ही उपयोग किया जाता है। विदेशों में कोयला निकालने के तरीकों का आधुनिकीकरण हो गया है तथापि भारत में वही पुराना पिछड़ा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। वस्तुतः खान मालिकों को केवल अपने लाभ से ही मतलब रहता है। अतः देश के हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, १ अप्रैल, १९६१
११ चैत्र, १८८३ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३९६३–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२२२	बर्मा शैल तेलशोधक कारखाने का विस्तार	३९६३–६५
१२२३	बरौनी का तेलशोधक कारखाना	३९६६–६७
१२२४	स्वतंत्रता संग्राम के सैनिको का संक्षिप्त परिचय	३९६८–७०
१२२५	इस्पात बोर्ड	३९७१–७२
१२२६	दण्डकारण्य परियोजना के लिए ट्रेक्टर	३९७२–७४
१२२७	दिल्ली के मकान का गिरना	३९७४–७५
१२२८	इस्पात कारखानों का प्राक्कलन	३९७५–७८
१२२९	इस्पात कारखाने	३९७८–८०
१२३०	राजस्थान में कच्चे लोहे का कारखाना	३९८०–८१
१२३१	भारतीय विद्यार्थियों के लिए विदेशी पुस्तकें	३९८१–८२
१२३२	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्ती एकक के लिए लोहा, इस्पात और स्टेनलेस स्टील	३९८२–८४
१२३२-क	रूस से विमानों की खरीद	३९८४–८६
१२३४	आसाम विधान सभा का संकल्प	३९८६–८७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	३९८७–८८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३९८८–४०३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२३३	मजगांव गोदी, बम्बई में तेलकर्षक यंत्रों का निर्माण	३९८८
१२३५	इल्यूशिन परिवहन विमानों की खरीद	३९८८–८९
१२३६	कोयले की एकसी खुदरा कीमतें	३९८९
१२३७	लिग्नाइट	३९८९–९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२३८	युवक होस्टल	३९९०
१२३९	उज्जैन में कालिदास स्मारक	३९९०-९१
१२४०	वायुसेना के भर्ती के फार्म	३९९१
१२४१	जोरहाट में प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला	३९९१
१२४२	प्राकृतिक गैस	३९९१-९२
१२४३	थौवल स्थित राजस्व कार्यालय में डाका	३९९२
१२४४	तेल पाइपलाइन की लागत	३९९२
१२४५	आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाना	३९९३
१२४६	परीक्षा प्रणाली में सुधार	३९९३
१२४७	बीमे की नई योजना	३९९३-९४
१२४८	ग्राम्य संस्थायें	३९९४
१२४९	मद्रास राज्य में इस्पात बेलन कारखाना	३९९४
१२५०	दिल्ली पुलिस	३९९४
१२५१	रूरकेला में धमन भट्ठी में दुर्घटना	३९९५
१२५२	राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	३९९५
१२५३	पलाई सेंट्रल बैंक के लेनदारों के दावे	३९९६
१२५४	राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन	३९९६
१२५५	दिल्ली में आवास आयुक्त	३९९६-९७
१२५६	भारतीय विधि संस्था	३९९७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५५९	पंजाब के लिए लोहे की चादरें	३९९७
२५६०	मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम	३९९८
२५६१	मनीपुर तथा त्रिपुरा में सामाजिक शिक्षा	३९९९
२५६२	महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा	३९९९
२५६३	महाराष्ट्र में केन्द्रीय कर	३९९९
२५६४	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में विनियोजन	३९९९-४०००
२५६५	मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा	४०००
२५६६	आयकर की बकाया रकम	४०००
२५६७	उटकमण्ड में विद्यार्थियों के लिए अवकाश-ग्रह	४००१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५६८	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों तथा आदिम जातियों के बीच भूमि सम्बन्धी विवाद	४००१
२५६९	विदेशियों द्वारा अधिक दिन तक ठहरना	४००१
२५७०	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनायें	४००२
२५७१	भारत में इस्पात की खपत	४००२–०३
२५७२	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	४००३
२५७३	उड़ीसा में गणतंत्र दिवस समारोह	४००३
२५७४	पंजाब में लाहोल और स्पिति में जल-विद्युत् योजनायें	४००३–०४
२५७५	शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन	४००४
२५७६	आसाम के तेल पर स्वामित्व	४००४
२५७७	दिल्ली में नेताओं की मूर्तियां	४००४–०५
२५७८	दिल्ली प्रशासन	४००५–०६
२५७९	दिल्ली सतर्कता विभाग	४००६
२५८०	वैकल्पिक खुराक सम्बन्धी अनुसन्धान	४००६–०७
२५८१	विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अध्यापकों का आदान-प्रदान	४००७
२५८२	पंजाब में खेलकूद का विकास	४००७
२५८३	हड़ताल	४००७–०८
२५८४	अमरीकी कोयला प्रतिनिधि मंडल	४००८
२५८५	तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा	४००९
२५८६	विश्व बैंक के ऋण	४००९
२५८७	नागार्जुनकोंडा की खुदाई	४००९–१०
२५८८	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	४०१०
२५८९	भारतीय विद्यार्थियों के लिये विदेशों में द्रोबन	४०१०
२५९०	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	४०१०–११
२५९१	भारतीय नौसेना की केन्टीनें	४०११
२५९२	दिल्ली में विदेशियों की मूर्तियां	४०११
२५९३	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	४०१२
२४९४	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हिन्दी में पत्र योजना	४०१२
२५९५	सरकारी विभागों में हिन्दी टाइपराइटर	४०१२–१३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५९६	हिन्दी में पत्र-व्यवहार	४०१३
२५९७	इनामी बौंडों की बिक्री	४०१३
२५९८	सरकारी नौकरों की पदोन्नति	४०१३–१४
२५९९	असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की परीक्षायें . . .	४०१४
२६००	अतिवयस्क पदाधिकारियों के लिए सेवा अवधि का बढ़ाया जाना	४०१५
२६०१	हिमाचल प्रदेश प्रशासन . . .	४०१५
२६०२	कुमाऊं और गढ़वाल में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई .	४०१५–१६
२६०३	छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता . .	४०१६
२६०४	मनीपुर में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण . .	४०१६–१७
२६०५	मनीपुर और त्रिपुरा में प्रशासनिक ढांचा . .	४०१७
२६०६	जमशेदपुर में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	४०१७
२६०७	कलकत्ता बन्दरगाह में तस्कर व्यापार . . .	४०१८
२६०८	केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था	४०१८
२६०९	केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था	४०१८–१९
२६१०	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अ ुसूचित आदिम जातियों को विधि सम्बन्धी सहायता देना . . .	४०१९
२६११	उड़ीसा में बाढ़ सहायता . . .	४०१९–२०
२६१२	मद्रास राज्य में विज्ञान मंदिर	४०२०–२१
२६१३	नागा विद्रोही	४०२१
२६१४	हिमाचल देश में श्रमिकों की मृत्यु . . .	४०२१
२६१५	दिल्ली में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक .	४०२२
२६१६	त्रिपुरा में मकानों का गिरना	४०२२
२६१७	कोयले का निर्यात	४०२३
२६१८	विश्व बैंक दल का प्रतिवेदन	४०२३
२६१९	रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दि गये सामान का किराया	४०२३
२६२०	दक्षिण कनारा जिले में लौह अयस्क . . .	४०२४
२६२१	सहायक सेनाछात्र दल प्रशिक्षण	४०२४
२६२२	आय-व्यय का निर्धारण	४०२४–२५
२६२३	केन्द्र में मद्रास सरकार के पदाधिकारी . . .	४०२५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२६२४	रूरकेला में डोलोमाइट की भस्म बनाने का सं त्र	४०२५—२६
२६२५	सरका ी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में केंद्रीय विधेयक	४०२६
२६२६	दिल्ली में भूमि सुधार	४०२६
२६२८	रूस में भारतीय विमान बल के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	४०२६
२६३०	इस्पात सं त्रों के उपोत्पाद	४०२७
२६३२	पुरातत्व विद्या सं ी स्कूल	४०२७
२६३३	उड़ीसा के मकान बनाने की सामग्री का संभरण	४०२७—२८
२६३४	उड़ीसा में संरक्षित स्मारक	४०२८—२९
२६३५	केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी	४०२९
२६३६	अखिल भारत प्रविधिक शिक्षा परिषद्	४०२९—३०
२६३७	डिग्री कालिजों आदि के अध्यापकों के वेतन स्तर	४०३१
२६३८	बार एसोसियेशन, सोनपुर (उड़ीसा) के लिये छायादार स्थान	४०३१
२६३९	त्रिपुरा के समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी	४०३१—३२
२६४०	दिल्ली में "व्हिस्की गैंग"	४०३२
२६४१	उड़ीसा में याचिका लेखक	४०३२—३३
२६४२	दिल्ली में अग्नि कांड	४०३३
२६४४	मेसर्ज सिंगरनी कोलियरीज को विदेशी मुद्रा	४०३३—३४
२६४५	दिल्ली में वेश्यावृत्ति	४०३४
२६४६	भारत के रक्षित बैंक की शाखा	४०३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		४०३४—३५

श्री नौशीर भरूचा ने गोआ के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध उठाने के प्रस्ताव की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा नकली रेशम उद्योग के पुनः संस्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये नियुक्त किये ग े का कारी दल का प्रतिवेदन (१९६०)।

(२) उपरोक्त प्रतिवेदन पर दिनांक ३० मार्च, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या २४(२९)टैक्स (डी)/६०।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक ति :—

(एक) उपहार कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १८ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९३ में प्रकाशित उपहार कर (दूसरा संशोधन) नियम १९६१।

(दो) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत दिनांक १८ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६०० में प्रकाशित न्यू सिटिजन बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे बैंक आफ बड़ौदा के साथ मिलाने की योजना।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक ति :—

(ए) समवाय अधिनियम, १९५६ की रा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत त्रिपुरा स्टेट बैंक लिमिटेड की ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन, ले ा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणि ों सहित।

(दो) समवाय अ िनियम, १९५६ की धारा ६१९क की शर्तों के अनुसार तैयार कि गये उक्त समवाय (परिसमापन में) के कार्य को सूची ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन।

राज्य सभा से सन्देश . . . . . .

सचिव ने राज्य सभा से प्रा त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २८ मार्च, १९६१ को पारित किये गये उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(ो) कि राज्य सभा ३० मार्च, १९६१ की अपनी बै क में, लोक-सभा द्वारा २० मार्च, १९६१ को पारित किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत ो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा ने ३० मार्च, १९६१ की अपनी बैठक में न्यूनतम मजूरी (संशोधन) वि यक, १९६१ को पारित कर दिया है।

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखा गया	४०३७
सचिव ने, न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९६१ राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा।	
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित	४०३७
एक सौ तीसवें और एक सौ बासवें प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	४०३८—४०
खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने भद्रनागर के तेल के कुएं संख्या १ के बारे में एक वक्तव्य दिया।	
अनुदानों की मांगें	४०४०—८०
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई। सारे कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	४०८१
इकासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापिस लिया गया	४०८१—९४
१७ मार्च, १९६१ को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। संकल्प पर प्रस्तुत किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए और संकल्प वापिस ले लिया गया।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन	४०९४—९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान।

———

GMGIPND—LSIII-253 (Ai) LSD—19-5-61-125